लोक-सभा

वाद-विवाद

[द्वितीय माला

खण्ड ३०, १९५९/१८८१ (शक)

[२१ अप्रैल से ४ मई, १९५९/१ वैशाख से १४ वैशाख १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३०—अंक ५१ से ६०—२१ अप्रैल से ४ मई, १९५९ / १ वैशाख से १४ वैशाख, १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ५१—मंगलवार, २१ अप्रैल, १९५९ / १ वैशाख १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३२ से १९३८, १९४० से १९४२, १९४४ से १९४८ १९५०, १९५२ और १९५३ . ५९२३—४९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २४ से २६ ५९४९—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३९, १९४३, १९४९, १९५१ और १९५४ से १९५९ ५९५६—६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३१७ से ३३७९ . ५९६०—८४

श्री उषानाथ सेन का निधन . ५९८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५९८४—८५

प्राक्कलन समिति—

छियालीसवां प्रतिवेदन ५९८५

समितियों के लिये निर्वाचन

(१) प्राक्कलन समिति . ५९८५

(२) लोक लेखा समिति . . ५९८५

लोक लेखा समिति के साथ राज्य-सभा के सदस्यों का संबद्ध किया जाना . ५९८६

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५९८६—६०२८

पाकिस्तान में भारतीय वायु सेना के कैनबरा विमान को गोली मार कर गिराये जाने के बारे में वक्तव्य . . ६०२८—३७

दैनिक संक्षेपिका . . . . ६०३८—४३

अंक ५२—बुधवार, २२ अप्रैल, १९५९/२ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९६० से १९६३, १९६५ से १९७०, १९७२ से १९७५, १९७८ और १९८० से १९८२ ६०४५—६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २७ और २८ ६०६९—७२

117(Ai) LSD—9.

प्रश्नों के लिखित उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या १९६४, १९७१, १९७६, १९७७, १९७९ और १९८३ से १९९५ . . . . ६०७२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३८० से ३४२३ . . . . ६०८१—९८

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र का उल्लंघन . ६०९८—६१००

मास्टर नन्दलाल का निधन ६१००

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६१०१

राज्य-सभा से सन्देश ६१०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१०२

प्राक्कलन समिति—

इक्यावनवां प्रतिवेदन . . ६१०२

वित्त विधयक, ... ६१०२—२७, ६१२७—५७

विचार करने का प्रस्ताव . ६१०२—२७, ६१२७—३७

खण्ड २ से ३१, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और खण्ड १ ६१३७—५६

पारित करने का प्रस्ताव . . ६१५७

सभा का कार्य ६१२७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६१५८—६२

अंक ५३—गुरुवार, २३ अप्रैल, १९५९/३ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९९६ से १९९८, २०००, २००२ से २००७ और २०१० से २०१६ . . . . . . ६१६३—८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २९ . . ६१८ —८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९९९, २००१, २००८, २००९ और २०१७ से २०२२. ६१८९—९२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२४ से ३४७८ ६१९२—६२१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२१५

राज्य-सभा से सन्देश . . . ६२१५–१६

पृष्ठ

जनगणना (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . . ६२१६

भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक . . . ६२१६—२०

विचार करने का प्रस्ताव . . . ६२१६—१६

खण्ड २ और १ . . . ६२१६–२०

पारित करन का प्रस्ताव . . . ६२२०

शस्त्र घेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६२२०—४६

विदेशों से ऊंची कीमतों पर रेलवे स्लीपरों की खरीद . . . ६२४६—५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६२५७—६१

अंक ५४—शुक्रवार, २४ अप्रैल, १६५६ / ४ बैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२३ से २०३१ और २०३३ से २०३६ . . . ६२६३—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३२, २०३७ से २०४७ . . . ६२८७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७६ से ३५०२, ३५०४ से ३५२८ और ३५३० से ३५३३ . . . ६२६२—६३१४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ६३१४–१५

लोक लेखा समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन . . . ६३१५

सभा का कार्य . . . ६३१५-१६

विधेयक पुरःस्थापित . . . ६३१६

(१) काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक . ६३१६

(२) दहेज निषेध विधेयक . . . ६३१६

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक . . . ६३१७—१६

विचार करने का प्रस्ताव . . . ६३१७—१८

खण्ड २, ३, ४ और १ . . . ६३१६

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६३१६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . . . ६३२०—३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६३३४

पृष्ठ

बन्दरों के निर्यात के बारे में संकल्प . . . . ६३३४—४७

अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प . ६३४८—५४

भारत में विदेशी फर्मों के भारतीयकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ६३५४—५९

दैनिक संक्षेपिका ६३६०—६५

अंक ५५—सोमवार, २७ अप्रैल, १९५९/७ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २०४९ से २०५५, २०५७ से २०६१, २०६३ और २०६४ . ६३६७—९०

प्रश्नों के लिखित—

तारांकित प्रश्न संख्या २०५६, २०६२ और २०६५ से २०७३ . . ६३९१—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३४ से ३५७९ . . . ६३९६—६४१४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

"भारत १९५८" प्रदर्शनी के मैदान में आग. ६४१४–१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६४१५–१६

विधेयक पर राय . . . ६४१६

राज्य सभा से सन्देश ६४१६

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९५९–६० के बारे में विवरण . ६४१६

प्राक्कलन समिति

तिरेपनवां प्रतिवेदन . . . ६४१६

लोक-लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन . . ६४१७

तिब्बत की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . ६४१८—२२

विधेयक पुरःस्थापित ६४२३

(१) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक . ६५२३

(२) सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक . ६४२३

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . . . . . ६४२३—८१

सभा का कार्य . . ६४८२

दैनिक संक्षेपिका ६४८३—८७

पृष्ठ

अंक ५६—मंगलवार, २८ अप्रैल, १९५९/८ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७४ से २०८६, २०८८, २०८९, २०९७, २०९९ और २०९० से २०९२ . ६४८९—६५१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८७, २०९३ से २०९६ और २०९८ . . ६५१५—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८० से ३६५६ . ६५१७—५३

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . ६५५३

प्राक्कलन समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन ६५५४

लोक लेखा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन . . ६५५४

सभा पटल पर रखे गये विवरण की शुद्धि ६५५४

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर की शुद्धि . . ६५५४

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६५५५—६१

रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में संकल्प . ६५६१—८२

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४१वें अधिवेशन (समुद्रीय) में गये भारतीय शिष्ट-मंडल के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . . . ६५८२—९७

दैनिक संक्षेपिका . . . . ६५९८—६६०३

अंक ५७—बुधवार, २९ अप्रैल, १९५९/९ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९९क, २१०० से २१०८, २१११, २११२ और २११४ से २११७ ६६०५—२९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३० . . ६६२९—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१०९, २११०, २११३, २११८ और २१२० से २१२४ ६६३२—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६५७ से ३७३१ ६६३५—६२

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ६६६३

राज्य सभा से सन्देश . ६६६३

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५५–५६ . . ६६६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन ६६६४

प्राक्कलन समिति

चव्वनवां, पचपनवां और साठवां प्रतिवेदन . ६६६४

लोक लेखा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन ६६६४

राजभाषा सम्बन्धी संसद् की समिति के प्रतिवेदन के बारे में याचिका ६६६४

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक ६६६५—७३

विचार करने का प्रस्ताव ६६६५—७२

खण्ड २ और १ . ६६७२—७३

पारित करने का प्रस्ताव ६६७३

नियम ७४ के प्रथम परन्तुक का निलम्बन . . ६६७४—७५

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक —

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६६७५—९५

नियम ७४ के प्रथम परन्तुक का निलम्बन ६६९५-९६

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ६६९६—९८

पाकिस्तानी की ओर से डाकुओं के आक्रमण के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ६६९९– ६७०२

दैनिक संक्षेपिका ६७०३—०९

अंक ५८—गुरुवार, ३० अप्रैल, १९५९/१० वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१२६ से २१३३, २१३५, २१३७, २१४०, २१४१, २१४३ से २१४५ . ६७११—३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३१ ६७३४—३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३४, २१३६, २१३८, २१३९, २१४२ और २१४६ से २१५५ . . . ६७३६—४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७३२ से ३७४४ और ३७४६ से ३८०५. ६७४२—७८

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . ६७७६

तारांकित प्रश्न संख्या १९६० के उत्तर की शुद्धि ६७७९

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . . ६७७९

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६७८०—८६

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ६७८७—९७

बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ६७९७—६८१४,
६८१५—२०

प्राक्कलन समिति

उनसठवां प्रतिवेदन ६८१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . ६८२१—२६

अंक ५९—शुक्रवार, १ मई, १९५९ / ११ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१५६ से २१६५, २१६७, २१६९ से २१७१, २१७५ से २१७९, २१८२ और २१८३ . ६८२७—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६६, २१६८, २१७२ से २१७४, २१८०, २१८१ और २१८४ से २१८८ . . . . ६८५१—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८०६ से ३८२९ और ३८३१ से ३८८३ ६८५५—८९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६८८९—९०

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश ६८९०

राज्य सभा से सन्देश . . . ६८९०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अयोध्या टैक्स टाइल मिल्स, दिल्ली के कुछ मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल ६८९०—९२

सभा का कार्य . . ६८९२—९४

समवाय (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित . . ६८९४

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ६८९५

पृष्ठ

बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक . ६८९५—६९००

विचार करने का प्रस्ताव ६८९५—९८

खण्ड २ से १८ और १ . ६८९८–६९००

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६९००

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६९००–२०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

चवालीसवां प्रतिवेदन . ६९२०

जनसंख्या नियन्त्रण विधेयक——

पुर:स्थापन का प्रस्ताव अस्वीकृत ६९२०—२२

विधेयक पुर:स्थापित——

(१) श्री राम कृष्ण गुप्त का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३०९ का संशोधन) ६९२३

(२) श्री राम कृष्ण गुप्त का विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक (धारा २ और २३ का संशोधन तथा धारा १९क, २३घ, २३ङ, तथा २३च का लोप) ६९२३

अधिकृत इंजीनियर संस्था विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव——वापस लिया गया ६९२३——२९

समान पारिश्रमिक विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६९३०——४१

दैनिक संक्षेपिका ६९४२—४८

अंक ६०—सोमवार, ४ मई, १९५९/१४ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या २१८९ से २१९६, २१९८, २१९९ और २२०२ से २२०७ . . . . ६९४९——७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३२ . ६९७४——७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या २१९७, २२००, २२०१ और २२०८ से २२१४ ६९७६—८०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८८४ से ३९३८, ३९४० से ३९४३, ३९४५, ३९४६ और ३९४८ से ३९५९ . . ६९८०—७०११

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२, ११४८ और ११४९ के उत्तरों में शुद्धि ७०१२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ७०१२–१३

राज्य सभा से सन्देश . ७०१३–१४

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—

राज्यसभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया ७०१५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . ७०१५

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन ७०१५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दुर्गापुर इस्पात परियोजना में दुर्घटना ७०१५–१६

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ७०१६

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक . ७०१६—४२

बिचार करने का प्रस्ताव . ७०१६—३६

खण्ड २ और १ . . ७०३६—४२

पारित करने का प्रस्ताव . ७०४२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६०४३–४५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ७०४५——६०

आधे घण्टे की चर्चा—

कर्मचारी भविष्य निधि योजना ७०६०—६६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७०६७—७३

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २४ अप्रैल, १९५९

४ वैशाख, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बरौनी का तेल शोधक कारखाना

+

†*२०२३ { श्री स० चं० सामन्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री नागी रेड्डी :
श्री रामम् :
श्री दामानी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री ले० अचौ० सिंह :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

†मूल अंग्रेजी में

श्री वासुदेवन नायर :
श्री सूपकार :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी के तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिये सहायता के संबन्ध में किसी देश से हो रही बातचीत के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार का ध्यान उस पैम्फलेट की ओर आकृष्ट किया गया है जो संसद् सदस्यों और पदाधिकारियों में बांटा गया है और जिसमें लिखा है कि बरौनी में तेल शोधक कारखाना लगाने में विलम्ब भारत सरकार की सुस्ती के कारण हुआ है और अभी तक सामग्री के संभरण के ठेके को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** पैम्फलेट के बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है । इसमें कोई विलम्ब भी नहीं हुआ है । मैंने बताया कि कई देशों से, जिनमें अमरीका और रूस भी शामिल हैं, बातचीत हो रही है । यह तो नहीं कहा जा सकता कि तेल शोधक कारखाने की स्थापना में विलम्ब हुआ है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या इस तेल शोधक कारखाने के लिये जमीन खरीद ली गई है और बातचीत का अन्तिम निर्णय कब होगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैंने बताया है कि बरौनी के तेल शोध कारखाने के बारे में रूस आदि कई देशों से बातचीत चल रही है । जब तक बातचीत पूरी नहीं होगी तब तक भूमि अर्जित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या इस कारखाने की लागत का प्राक्कलन तैयार किया गया है? यदि हां, तो वह कितना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** बरौनी के तेल शोधक कारखाने की लागत का प्राक्कलन रूस सरकार से हो रही बातचीत के परिणाम पर निर्भर करता है । बातचीत के परिणाम का पता चलने पर प्राक्कलन का पता चल सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी तक कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हमें दो या तीन प्रस्थापनाओं पर विचार करना है । मान लीजिये, वे एक प्रस्थापना स्वीकार नहीं करते और हमें उसमें कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, तब सारा प्राक्कलन बदल जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** इस तेल शोधक कारखाने का परियोजना अध्ययन जिस अमरीकन परामर्शदाताओं को फर्म को सौंपा गया था उसकी अन्तिम सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** अमरीकन परामर्शदाताओं, जिन्होंने उत्पादन का प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है, का प्रतिवेदन हमारी आवश्यकताओं पर आधारित है । हम लगभग ६०,००० टन चिकने तेल और कुछ 'एविग्रेशन स्पिरिट' का उत्पादन करना चाहते थे । अब इन सब मामलों पर विस्तृत रूप से विचार करना होगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** माननीय सभा-सचिव ने अभी-अभी बताया कि रूस और कुछ अन्य देशों से अभी बातचीत चल रही है । क्या मैं अन्य देशों के नाम जान सकता हूं ।

†**श्री के० दे० मालवीय:** मैं अपने सहकारी के उत्तर में एक बात यह भी बढ़ा देना चाहता हूं कि अन्य देशों के साथ बातचीत हो चुकी है और अब केवल रूस सरकार से ही बरौनी के तेल शोधक कारखाने के बारे में बातचीत हो रही है ।

†**श्री प्र० चं० बोस :** क्या सरकार ने बरौनी में कारखाना लगाने के लिये प्रारम्भिक कार्य, जैसे कि संचार आदि, आरम्भ कर दिये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी नहीं, अभी नहीं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस कारखाने के लिये आये अपेक्षित राशि का कितना प्रतिशत देश के अपने संसाधनों से उपलब्ध होगा और कितने प्रतिशत विदेशी सहायता प्राप्त होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** बातचीत पूरी हो जाने पर हम लोकसभा को बता सकेंगे कि कितने प्रतिशत विदेशी सहायता है और कितने प्रतिशत हमारा अंशदान है । हमारी कोशिश यह है कि हम उपकरण, मशीनरी और कारखाने के निर्माण के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करें । अर्थात् वह विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाये ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिये रूस की सहयता प्राप्त करने का अन्तिम निश्चय इसलिये किया है कि दूसरे देश हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे या उनकी शर्तें सरकार को स्वीकार्य नहीं थीं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जाहिर है कि अन्तिम परीक्षण करने पर हमने देखा है कि रूस सरकार की शर्तें हमें अधिक लाभप्रद दिखाई दीं ।

†**श्री सूपकार :** इससे पता चलता है कि कुछ बातचीत हो चुकी है । क्या वह लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है जब से तेल शोधक कारखाने में वास्तव में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** लक्ष्य तिथि १९६२ के प्रारम्भ में पड़ती है । हम पहले भी यह बता चुके हैं । परन्तु सम्भव है कि वह कुछ इधर उधर हो जाये ।

†**श्री हेम बरुआ :** मास्को में श्री के० दे० मालवीय के साथ जो बातचीत हुई थी क्या उसके पश्चात् सरकार से कोई बातचीत हुई थी और यदि हां, तो कितनी बार ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** ये प्रश्न व्यौरे के बारे में हैं और मैं इनका उत्तर नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिये कितने परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं और किस का अनुसरण किया जा रहा है ?

†**श्री के०दे० मालवीय :** मैं ने केवल एक प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन का जिक्र किया था जो एक अमरीकन परामर्शदाता ने तैयार किया था।

छोटे पैमाने की धमन भट्टी

+

†*२०२४

श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री बाजपेयी :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री अ० म० तारिक।
सरदार अ० सिं० सहगल :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने की धमन भट्टी के संचालन का अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ दल को चीन भेजने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या दल भेज दिया गया है;

(ग) दल की रचना क्या है;

(घ) क्या वह सरकार को अपना प्रतिवेदन देगा; और

(ङ) यदि हां, तो प्रतिवेदन कब तक मिलने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) और (ख). जी हां। वह दल १८ मार्च, १९५९ को चीन गया।

(ग) उस दल में निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि है :

लोहा तथा इस्पात विभाग

नैश्नल मैटलर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर

मैसूर आयर एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, और

भारतीय परामर्शदाता इंजीनियर

(घ) और (ङ). जी हां । आशा है कि वापस आने पर वह दल प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस शिष्टमंडल को चीन भेजने से पूर्व सरकार को इन धमन भट्टियों के बारे में कोई जानकारी थी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** सरकार को चीन से प्राप्त होने वाले पत्रों और वहां के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा दिये गये वक्तव्य से जानकारी मिली थी ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या हमारे देश में बटी हुई लौह अयस्क तथा अन्य धातुएं उस प्रकार की धमन भट्टियों के लिये उपयोगी होंगी जो चीन में प्रयोग की जाती हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** चीन में, जैसा कि माननीय मंत्री ने सभा में बताया था, उन्हें यह सुविधा है कि देश में विभिन्न भागों में मैटलर्जिकल कोयले के निक्षेप बटे हुए हैं । हमें यह सुविधा नहीं है । इसलिये हम 'लाइट शैफ्ट' भट्टी का प्रयोग कर रहे हैं जो कि पूर्व जर्मनी में बहुत लोकप्रिय है । हम चीन द्वारा अपनाये गये उस तरीके के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करना चाहते थे जिसका उन्होंने ऐसे ढंग में विस्तार किया है जिस में अन्य देश सफल नहीं हुए ।

†**श्री रंगा :** क्या कारण है कि चीन ने इस तरीके की खोज कर ली और भारत इस में असफल रहा ? क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि हमारे देश के लोग (ग्राम्य भट्टियों) में किन देशीय तरीकों से लोहे और इस्पात का उत्पादन किया करते थे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि हमारे देश के लोगों को थोड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन करने का यह तरीका मालूम है । देशीय तरीके से पिघला कर छोटे पैमाने पर लोहे का उत्पादन किया जाता है परन्तु आधुनिक तरीके बड़े उन्नत हैं । चीन के बारे में भी यह पता चला है , हालांकि औपचारिक रूप में कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है, कि गत वर्ष लाखों की संख्या में जो छोटी भट्टियां लगाई गई थीं वे लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई हैं और उन से बढ़िया लोहा तैयार नहीं होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि इनका प्रयोग छोड़ दिया जायेगा । इस का कारण सामान्यतः यह बताया जाता है कि इसका उद्देश्य लोगों में उत्साह पैदा करना और उन्हें प्रशिक्षित करना था और अब बड़े कारखानों पर जोर दिया जा रहा है ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या इस दल को भेजने से पूर्व चीन सरकार ने इस बारे में कोई संकेत दिया था कि वह भारत में इस प्रकार की छोटी भट्टियां लगाने में सहायता करेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जब हम इस प्रकार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये दलों को भेजते हैं तो हम मित्र देशों से भी इस प्रकार के आश्वासन नहीं मांगते । हम दूसरों के अनुभव से लाभ उठाते हैं । सम्भव है कि इस में कोई बिल्कुल नई बात न हो । उस दल को भेजने का उद्देश्य जानकारी एकत्र करना था न कि प्रत्यक्ष सहायता मांगना ।

†**श्री च० द० पांडे :** इस बात को देखते हुए कि दो या तीन मास पहले सरकार को मालूम था कि चीन में यह प्रयोग असफल रहा था फिर भी शिष्टमंडल क्यों भेजा गया ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** असफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने से भी बड़ा लाभ हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार को इन छोटी धमन भट्टियों की उत्पादन क्षमता के बारे में कोई जानकारी है और इन्हें लगाने में कितनी पूंजी विनियोजित होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वस्तुतः इन भट्टियों की उत्पादन क्षमता ३ से ७ टन होती है परन्तु चीन में और कई प्रकार की भट्टियां लगाई गई हैं जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग १५ से १०० या २०० टन प्रति दिन तक होती है । शायद ये भट्टियां कुछ इस प्रकार की हैं कि वे देश में तैयार करके उन से लाभ उठाया जा सकता है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** कितनी पूंजी लगेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** ग्राम्य क्षेत्रों में लगाई गई छोटी भट्टियों की पूंजी का हिसाब नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उन में स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किया था ।

पन्ना की हीरे की खान का राष्ट्रीयकरण

†*२०२५. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पन्ना की हीरे की खानों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने में क्या कठिनाइयां हैं अथवा ऐसा न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या खानों का काम चलाने के लिये कोई स्वायत शासी निगम अथवा सरकारी समवाय स्थापित करने का कोई निश्चय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र सिंह) :** (क) और (ख). पन्ना डायमंड खानों की आस्तियों को अर्जित करने के विभिन्न तरीकों, जिन में विधान बनाना भी शामिल है, पर विचार किया गया है । इस मंत्रालय को एक पेशकश मिली है जिस के आधार पर वह इन आस्तियों की मालिक कम्पनी के साथ बातचीत करके शीघ्र कोई समझौता करने के बारे में विचार कर रही है ।

(ग) इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि सरकार ने इस खान का राष्ट्रीयकरण करने की योजना बना ली है परन्तु रुपये की कमी के कारण शीघ्र इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** जी हां । विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कठिनाई भी है परन्तु यही एक कारण नहीं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि उपयुक्त समय से पूर्व राष्ट्रीयकरण की घोषणा हो जाने के कारण, जब कि सरकार इन खानों को अपने हाथ में लेने के लिये तैयार नहीं थी, इन हीरे की खानों में तीन वर्ष से काम बन्द पड़ा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यदि पन्ना की हीरे की खानों का काम बन्द हुआ तो उसका यह कारण नहीं था कि हम उन से बातचीत कर रहे थे । वास्तव में वे स्वयं वित्तीय अथवा प्रौद्योगिकीय

†मूल अंग्रेजी में

कारणों से खानों में काम का विस्तार करने में असमर्थ थे और उन्होंने किन्हीं कारणों से, जो केवल उन्हें ही मालूम हैं, काम बन्द कर दिया ।

†**श्री दासप्पा :** इस काम के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया और उनकी सिफारिशों पर विचार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** प्रतिकर देने और टैक्निकल सहायता देने के बारे में एक से अधिक समितियों ने विचार किया था । इस में कोई शक नहीं कि कुछ विलम्ब हुआ है । जब हम ऐसी परियोजनाओं को सरकारी क्षेत्र में लेना चाहते हैं तो अन्तर्कालीन अवस्था में ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । मुख्य प्रश्न यह था कि प्रतिकर कितना और किसे दिया जाना चाहिये । प्रतिकर निर्धारित करने में हमें बड़े ध्यान से काम करना होगा । इसलिये हमें कुछ समय लग गया । अब सब काम तैयार है और हमें आशा है कि कुछ एक सप्ताह में हर मामले के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा और पन्ना डायमंड क्षेत्र में विस्तृत खोज आरम्भ हो जायेगी ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार ने हीरे ढूंढने के जापानी अथवा चीनी ढंग का पता लगाया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** माननीय सदस्य अपना सुझाव सरकार को भेज दें ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि पन्ना की हीरे की खान का राष्ट्रीयकरण करने से पहले यह पता लगाया गया है कि उस में कितनी मात्रा में हीरा निकल सकता है और उसे लगातार कितने सालों तक चलाया जा सकता है और राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप इस में कितनी पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी ?

श्री के० दे० मालवीय : इस मामले में तहकीकात काफी की गई है और अब टैक्निकल अनुमान हमारा यही है कि उसका राष्ट्रीयकरण किया जाये और अगर डायमंड का उत्पादन किया जाये तो काफी मात्रा में वह होगा और उसके आसपास और भी हमें डायमंड की खानों का पता चला है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि वहां कितनी मात्रा में हीरा निकल सकता है और खान को कितने दिनों तक चलाया जा सकता है ।

श्री के० दे० मालवीय : मात्रा के अनुमान के बारे में दो अलग मत हैं । मोटे तौर पर यह निर्धारण किया गया है कि खानों में काम करना लाभप्रद है और ये चल सकती हैं । इन से हीरे प्राप्त हो सकते हैं । खान में से हीरे ५ वर्ष या २ वर्ष या १० वर्ष तक निकलते रहेंगे—यह इस पर निर्भर करता है कि वहां कितना काम होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है ?

श्री के० दे० मालवीय : मात्रा का अनुमान तो लगाया गया है परन्तु मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं, इस छोटे से क्षेत्र से शायद ८ या १० करोड़ रुपये के हीरे प्राप्त हो सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री विद्या चरण शुक्ल ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण होने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य विद्या चरण शुक्ल नहीं हैं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ एक सप्ताह में खोज शुरू हो जायेगी सरकार को इन खानों से कब से उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** खोज के काम में भी कुछ हीरे मिलने लगेंगे । कुछ छिद्र करने पर जब कुछ हीरे मिलेंगे तो बाकायदा खनन परियोजना आरम्भ करने के लिये और पूंजी लगाई जायेगी।

†**श्री नरसिंहन् :** क्या अभी रूस की मंत्रणा प्राप्त की गई थी और क्या उनका सहयोग प्राप्त करने का भी विचार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** पहले भाग का उत्तर स्वीकारात्मक और दूसरे का नकारात्मक है ।

†**श्री खादीवाला :** पन्ना की हीरे की खदान में पहले काम बहुत अच्छा चलता था और हीरा निकलता था । लेकिन उसको बन्द करने के बाद अब उस गति से वहां हीरा नहीं निकलता है, क्या यह बात सच है ?

श्री के० दे० मालवीय : यह भ्रान्ति है कि पहले डायमण्ड बहुत अच्छा निकलता था और बड़ी अच्छी माइनिंग होती थी । किसी हालत में, किसी स्टेज में हीरे की खान को ठीक तरह से नहीं चलाया गया और और बहुत अनुपयुक्त मात्रा में वहां पर डायमण्ड का उत्पादन होता था । किसी साल में एक लाख, किसी में दो लाख और शायद चार पांच साल तक ३–४ लाख पैदा हुआ । वह बिल्कुल उपयुक्त मात्रा में नहीं था । अब बड़े पैमाने पर हम करने का इरादा रखते हैं ।

श्री रा० स० तिवारी : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बीच में सरकार की ओर से वहां पर रोक लगा दी गई थी जिससे एक साल तक हीरा निकाला ही नहीं गया ?

श्री के० दे० मालवीय : कुछ समय के लिये जरूर सरकार ने रोक लगा दी थी और वह इसलिये कि कई प्रश्न उस समय देखे जा रहे थे । लेकिन फौरन ही सतह पर जो डायमण्ड माइनिंग कांट्रेक्टर्स काम करते हैं, उनको इजाज़त दे दी गई और वे अब बराबर कर रहे हैं । हां नीचे की माइनिंग वे नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा होता है ।

श्री रा० स० तिवारी : क्या यह सच है कि जब से सरकार ने राष्ट्रीयकरण का एलान किया है तब से वहां के ठेकेदारों में और जनता में विश्वास नहीं रहा और इस अविश्वास के कारण वहां एक साल से काम बन्द पड़ा है ? यदि यह सत्य है तो क्या सरकार जल्दी से जल्दी उसे हाथ में लेने की कोशिश करेगी ?

श्री के० दे० मालवीय जी हां, कुछ ऊपर के काम करने वाले लोगों में थोड़ा सा अविश्वास हो गया था मगर कोई चारा नहीं था और बहुत जल्दी काम शुरू होगा ।

प्राइवेट फर्मों में नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी

+

†*२०२६ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री फ० गो० सेन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पशुपति मंडल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री अपने लोकसभा में दिये गये १७ दिसम्बर, १९५८ के वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राइवेट फर्मों की नौकरी करने की अनुमति देने सम्बन्धी नीति का पुनरावलोकन किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पुनरावलोकन का क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह पता लगाया गया है कि कितने सेवा निवृत्त कर्मचारी इस समय गैर-सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और यदि हां, तो वह संख्या कितनी है ?

†**श्री दातार** : २५ मार्च, १९५८ को एक प्रश्न के उत्तर में ये आंकड़े बताये गये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनकी संख्या बढ़ गई होगी । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या कोई वृद्धि हुई है ?

†**श्री दातार** : जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: उस समय कितनी संख्या बताई गई थी ?

†**श्री दातार** : आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अफसरों की संख्या ५० थी । यह संख्या १९४७ से १९५७ तक के १० वर्षों की है । इसमें कई युरोपियन आई० सी० एस० अफसर भी थे जो संविधान में परिवर्तनों के कारण सेवा निवृत्त हो गये । भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के ९१ पदाधिकारी थे । इसके अतिरिक्त एक वक्तव्य भी दिया जा चुका है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सरकार वर्तमान सेवा नियमों में परिवर्तन करने का विचार कर रही है जिससे प्राइवेट फर्मों में नौकरी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ?

†**श्री दातार** : प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार आगे की कार्यवाही के बारे में विचार करेगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर कोई नियन्त्रण किया जायेगा जो पेन्शन लेने से इंकार कर देते हैं ?

†**श्री दातार** : ऐसे नियम पहले से मौजूद हैं जिनके अनुसार प्राइवेट फर्मों में नौकरी करने के लिये दो वर्ष में सरकार की इजाजत लेना पड़ती है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : गृह-कार्य मंत्रालय में प्राक्कलन समिति की जिन सिफारिशों पर विचार कर रहा है क्या उनमें यह प्रश्न भी शामिल है कि रेलवे मंत्रालय और आयकर विभाग के कर्मचारियों पर भी सेवानिवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी नौकरी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ?

†**श्री दातार**: आय कर विभाग हमारे अधीन है और रेलवे मन्त्रालय प्रायः हमारा अनुसरण करता है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या दिसम्बर, १९५८ में इस सभा में इस मामले पर चर्चा होने के पश्चात् किन्हीं सेवा निवृत्त पदाधिकारियों, प्रथम श्रेणी या आई० सी० एस० ने प्राइवेट फर्मों की नौकरी की है ?

†**श्री दातार** : मैंने १० वर्ष के आंकड़े बताये हैं । अभी १९५७ के आंकड़े मैंने एकत्र नहीं किये । परन्तु संख्या अधिक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री के उत्तर में संघ लोक-सेवा आयोग के समस्त सदस्य भी शामिल हैं या उन्हें अलग रखा जाता है ?

†**श्री दातार :** असैनिक सेवा विनियमों के अधीन के सब कर्मचारी इसमें शामिल हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** सदस्यों के असैनिक सेवा विनियमों की जानकारी होना जरूरी नहीं है।

†**श्री दातार :** यह सभी सरकारी विभागों पर लागू होता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न निश्चित है।

†**अध्यक्ष महोदय :** संघ लोग सेवा आयोग भी एक सरकारी विभाग है।

खंभात तेल क्षेत्र के लिये स्वायत्तशासी निगम

+

†*२०२७ { **श्री ले० अचौ सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हाल्दर :
श्री शिवनंजप्पा : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंभात तेल क्षेत्र के लिये एक स्वायत्तशासी स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक स्थापित किया जायेगा और उसके क्या क्या काम होंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि खंभात में प्रारम्भ में तेल की खोज के सम्बन्ध में जो उत्साह पैदा हुआ था, वह ,अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है क्योंकि वहां से प्राप्त होने वाले परिणाम आशा के अनुरूप नहीं हैं और यदि हां, तो मूल आशाओं और प्राप्त होने वाले परिणामों में कितना अन्तर है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** मैं माननीय सदस्य के इस अनुमान से सहमत नहीं हूं कि वहां के काम में उत्साह कम हो रहा है। प्राप्त किये जाने वाले तेल की मात्रा के संबंध में प्रविधिक अनुमान अभी लगाना है। हमें प्राप्त होने वाले परिणामों को धीरज से देखना चाहिये। मैं सभा को को अपने उस वक्तव्य के सम्बन्ध में स्मरण दिला देना चाहता हूं जिस में मैं ने कहा था कि हमें 'इस बारे में' आशापूर्ण दृष्टि रखनी चाहिये। जहां तक तेल की प्रविधिक जांच का सम्बन्ध है, आज की स्थिति वैसी ही है जैसे कि उस समय भी थी जब कि तेल की खोज की गयी थी।

†**श्री शिवनंजप्पा :** इस के लिये स्वायत शासी निगम स्थापित न किये जाने के क्या क्या कारण हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** उस तेल क्षेत्र में तेल की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये हमें कई स्थानों पर ड्रिलिंग करना पड़ेगा। मात्रा का अनुमान लगा लेने के बाद ही तो हम एक वाणिज्यिक निगम की स्थापना कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** उस क्षेत्र में अभी तक कितने कुंएं खोदे गये हैं और क्या यह सच है कि खंभात क्षेत्र का मानचित्रण अभी किया जाना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जहां तक खंभात में लुनेज तेल क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसका मानचित्रण कर लिया गया है और तेल सम्बन्धी सभी संभव स्थानों का हमें ज्ञान हो गया है । हमने वहां पर पहला छेद भी कर दिया है और उससे हमें तेल का संकेत मिला है । इस समय हमारे पास बर्मे (ड्रिल्स) नहीं हैं । हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं; और सरकार सभी बर्मों (ड्रिल्स) के लिये इकट्ठी ही मंजरी देगी । उन के प्राप्त होते ही हम भूमिछेदन कार्य शीघ्रता से प्रारम्भ कर देंगे । मैं सभा को यह भी सूचित कर देना चाहता हूं कि हमने अभी चार दिन पहले ही दूसरा छेद भी कर दिया है और अब तक लग भग ४०० मीटर तक गहरा छेद कर लिया है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या सरकार ने खंभात में या उसके आस पास तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है और यदि हां तो वह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा या कि गैर सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस बारे में उसी समय कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या दूसरे छेद से तेल का कुछ पता लगा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी अभी नहीं । तेल के बारे में पता लगाने के लिये हमें लगभग १००० मीटर और अधिक भूमि को छेदन करना पड़ेगा ।

†**श्री फीरोज गांधी :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान 'ईस्टर्न इकोनामिस्ट' के सम्पादकीय पत्र की ओर आकृष्ट किया गया है जिस में यह लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री यहां से तेल की खोज के बारे में अतिशयोक्ति पूर्ण वक्तव्य देते रहे हैं और उन्होंने यह भी घोषणा की है कि इस के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में योजना आयोग की ओर से ५०० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है या झूठ ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** पत्र के सम्पादकीय में मेरे जिन दो कथित बयानों की ओर संकेत किया गया है वे पूर्णतया असत्य हैं । मैंने कभी भी अतिशयोक्ति पूर्ण बयान नहीं दिये हैं और मैंने यह भी कभी नहीं कहा है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में उसके लिये ५०० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं ।

†**श्री क० उ० परमार :** माननीय मंत्री ने बताया है कि ड्रिलिंग उपकरणों के उपलब्ध न होने के कारण खंभात के काम में रूकावट पड़ रही है । उधर बंगाल में पांच बार ड्रिलिंग हुआ है, परन्तु तेल का कुछ भी पता नहीं लगा है । क्या सरकार राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुये उन उपकरणों को बंगाल से इस क्षेत्र के लिये मंगवा लेने का कोई विचार रखती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में इस्तेमाल किये जा रहे उपकरण हमारे नहीं हैं । वे तो एक विदेशी फर्म के हैं और वे वहां पर अपना काम कर रहे हैं । खंभात में इस्तेमाल किये जा रहे उपकरण हमारे अपने हैं, परन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं । हमें अभी अधिक उपकरणों की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड' में रिसीवरों और ट्रांसमिटरों का निर्माण

\+

†*२०२८. { **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ में 'भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ' में रिसीवरों और ट्रांसमीटरों के निर्माण में कुछ वृद्धि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई थी ; और

(ग) क्या इस से देश की इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण मांग दूर हो जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी, हां।

(ख) 'भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ' में १९५८–५९ में लगभग ६० लाख रुपयों की कीमत के ट्रांसमिटरों और रिसीवरों का निर्माण किया गया था, जब कि उस से पहले वर्ष में लगभग २७.५ लाख रुपयों की कीमत के ट्रांसमिटर और रिसीवर तैयार किये गये हैं।

(ग) अभी तो नहीं, परन्तु 'भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड उस सम्बन्ध में आने वाले सभी आर्डरों को पूरा कर सकेगा ।

†**श्री तंगामणि :** भारत एलेक्ट्रोनिक्स , बंगलौर की वास्तविक वार्षिक क्षमता कितनी है और उसका कितना वार्षिक उत्पादन है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** जहां तक ट्रांसमिटरों की उत्पादन क्षमता का सम्बन्ध है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हम उसके लिये आने वाले अधिक आर्डरों को पूरा करने के लिये किसी और क्षमता को भी इस्तेमाल करते हैं या नहीं। माननीय उपमंत्री ने बता दिया कि हम आने वाले सभी आर्डरों को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** वास्तव में प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मेरा अनुमान है कि इस समय भारत एलेक्ट्रोनिक्स में ५० प्रतिशत उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है।

†**श्री तंगामणि :** यह कहा गया था कि फैक्ट्री प्रकाश स्तम्भों में इस्तेमाल होने वाले एलेक्ट्रोनिक्स और रेडियो उपकरणों का उत्पादन भी प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यह उत्पादन कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह तो उस फैक्टरी का सामान्य काम है। जब भी प्रकाश स्तम्भों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई आर्डर आता है, उस फैक्ट्ररी में वस्तुएं तैयार कर दी जाती हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, इस कारखाने में इस दिशा में दो तीन वर्ष पहले उत्पादन शून्य के बराबर था। फिर १९५७–५८ में लगभग २७ लाख रुपयों की कीमत की वस्तुओं का निर्माण हुआ, १९५८

†मूल अंग्रेजी में

५९ में लगभग ६० लाख रुपये तक की कीमत की वस्तुओं का निर्माण हो गया और आशा है कि इस वर्ष कम से कम १ करोड़ रुपयों की कीमत की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकेगा। १९५२ में तो इस कारखाने की योजना तैयार की गयी थी। और इतने कम समय में इतनी अधिक उन्नति कर लेना कोई कम सफलता नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या यह सच है कि उत्पादन के बढ़ जाने से ट्रांसमिटरों की कीमतें गिर गयी हैं, और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** वह एक अलग प्रश्न है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** 'भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड' में होने वाले उत्पादन के प्रतिरक्षा सेवाओं के सिगनल कोर की मांगों को कहां तक पूरा किया जाता है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** सिगनल कोर की सभी वस्तुएं एलेक्ट्रोनिक्स फैक्टरी में तैयार नहीं की जा सकती। अधिकांश उपकरण हमारे पास हैं। नये आवश्यक उपकरणों को जो कि एलेक्ट्रोनिक अथवा उसी प्रकार के हुए तो उन्हें वहीं पर तैयार किया जायेगा। अधिकांश भाग को सैनिक इंजीनियरों द्वारा नवीन रूप से दे दिया जाता है। और इस प्रकार के सिगनल कोर का काम चल रहा है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच है कि 'भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड' के डिजायन सैक्शन में किन्हीं त्रुटियों के कारण वहां निर्मित बहुत से उपकरण, जैसे कि ट्रांसमिटर और रिसीवर, ठीक-ठीक काम नहीं करते और इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री रघुरामैया :** हमने अभी तक जितने भी उपकारण बनाये हैं वे तो संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। हमें इस बारे में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री रंगा** : यह स्वीकार किया गया था कि वहां पर काम पूर्ण क्षमता के अनुसार नहीं रहा है और आपने उसकी जांच करने के लिये प्राक्कलन समिति से कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि भारत एलेक्ट्रोनिक्स में वाल्वों का निर्माण प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में जो प्रयत्न किया जा रहा था, उसके संबंध में क्या स्थिति है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** वाल्वों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। इस बारे में एक करार भी कर लिया गया है। इस काम में तीन चार वर्ष का जो विलम्ब हो गया है, उसका कारण यह था कि हम इस बात का विनिश्चिथ करते रहे हैं कि जो कारखाना हमारे लिये वाल्व बनायेगा वह किसी और के लिये भी तो वाल्व नहीं बना रहा है। अब भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड हमारे लिये वाल्वों का निर्माण प्रारम्भ करने वाला है।

कुछ सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

केन्द्रीय युद्ध सामग्री कारखाना, छेवकी में स्थानीय क्रम में अनियमिततायें

+

†*२०२९. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री केशव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय युद्ध सामग्री कारखाना, छेवकी में स्थानीय क्रम में अनियमितताओं की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच—न्यायालय की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो, उस में उस के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). जांच-न्यायालय की रिपोर्ट सेना मुख्यालय (आर्मी हेडक्वार्टर्स) में आ गयी थी। वहां पर रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसे आगे जांच के लिये विशेष पुलिस संस्थापन के पास भेज दिया गया है ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** पहले प्रश्न का उत्तर देते समय यह कहा गया था कि रिपोर्ट ९-११-५८ को 'ईस्टर्न कमाण्ड' में पहुंच गयी थी और उस पर विचार किया जा रहा था। और अब यह बताया गया है कि रिपोर्ट सेना मुख्यालय में भेजी गयी है और उस ने उसे विशेष पुलिस के पास भेज दिया है। क्या यह जांच-न्यायालय विभागीय न्यायालय या और यह सच नहीं है कि इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। क्योंकि ईस्टर्न कमाण्ड के अत्याधिक जिम्मेवार अफसर स्वयं इस मामले में सम्मिलित हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** नहीं यह सच नहीं है। फिर, जब कोई मामला विचाराधीन हो उस समय इस प्रकार के आरोप लगाना उचित भी नहीं है। श्रीमान, आप से मेरा यह निवेदन है कि जब इस प्रकार से प्रतिरक्षा सम्बन्धी अफसरों पर निराधार आरोप लगाये जायें तो उस समय आप हमारी रक्षा करें। जांच न्यायालय की रिपोर्ट सेना मुख्यालय में प्राप्त हो गयी है। परन्तु हम किसी के भी विरुद्ध कार्यवही नहीं कर सकते जब तक कि उस मामले को विशेष पुलिस विभाग के पास न भेजा जाये। इस मामले में बहुत से असैनिक व्यक्ति फंसे हुए हैं। यह समझना भ्रम है कि इस मामले में विशेष रूप से सैनिक कर्मचारी ही फंसे हुए हैं।

अतः विशेष पुलिस इस बारे में जांच करेगी और यह बात सुविदित है कि विशेष पुलिस इतनी गति से काम नहीं करती जितनी गति से सेवा करती है। इसलिये हमें पुलिस की रिपोर्ट आने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

†**श्री केशव :** क्या इस जांच के निर्देश पदों में यह बात भी सम्मिलित है कि लग भग १ लाख रुपयों की कीमत के औज़ार इसलिये इस डिपो की जमीन में गाड़ दिये गये थे जो कि बाद में नष्ट कर दिये गये ?

†**श्री रघुरामैया :** हां। उसके बारे में अलग रूप से जांच की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने का प्रयत्न न करें। उन्हें केवलमात्र जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या यह सच नहीं है कि इस युद्ध-सामग्री कारखाने के वर्तमान आफिसर कमांडिंग ने इस जांच न्यायालय पर आपत्ति की थी और उसके परिणाम स्वरूप अब मामला कोर्ट मार्शल में है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** इस बारे में हमें ज्ञात नहीं है। मुझे नहीं ज्ञात कि भारतीय सेना के किसी भी अफसर ने आज्ञापालन करने से इन्कार किया हो।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या वह रिपोर्ट आगे जांच के लिये विशेष पुलिस के पास भेजी गयी या कि उस रिपोर्ट में पहले ही कुछ एक व्यक्तियों को दोषी घोषित कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया :** जांच-न्यायालय ने यह बताया है कि कुछ एक अफसरों के विरुद्ध प्रथम हष्ट्यावाद[1] है और इस लिये अब विशेष पुलिस संस्थापन प्रत्येक अफसर के सम्बन्ध में जांच करेगा और अब निर्णय देगा ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** चीफ़ आर्डिनेन्स अफसर द्वारा अधिक से अधिक कितनी कीमत तक की वस्तुओं की स्थानीय खरीद की जा सकती है और इस सम्बन्ध में किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है;

†**श्री रघुरामैया :** इस सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

किंग जार्जेज़ स्कूल, नौगांव

*२०३०. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ५ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१६ के उत्तर के संबंध में यह बात बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किंग जार्जेज़ स्कूल को नौगांव (झांसी) से पंजाब वापस लाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या स्कूल के वर्तमान नाम के बदले कोई उचित भारतीय नाम रखने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) तथा (ख). किंग जार्जेज़ स्कूल नौगांव (झांसी) को पंजाब ले जाने का निर्णय किया जा चुका है। ताहम, इस के लिये पहले जो नया स्थान चुना गया था, बहुत छान बीन के पश्चात उपयुक्त नहीं पाया गया । एक और स्थान जहां रहने को उपयुक्त स्थान भी प्राप्य हों, इस समय विचाराधीन है ।

(ग) तथा (घ). जी हां. । मामले पर विचार हो रहा है ।

श्री खादीवाला : अध्यक्ष महोदय, जब हिन्दी में प्रश्न पूछे जाते हैं तो अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने को कहा जाता है और जब कि मूल प्रश्न हिन्दी में दिया है तो उसका मूल उत्तर हिन्दी में न पढ़ कर अंग्रेजी वाला उत्तर पढ़ना मेरी समझ में नहीं आता, वह तो हिन्दी में ही पढ़ना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह हिन्दी नहीं बोल सकते हैं ।

†**श्री भक्त दर्शन :** मैं स्वयं हिन्दी में अपने प्रश्न पूछा करता हूं लेकिन आज इस अवसर पर मैं अंग्रेजी में प्रश्न पूछूंगा ।

इस सम्बन्ध में पंजाब के किस किस स्थान के बारे में विचार किया जा रहा है ?

†**श्री रघुरामैया :** हम बहुत से स्थानों के बारे में विचार कर रहे हैं ; परन्तु जब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक इन सभी स्थानों के नाम गिनाने से कोई लाभ नहीं है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** इस स्कूल के वर्तमान नाम के स्थान पर कोई दूसरा भारतीय नाम रखे जाने के सिलसिले में कौन कौन से नामों पर गौर किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]*Prima facie* case

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : जहां तक नाम का सम्बन्ध है, इस बारे में सम्बद्ध पक्षों से परामर्श किया जा रहा है। विशेष रूप से इस स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों से सलाह ली जा रही है। मामला अभी विचाराधीन है।

श्री रा० स० तिवारी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कूल को जालन्धर से नौगांव हटाये जाने का क्या कारण है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जहां तक मुझे स्मरण है इसे जालन्धर से इस लिये हटाया गया था कि पंजाब सरकार को उस स्थान की आवश्यकता थी। देश विभाजन के एक दम बाद पश्चिमी पंजाब से बहुत से सैनिक अफसरों को यहां पर आना पड़ा था।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस संस्था को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की अपेक्षा नयी संस्थायें खोलने के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनायी है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इस संस्था को तो इस लिये हटाया जा रहा है कि पंजाब में इस संस्था की आवश्यकता है। दूसरे मामले पर अलग रूप से विचार करना पड़ेगा। हमारी साधारणतया नीति यह है कि शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किये बिना ही इन संस्थाओं का विस्तार किया जाये।

श्री रा० स० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह स्कूल नौगांव से पंजाब में क्यों लाया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने इसका उत्तर दे दिया है।

†**श्री कृष्ण मेनन** : उस समय इसकी आवश्यकता थी। देश विभाजन के बाद पहले से सरकारी अफसर जालन्धर आ गये थे। सैनिक अफसरों का ध्यान रखते हुये ही सेवा में वैसा किया गया था। अर्थात् उस समय उस स्कूल का महत्व अधिक नहीं समझा गया था और इसलिये उसे अस्थायी रूप से नौगांव में भेज दिया गया था। अधिकतर विद्यार्थी पंजाबी थे। उनका पंजाब में रहना अधिक सुविधा जनक था। और फिर पंजाब का उस पर अधिकार भी है और हम लग भग बचन दे चुके हैं कि यदि पंजाब सरकार हमें इसके लिये उपयुक्त स्थान दे दे तो हम स्कूल को पुनः वापिस लाने को तैयार हैं।

†**श्री भक्त दर्शन** : इस सम्बन्ध में कब तक कोई अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने बता दिया है कि इस सम्बन्ध में निर्णय तो किया जा चुका है। अब तो केवल बनी बनायी इमारत की आवश्यकता है।

हाली मुद्रा

+

†२०३१ { **श्री मं० रं० कृष्ण** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में अभी तक बहुत सी हाली मुद्रा को भारतीय मुद्रा में नहीं बदला गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस मुद्रा को बदलने के संबंध में कोई अन्तिम तिथि निर्धारित कर ली गयी है ;

(ग) यदि हां, तो इस सुविधा को कब तक के लिये बढ़ा दिया गया है ; और

(घ) इसे पहले ही न बदल देने के क्या क्या कारण थे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) १५ अप्रैल, १९५९ को १८० लाख रुपयों की कीमत की हाली मुद्रा ऐसी थी जिसे उस समय तक नहीं बदला गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्तमान विनिमय सम्बन्धी सुविधायें ३० जून, १९५९ तक उपलब्ध रहेंगी।

(घ) मालूम होता है कि जिन लोगों के पास वह मुद्रा थी उन्होंने निर्धारित समय के अन्दर उस के विनिमय के लिये समक्ष प्राधिकारियों से प्रार्थना नहीं की होगी। यह भी संभव है कि इन में से कुछ उस्मानिया नोट तथा सिक्के इस समय प्रचलित न हो और न ही उन्हें बदलने के लिये लाया गया हो।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या यह सच है कि इन सिक्कों को न बदलने का मुख्य कारण यह है कि इन में चांदी पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जहां तक इसका संबंध है, हमें इस ऋण के बारे में ज्ञान नहीं है। उसका संभवतः एक मात्र कारण यही है कि लोगों को पता नहीं होगा कि उन्हें विनिमय सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हैं या यह भी हो सकता है कि कुछ सिक्के खोटे हों।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या यह सच है कि उस्मानिया सिक्कों में से बहुत से सिक्के अमेरिका भेज दिये गये हैं क्योंकि उस में पर्याप्त मात्रा में चांदी पायी जाती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या सरकार को इस बारे में कुछ जानकारी है कि इस प्रकार के कितने सिक्के हैदराबाद के निजाम और अन्य नवाबों के पास हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं नहीं समझती कि रिजर्व बैंक के पास इस प्रकार की जानकारी है।

†**श्री त्यागी** : सरकार किस दर से इस सिक्के का विनिमय करने का विचार करती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस सम्बन्ध में यह दर निश्चित किया गया था कि १०० रुपयों की भारतीय मुद्रा ११६–१०–८ रुपयों की राज्य मुद्रा के बराबर मानी जायेगी।

†**श्री रंगा** : क्या श्री मं० रं० कृष्ण द्वारा पूछे गये प्रश्नों में जिन बयानों का उल्लेख है उन के बारे में कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

†**श्री मती तारकेश्वरी सिन्हा** : हम निश्चित रूप से जांच करेंगे।

†**श्री त्यागी** : क्या उस सिक्के की वास्तविक कीमत आंकने का कोई प्रयत्न किया गया है और यदि हां, तो उसकी कितनी कीमत निकाली है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : दर प्रारम्भ में ही निश्चित कर दी गयी थी, जिस से यह स्पष्ट है कि उस की जांच अवश्य की गयी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक प्रबन्धक पूल

†*२०३२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रबन्धक पूल के लिये सरकारी सेवाओं तथा व्यापारिक और औद्योगिक संस्थाओं के क्रमशः कितने कितने व्यक्ति लिये गये हैं ; और

(ख) उनके आगे प्रशिक्षण और पुनरस्मरण के बारे में क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अभी तक औद्योगिक प्रबन्धक पूल में किसी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं की गयी है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस पूल के लिये २१२ व्यक्तियों की सिफारिश की है, इन में से ११० सरकारी सेवाओं के व्यक्ति हैं और शेष १०२ व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के।

(ख) केवल उन्हीं लोगों को चुना गया है कि जिनको सीधे ऐसे पदों पर नियुक्त किया जा सके। उनको सामान्य प्रकार का प्रशिक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस बात को देखते हुए कि सरकारी कर्मचारियों को वाणिज्यिक संस्थाओं का कोई अनुभव नहीं तथा वाणिज्यिक संस्थाओं के व्यक्तियों प्रशासकीय मशीनरी का कोई ज्ञान नहीं सरकार यह कैसे समझती है कि उनके लिये किसी प्रकार की पुनरस्मरण व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं ?

†**श्री दातार** : इनका संवरण करते समय इन सब बातों का पहले ध्यान रख लिया गया है ।

†**श्री तिरुमल राव** : इन व्यक्तियों को कैसे विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जायेगा ? क्या सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूची है कि विभिन्न सरकारी उद्योगों के लिये ऐसे कितने अधिकारियों की आवश्यकता है ?

†**श्री दातार** : जी हां। कई मंत्रालयों के पास ऐसी सूचियां हैं। इन में से ७५ व्यक्ति एक दम खप जायेंगे ।

†**श्री क० उ० परमार** : इस पूल के लिये कितने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के आवदन पत्र आये थे तथा उन में से कितने व्यक्ति चुने गये हैं ।

†**श्री दातार** : इस में अनुसूचित जातियों के ६ तथा अनुसूचित आदिम जातियों का १ व्यक्ति चुना गया है ।

†**श्री तंगामणि** : इन ७६ व्यक्तियों में से कितने लोगों को नियुक्ति की जा चुकी है ?

†**श्री दातार** : मैं कह चुका हूं कि ७५ आदमी तत्काल नियुक्त कर लिये जायेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : पहले भी एक बार यह कहा गया था कि उतने लोग तत्काल ले लिये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इन में से कितने व्यक्ति लिये जा चुके हैं और कितनों को लेना अभी शेष है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि ७५ आदमी ले लिये जायेंगे। इसका तात्पर्य है केवल १ व्यक्ति रह जायेगा। क्या यही स्थिति है माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पहले भी एक बार यही उत्तर दिया गया था। वह जानना चाहते हैं कि उस समय से अब तक क्या हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : उसके बाद हमने विभिन्न मंत्रालयों की एक बैठक बुलाई और यह निष्कर्ष निकला कि ७५ आदमी तत्काल लिये जा सकते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पूल के बनने से पहले तथा इन लोगों का चुनाव होने से पहले यह निश्चय कर लिया गया था कि इस पूल में से किन-किन पदों की पूर्ति की जायेगी तथा क्या ऐसे पदों या स्थानों की कोई सूची बनायी गई है ?

†**श्री दातार** : इन सब बातों पर विचार करके यह पूल बनाया गया है। यह निश्चित ही है कि इस पूल के कर्मचारी विभिन्न उद्योगों में प्रबन्धक आदि पदों पर नियुक्त किये जायेंगे जैसा कि इसका नाम प्रकट करता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न भिन्न था। जब कि कभी हम कोई सेवी वर्ग बनाते हैं तब हम एक पदाली तैयार करते हैं। हम जानते हैं कि ये पद भारतीय प्रशासकीय सेवाओं की पदाली में हैं। मैं यह जानना चाहता था कि इन सब पदों की कोई सुची तैयार की गयी है कि नहीं ? जिन पर कि इन लोगों को नियुक्त किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : हमने यह किया था। हमारे पास सात प्रकार के ग्रेडों के स्थान थे। इस पूल की भर्ती के बारे में जो अधिसूचना निकाली गई थी उस में इन सब का उल्लेख कर दिया गया था। इन के वेतनक्रम भी बता दिये गये थे और यह कहा गया था कि जहां कहीं भी आवश्यकता होगी इस पूल में से लोग लिये जायेंगे।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकारी क्षेत्र के निगमों तथा पंजीबद्ध कम्पनियों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे इसी पूल में से अधिकारी लें अथवा वे अपनी आवश्यकताअनुसार स्वतंत्रता से किसी भी अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं।

†**श्री दातार** : इस योजना में कई मंत्रालय भाग ले रहे हैं। वे इस पूल से अधिकारी लेने को तैयार हैं उनकी आवश्यकताओं का एक तखमीना लगाया गया था और उस के बाद यह प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया था। उन्होंने २१२ व्यक्तियों की सूची भेजी है। सरकार इन में से ७५ व्यक्तियों को तत्काल नियुक्त कर रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या विभिन्न राज्य निगमों में भी इस पूल में से अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी ?

†**श्री दातार** : जो निगम या सार्थे इस योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों के अधीन हैं वे इस पूल में से ही भर्ती करेंगी।

†**श्री त्यागी** : निगमों का अपना प्रबन्ध बोर्ड होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन के लिये यह अनिवार्य है कि केवल इस पूल में से ही अधिकारी नियुक्त करें अथवा वे अपने अधिकारी स्वतंत्रता से नियुक्त कर सकते हैं।

†**श्री दातार** : यदि वे पहले किसी अधिकारी या पद की सूचना दे चुके हैं तो उन्हें इस पूल में से नियुक्त करना पड़ेगा अन्यथा उन पर कोई पाबंदी नहीं है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि व्यापार प्रबन्धक पदाली से कितने स्थान भरे जायेंगे और क्या इनकी कोई सूचना तैयार की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इस का उत्तर दे चुके हैं कि कितने प्रकार के ग्रेडों के स्थान हैं और उनका क्या वेतनक्रम है आदि। क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वे कौन-कौन से ग्रेड तथा श्रेणियां हैं ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी सूची-तैयार की गई है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शायद आप यह जानना चाहते हैं कि कितने सहायक प्रबन्धक तथा उप-प्रबन्धक आदि हैं। क्या हमें इस सब विस्तार में पड़ने की कोई आवश्यकता है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मंत्री महोदय ने हमें केवल पूल का ढांचा बताया है जबकि प्रश्न बिल्कुल भिन्न तथा। प्रश्न यह था कि जिन पदों की पूर्ति के लिये यह पूल बनाया गया था क्या उनकी पूर्ति इस पूल के व्यक्तियों में से हुई है अथवा नहीं ?

†**श्री दातार** : यह कोई भिन्न प्रश्न नहीं है। इन सब पदों तथा इनके वेतन-क्रमों आदि का अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था। इन लोगों को इस पूल में रखा गया है। जिस मंत्रालय को ऐसे अधिकारी की आवश्यकता होगी उसको पूल में से वैसा अधिकारी दे दिया जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान् क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि वह इस योजना की एक प्रति सभा के पटल पर रख दें ताकि सब सदस्यों को पता चल जाये कि यह कैसी योजना है। फिर भी यदि वे कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वे उसको स्पष्टीकरण के रूप में पूछ सकते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हम इस सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस के लिये मुंह जबानी कहने से कुछ नहीं हो सकता। माननीय सदस्यों का इस का कायदा पता होना चाहिये।

भारत में संग्रहालयों संबंधी पुस्तक

+
†*२०३४. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वैज्ञानिक, गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संग्रहालयों सम्बन्धी कोई पुस्तक तैयार करने और छपवाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस स्तर पर है ?

†**वैज्ञानिक, गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) जी हां। भारत में संग्रहालयों सम्बन्धी एक निर्देशिका (डायरेक्टरी) तैयार की जा रही है।

(ख) इसकी पांडुलिपि मई, १९५९ तक तैयार हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अरविन्द घोषाल : क्या विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के संग्रहालयों का भी इसमें वर्णन होगा ?

†श्री हुमायुन् कबिर: इसमें लगभग १६० संग्रहालयों का वर्णन होगा ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : यह किस भाषा में प्रकाशित होगी ?

†श्री हुमायुन् कबिर : यह अंग्रेजी में तैयार की जा रही है किन्तु भारतीय भाषाओं में भी इसके संस्करण तैयार किये जायेंगे ।

†श्री हेम बरुआ : क्या इसमें विभिन्न संग्रहालयों की स्थापना, पृष्ठभूमि तथा उसकी वस्तुओं का इतिहास भी दिया जायेगा या यह केवल टेलीफोन डायरेक्टरी की भांती उनको एक सूची मात्र होगी ?

†श्री हुमायून् कबीर : संग्रहालयों की डायरेक्टरी और टेलीफोन डायरेक्टरी में जमीन आसमान का अन्तर होता है ।

†श्री हेम बरुआ : आप ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया कि क्या इसमें विभिन्न संग्रहों की प्राप्ति का इतिहास तथा उनकी इतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास के विभिन्न स्तरों का वर्णन आदि दिया जायेगा अथवा नहीं ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये नहीं कह सकता । एक ओर तो माननीय सदस्य उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी चाहते हैं और दूसरी ओर टेलीफोन डायरेक्टरी से उपमा देकर उसका उपहास उड़ाना चाहते हैं । इस प्रकार के व्यंग्यात्मक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कस, भद्रावती

†*२०३५. श्री शिवनंजप्पा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कस, भद्रावती को द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मैसूर सरकार को यह सूचना दी है कि मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कस को तभी कोई ऋण दिया जा सकता है जब वह अपने आप को एक निगम में बदल ले; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में मैसूर सरकार का क्या रवैया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार और मैसूर सरकार कुछ समय से मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कस के चलाने के लिये एक निगम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है । मैसूर सरकार निगम बनाने के लिये सहमत है और अब इसकी विस्तृत रूप-रेखा तैयार की जा रही है ।

†श्री शिवनंजप्पा : क्या भारत सरकार का इस के सम्बन्ध में कोई हाथ है ?

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न क्या है ?

†श्री शिवनंजप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि इस सार्थ के प्रबन्ध में केन्द्रीय सरकार का कितना हाथ है ?

†अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आया कि सभा-सचिव महोदय ने क्या उत्तर दिया है ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : इस समय भारत सरकार इस कम्पनी के प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं बटा रही है ।

†श्री शिवनंजप्पा : वहां पर बेसीमर स्टील प्लांट और स्टेनलेस स्टील प्लांट बनाने के प्रस्ताव का क्या हुआ है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : वहां पर केवल बेसीमर स्टील प्लांट बनाने का प्रस्ताव है ।

†श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि यह कम्पनी कई वर्ष से बड़ी सफलता से चल रही है और इसको बड़ा लाभ हो रहा है । यदि हां तो फिर भारत सरकार ने इसको निगम में परिवर्तित होने का क्यों आग्रह किया है तथा इस के बारे में प्रबन्धकों तथा राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : यह विषय प्रशुल्क आयोग के सामने रखा गया था और आयोग ने ही यह राय दी है कि कुशलता की दृष्टि से यह अच्छा होगा कि इन का इंतजाम किसी सरकारी विभाग की बजाय एक निगम अथवा कम्पनी के हाथ में हो । मैसूर सरकार तथा भारत सरकार दोनों ने इस पर विचार किया और अब मैसूर सरकार एक निगम बनाने के लिये सहमत हो गई है ।

†श्री बासप्पा : इस बात को देखते हुए कि मैसूर की विधान सभा में निगम की स्थापना पर बड़ा तीव्र मतभेद है और यह कारखाना छोटे से निवेश से काफी लाभ दिखाता रहा है तथा वर्तमान व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है फिर भी सरकार निगम बनाने पर क्यों बल दे रही है ? यदि मैसूर सरकार अपना रूपया लगाने को तैयार हो तब क्या यह सरकार उस को वर्तमान रुप में विकास करने के लिये सहायता देने को तैयार है ?

†अध्यक्ष महोदय : अब यह प्रश्न कैसे पैदा होता है । मंत्री महोदय कह चुके हैं कि मैसूर सरकार निगम की स्थापना के लिये तैयार हो गई है । यदि माननीय सदस्य का वहां की सरकार से कोई झगड़ा है तो उन्हें

†श्री बासप्पा : श्रीमान् वहां की वर्तमान व्यवस्था बहुत अच्छी है ।

†अध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य की राय है । राज्य सरकार अन्यथा सोचती है और वह वैसे करने को तैयार भी है । हम इसका यहां फैसला नहीं कर सकते ।

†श्री मोहम्मद इमाम : क्या यह सच नहीं है कि मैसूर सरकार को इस बात प : सहमत होने के लिये मजबूर किया गया है क्योंकि उनको यह कहा गया था कि जब तक निगम नहीं बनाया जायेगा उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा सकती ? उसने मजबूर होकर यह फैसला किया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : ऐसे मामलों में दबाव की दुहाई देना बड़ा सामान्य हो गया है। किन्तु करार-करार होता है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि यह सच है कि यह कम्पनी लाभ दिखा रही थी फिर प्रशुल्क आयोग ने निगम बनाने की क्यों सिफारिश की है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : हम यह नहीं कह सकते कि यह वाणिज्यिक दृष्टि से लाभ में चल रही थी। केवल विभागीय रूप में ही यह लाभ दिखा रही थी। यह एक सरकारी विभाग के रूप में चलायी जा रही थी एक वाणिज्यिक सार्थ के रूप में नहीं। इस बात को देखते हुए ही प्रशुल्क आयोग ने अपनी सिफारिश की है, इस के कारण आयोग की रिपोर्ट में विस्तार से दिये हुए हैं। वह रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और माननीय सदस्या वहां पर इसके कारण देख सकती हैं।

†श्री शंकरय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि आयोग की सिफारिश एक स्वतंत्र बोर्ड बनाने की थी या निगम ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : निगम भी एक प्रकार की ऐसी संस्था है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। अतः बोर्ड या निगम में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। यदि हम निगम बनायेंगे तो हमें एक पृथक परिनियम बनाना पड़ेगा और यदि कम्पनी बनायेंगे तो उसे कम्पनी लां के अधीन रहना पड़ेगा। सिफारिश यह थी कि यह एक सरकारी विभाग के रूप में न चलाया जाये या तो इस के लिये एक निगम बनाया जाय या यह एक वाणिज्यिक कंपनी के रूप में चलाया जाय।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वे सरकार पर आश्रित हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

†श्री वोडियार : क्या मैसूर की विधान सभा निगम बनाने के पक्ष में नहीं है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

†अध्यक्ष महोदय : क्या मैसूर विधान सभा ने कोई ऐसा संकल्प पारित किया है ? जब तक विधान सभा इस के पक्ष में या विपक्ष में कोई संकल्प नहीं पारित करती, केवल यह देख कर कि क्योंकि इस सभा के चार व्यक्ति उसका विरोध कर रहे हैं, यह कैसे कहा जा सकता है, कि वह उसके विरुद्ध है ? सरकार भी विधान सभा का एक अंग है। माननीय सदस्य अपने राज्य में जा कर चाहें जो करें परन्तु यहां इस विषय का निर्णय नहीं हो सकता ?

†श्री तिम्मया : क्या यह सच है कि पहली सरकार इस प्रस्ताव से असहमत थी किन्तु वर्तमान मंत्रि-मंडल ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : पहला मंत्रि-मंडल भी इस से असहमत नहीं था। वह केवल इस पर विचार कर रहा था।

†अध्यक्ष महोदय : मैसूर विधान सभा में चाहे कुछ हुआ हो किन्तु मैं देखता हूं कि यहां पर मैसूर के चारों सदस्य इस के विरुद्ध हैं।

†सरदार स्वर्ण सिंह: मैं समझता हूं कि इन को नये तथ्य नहीं ज्ञात हैं और वे पुरानी सूचना के अनुसार ही चल रहे हैं। कदाचित इन को वहां की नयी विचार धारा का ज्ञान नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** मैं अभी केवल २ सप्ताह पहले वहां गया था और मैं समझता हूं कि वहां पर इसको कोई पसन्द नहीं करता है ।

†**श्री आचार :** क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जब तक निगम न बन जाये तब तक कोई सहायता देने से इन्कार कर दिया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह समस्या कभी इस रूप में हमारे सामने नहीं आयी ।

मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*२०३६. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न कालिजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन को १९५७-५८ और १९५८-५९ में आगे पढ़ाई के लिये इस आधार पर छात्रवृत्तियां नहीं दी गई हैं कि उनके आवेदनपत्र देरी से पहुंचे हैं ;

(ख) क्या कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन में विद्यार्थियों ने कालिज के अधिकारियों को ठीक समय पर आवेदन पत्र दे दिये थे किन्तु कालिज वालों को उन आवेदनपत्रों को आगे भेजने में देर हो गई थी, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २८]**

†**श्री भा० कृ गायकवाड़ :** क्या सरकार को ज्ञान है कि कुछ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों ने छात्रवृति बोर्ड को अपने आवेदनपत्र भेजे थे किन्तु वे बोर्ड के कार्यालय में गायब हो गये । इसका उत्तरदायी कौन है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसे कितने छात्र हैं ? क्या यह किसी एक छात्र का मामला है ?

†**एक माननीय सदस्य :** हम इनकी संख्या जानना चाहते हैं?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** मेरे पास ऐसे कई मामले हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या आपने कभी इनको मंत्री महोदय के पास भेजा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इसका उत्तर देना कठिन है । यदि आप मुझे कोई विशेष मामला बतला सकें तो मैं उसकी जांच करने को तैयार हूं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** ऐसे कई मामले भेजे गये हैं किन्तु उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शान्ति । क्या माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय को कभी इनके बारे में लिखा है ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** मैं ने संबंधित विभाग को लिखा है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदयः** आप यहां मंत्री से यह बातें कह रहे हैं। मंत्री इस सभा के सामने उत्तरदायी हैं, उसका कार्यालय नहीं। यदि उन के कार्यालय में कुछ भी गड़-बड़ी है तो मंत्री महोदय को लिखना चाहिये। इस प्रकार के प्रश्न पूछने से पहले मंत्री को पूछना बड़ा आवश्यक है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** श्रीमान मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। यदि प्रश्न में सीधे यह पूछा गया होता कि ऐसे कितने मामले हैं तो अधिक अच्छा रहता। किन्तु अब भी मूल प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। प्रश्नों का उत्तर कार्यालय ही तैयार करता है मंत्री स्वयं नहीं। कार्यालय को इस प्रकार की सूचना देनी चाहिये थी। किन्तु मालूम पड़ता है कि मंत्री महोदय को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयी। अवश्य ही कार्यालय में कुछ गड़-बड़ होगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** श्रीमान हमने सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य ने विवरण को देखा है या नहीं। जितना प्रश्न पूछा गया था उसका पूरा उत्तर दिया गया है। यदि आप को कोई विशेष शिकायत है तो उसका मैं यूं ही उत्तर नहीं दे सकता। आप मुझे विशेष मामला बताइये मैं उसकी जांच कर के आपका समाधान करने को तैयार हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खेल-कूद प्रशिक्षण शिविर

†*२०३२. { **श्री पांगरकर :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेल-कूद प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन का कार्य-क्रम १९५९-६० में जारी रहेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** जी हां।

रूमानिया से मिट्टी के तेल का आयात

†*२०३७. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय समवाय को रूमानिया से मिट्टी का तेल और डीजल तेल के आयात करने की आज्ञा दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो समवाय का क्या नाम है;

(ग) कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में मिट्टी और डीजल के तेलों के आयात करने की आज्ञा दी गयी; और

(घ) इस मिट्टी के तेल का तटागत मूल्य क्या है और भारत में यह किस मूल्य पर बेचा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ), प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सैनिक संगीत का प्रतिलिप्यधिकार

†*२०३८. श्री वोडियार : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय सैनिक संगीत के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). १९५८ में दो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार अभिसमयों के भारत सरकार के अनुसमर्थन से भारतीय कार्यों को प्राप्त होने वाले सामान्य अधिकार भारतीय सैनिक संगीत के प्रकाशन पर भी लागू होते हैं ।

बर्न अभिसमय वाले देशों में प्रतिलिप्यधिकार के बारे में किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। विश्व प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय में कुछ औपचारिकतायें विहित हैं और प्रकाशकों को विश्व प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय सम्बन्धी अन्तर्नियम में दिये गये रूप में प्रकाशनों में प्रतिलिप्यधिकार नोटिस को कहा गया है । भारतीय सैनिक संगीत के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार के बारे में किसी और विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

कोयले का निर्यात

†*२०२९. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ में हांग कांग, सूडान और मडागास्कर को कोयले का कोई निर्यात नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस के कारण कितनी विदेशी मुद्रा की आय की हानि हुई ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय कोयले के लिये सूडान और मडागास्कर केवल अस्थायी मार्केट हैं । पहले ने भारतीय कोयला पिछले पांच वर्षों में केवल एक बार और दूसरे ने केवल दो बार खरीदा है। हांग-कांग की मांग भी स्थिर नहीं है। यह मुख्यतः संग्रह करने के लिये कोयला खरीदा करता था और अब इसकी मांग भी कम हो गयी है क्योंकि जहाज अब तेल का अधिक प्रयोग करते हैं। दूसरा कारण चीन से स्पर्धा है ।

(ग) अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाजा में भारतीय सैनिक

†*२०४ { श्री० प्र० गं० देब :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री वोडयार :
श्री सै० अ० मेंहदी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजा (संयुक्त अरब गणराज्य) में कुछ भारतीय सैनिक हाल ही में घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ और इजरायल से कोई विरोध प्रकट किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). बताया जाता है कि ३ अप्रैल, १९५९ को चार भारतीय सैनिक जिस समय इजारायली क्षेत्र में पकड़ी गयी एक स्त्री को स्थानीय पुलिस थाने ले जा रहे थे उस समय कुछ स्थानीय अरब लोगों ने उनको जबर्दस्ती रोकना चाहा जिस से चार भारतीय सैनिक घायल हो गये ।

(ग) जी नहीं । पूरा प्रतिवेदन उपलब्ध होने के बाद, जिस के शीघ्र ही आने की आशा है, इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

अंशदायी स्वास्थ्य योजना का प्रतिरक्षा अधिष्ठापनों के कर्मचारियों पर लागू होना

†*२०४१. { श्री केशव :
श्री स० म० बनर्जी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से बार-बार इस आशय के अभ्यावेदन किये गये हैं कि अंशदायी स्वास्थ्य योजना दिल्ली क्षेत्र के प्रतिरक्षा अधिष्ठापनों के कर्मचारियों पर भी लागू कर दी जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) यदि तात्पर्य अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना से है तो इसका उत्तर हां है ।

(ख) फिल हाल दिल्ली छावनी और शकूर बस्ती में काम करने वाले लगभग ९२०० कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के क्षेत्र में नहीं आते । अब यह निश्चय किया गया है कि नई दिल्ली और भूतपूर्व दिल्ली नगर पालिका समिति की सीमा में रहने वाले लगभग ५,५०० कर्मचारियों को, जिन के लिये व्यवस्था की जा सकती है, इस योजना के अधीन ले आया जाय । आशा की जाती है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था कुछ महीनों के भीतर पूरी हो जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय वायुसेना का कैनबरा विमान

†२०४२. **श्री बाजपेयी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस भारतीय कैनबरा विमान के, जिसे पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने १० अप्रैल, १९५९ को मार गिराया था, चालक स्क्वाड्रन-लीडर सेन गुप्ता ने पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्रालय के कथनानुसार यह वक्तव्य दिया या ऐसे किसी वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये हैं जिस में यह कहा गया है कि कुछ सैनिक लक्ष्यों के फोटो उतारने के लिये उन्होंने जानबूझ कर पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र का अतिक्रमण किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बात का निश्चय करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया बताया जाता है वह सच्चा है और जबर्दस्ती नहीं दिलवाया गया था; और

(ग) यदि उसके कुछ परिणाम निकले हों तो वह क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : माननीय सदस्य का ध्यान उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया जाता है जो इस विषय पर २१–४–१९५९ को मैं ने लोक-सभा में दिया था।

धनकर

†*२०४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से इस बात का पता लगा लिया है कि अन्य करों को छिपाने की घटनाओं का पता लगाने के काम पर धनकर का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, किस प्रकार के प्रभाव का पता लगा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रतिरक्षा संगठन में अयुद्धकारी कर्मचारीयों के लिये भत्ते

†*२०४४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रतिरक्षा संगठनों में नौकरी के लिये भर्त्ती किये गये अयुद्धकारी कर्मचारी मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता पाने के अधिकारी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजोठिया)** : (क) और (ख). नयी वेतन संहिता के अधीन वेतन पाने वाले अयुद्धकारी (भर्त्ती किये गये) कर्मचारी सेना के अफसरों के पद से नीचे के अन्य सभी कर्मचारियों की तरह, जिन्हें नयी वेतन संहिता की दरों पर वेतन मिलता है, मंहगाई और प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता पाने के अधिकारी हैं। प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के लिये ये भत्ते नयी वेतन संहिता द्वारा लागू वेतन की नयी दरों के साथ-साथ लागू किये गये थे और इसीलिये

†मूल अंग्रेजी में

ये भत्ते अयुद्धकारी उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जिन्हें उक्त वेतन संहिता के अधीन वेतन नहीं दिया जाता ।

दिल्ली में मद्यपान की प्रवृत्ति

*२०४५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जन सम्पर्क समिति ने दिल्ली में मद्यपान की प्रवृत्ति के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी पुष्टि के लिये समिति ने कौन से तथ्य पेश किये हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में समिति ने कौन से उपाय सुझाये हैं; और

(घ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). इस विषय पर कमेटी के कुछ सदस्यों ने साधारण तौर पर अपनी राय जाहिर की थी ।

(ग) उन्होंने शराब-बन्दी प्रचार के काम के लिये एक प्रचार यूनिट बनाने का सुझाव दिया है ।

(घ) एक शराब-बन्दी प्रचार यूनिट बनाने और उसके कर्मचारियों की मंजूरी देने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

पुराने युद्धोपकरणों को 'डिफ्यूज' करना

†*२०४६. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के मेसर्स हार्ड मोटर्स ने पुराने युद्धोपकरणों को 'डिफ्यूज' करने का कार्य पूरा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह ठेका किस तारीख को पूरा हुआ; और

(ग) पीतल और तांबे का जो कबाड़ (स्क्रैप) प्राप्त हुआ है उसकी मौजूदा कीमत कितनी होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). जी हां, इस फर्म ने ठेके के अधीन सभी कार्य नियत तिथि, अर्थात २८ फरवरी, १९५९ को, सरकार के लिये पूर्णतः संतोषप्रद ढंग से सफलतापूर्वक पूरे कर दिये ।

(ग) पीतल और तांबे के कबाड़ के प्रचलित भावों के आधार पर लगभग ६५ लाख रुपये ।

अपरिष्कृत तेल

†*२०४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अपरिष्कृत

†मूल अंग्रेजी में

तेल के नये स्त्रोतों की खोज द्वारा और उनका पता लगा कर अपरिष्कृत तेल के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये अब तक किये गये प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २९**]

महेन्द्रगढ़ और हिसार जिलों में अल्प बचत योजनाय

†२४७९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के महेन्द्रगढ़ और हिसार जिलों में अल्प बचत योजना के अधीन १९५८-५९ में कुल कितनी राशि जमा हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अप्रैल, १९५८ से फरवरी, १९५९ तक कुल मिलाकर १,३३ लाख रुपये (लगभग) जिला हिसार में और २० लाख रुपये (लगभग) जिला महेन्द्रगढ़ में जमा हुए हैं ।

भारत के तेल शोधक कारखानों में लगी विदेशी और भारतीय पूंजी

†३४८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल शोधक कारखानों में कितनी-कितनी विदेशी और भारतीय पूंजी लगी है; और

(ख) तेल शोधक कारखानों में भारतीय पूंजी के निक्षेप में वृद्धि के लिय क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) कम्पनियों द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कम्पनी का नाम	लगी पूंजी (१-१-१९५८ को)	
	भारतीय	विदेशी
	रुपये	रुपये
१. एस० वी० आर० सी०	५७,८६६,०८५	१२२,४०२,४२५
२. बी० एस० आर०	१७८,८९०,८१३	१४६,७१८,३७२
३. सी० ओ० आर० आई० एल०	४८,२४६,०३६	९३,३६६,५७९

(ख) सरकारी क्षेत्र के दो तेल-शोधक कारखानों का नियंत्रण करने के लिये ३० करोड़ रुपयों की अधिकृत पूंजी की एक पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी की स्थापना की गयी है ।

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों में लगी विदेशी पूंजी

†३४८१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कोयला खानों में इस समय कुल कितनी विदेशी पूंजी लगी है ;

(ख) इस उद्योग में कितनी भारतीय पूंजी लगी है; और

(ग) कोयला खानों में लगी भारतीय पूंजी के अंश में वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). भारत के कोयला उद्योग में लगी विदेशी और भारतीय पूंजी के सम्बन्ध में पृथक पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि समवाय अधिनियम में, जिसके अधीन अंश-पूंजी सम्बन्धी वार्षिक विवरणियां दाखिल करनी पड़ती हैं, संयुक्त स्कन्ध समवायों के अंशधारियों (सदस्यों) की राष्ट्रीयता प्रगट करने का उपबन्ध नहीं है। फिर भी, भारत के रक्षित बैंक के सितम्बर, १९५८ के बलेटिन में प्रकाशित "भारत में विदेशी पूंजी-निक्षेपों की हाल की प्रवृत्ति" सम्बन्धी एक विवरण के अनुसार १९५६ के अन्त में कोयला उद्योग में ३·४९ करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगी बतायी जाती है। समवाय विधि प्रशासन विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार उसी अवधि में कोयले के संयुक्त स्कन्ध समवायों में लगी कुल पूंजी २२·८० करोड़ रुपये थी।

(ग) १९५६ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अधीन कोयला खानों का समस्त नया विकास कार्य सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा जिसका अर्थ यह हुआ कि इस उद्योग में अब जो भी बड़ी पूंजी लगायी जायेगी वह भारतीय ही होगी। इस के अलावा, खान तथा खनिज पदार्थ (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५६ के अधीन भारत सरकार की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्तियों को, जो भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं, कोयला सम्बन्धी रियायतें नहीं दी जा सकती हैं, और इससे भी विदेशी पूंजी लगाने पर प्रतिबन्ध लग जाता है।

हिमाचल प्रदेश की विकास योजनायें

†३४८२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में व्यय की गयी राशि सम्बन्धी जानकारी अब एकत्र हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां।

	(लाख रुपयों में)
(ख) (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन हिमाचल प्रदेश को दी गयी राशि में से १-४-५६ से ३१-१२-५८ तक व्यय की गयी राशि	५८८.९६

†मूल अंग्रेजी में

(लाख रुपयों में)

२. योजना सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में १-५-५६ से ३१-१२-५८ की अवधि में प्रशासन पर हुआ व्यय	५५.७१
३. योजना के अधीन वाली वास्तविक योजनाओं पर १-४-५६ से ३१-१२-५८ तक की अवधि में हुआ व्यय	५३३.२५
४. योजना की योजनाओं के लिये १९५८-५९ के लिये अलग की गयी राशि में से १-४-५८ से ३१-१२-५८ तक हुआ व्यय	१३६.६५

जादवपुर और उज्जैन विश्वविद्यालयों को अनुदान

†३४८३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जादवपुर और उज्जैन विश्वविद्यालयों को कितने अनुदान दिये; और

(ख) उसी अविध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जादवपुर और उज्जन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों को अपने अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये कितनी राशियां अनुदान के रूप में दीं ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**

(क) जाधवपुर विश्वविद्यालय १८,२८,०२५ रुपये ७५ न० पै०

विक्रम विश्वविद्यालय (उज्जैन) . . कुछ नहीं ।

(ख) जाधवपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई कालेज नहीं है और विक्रम विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध कालेजों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दो कालेजों के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिये कोई याचना प्राप्त नहीं हुई है ।

बम्बई सरकार को सहायता

†३४८४. **श्री पांगरकर :** क्या वित्त मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में बम्बई सरकार को उस राज्य के नान-गजेटिड तथा अन्य कम वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिये सहायता के तौर पर कितनी राशि दी गई; और

(ख) इस में राज्य ने कितना अंशदान दिया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) १९५८-५९ में बम्बई सरकार को कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की उपलब्धियां बढ़ाने के लिये ८१ लाख रुपये केन्द्रीय अनुदान दिया गया था। यह बम्बई सरकार द्वारा बताये गये प्राक्कलन पर आधारित था और लेखापरीक्षा के समय असल खते हुए इसका समायोजन किया जायेगा ।

(ख) राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं के कम वेतन वाले कर्मचारियों और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की उपलब्धियां बढ़ाने की केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत इन कामों पर कुल खर्च का दो तिहाई अंश केन्द्रीय सरकार इस शर्त पर देती है कि प्रत्येक वेतनवृद्धि १२ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

मासिक से अधिक न हो और वृद्धि पाने वाले व्यक्ति की उपलब्धियां (अर्थात् वेतन और मंहगाई भत्ता) वृद्धि के पश्चात् १०० रुपये मासिक से अधिक न हो। शेष एक तिहाई खर्च राज्य सरकार को वहां करना पड़ता है।

बम्बई में अल्प बचत योजना

†२४८५. **श्री पांगरकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में बम्बई राज्य में जिलावार अल्प बचत योजना में अन्तर्गत कुल कितनी राशि एकत्र की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** बम्बई राज्य में अप्रैल, १९५८ से दिसम्बर, १९५८ तक एकत्र की गई राशियों के जिलावार आंकड़ संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३०**]

स्कूल के बच्चों के लिये दोपहर का भोजन

†३४८६. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वाजपेयी :
श्री कोडियान :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या शिक्षा मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है और प्रत्येक राज्य में उन बच्चों की संख्या क्या है; और

(ख) १९५८-५९ में प्रत्येक राज्य को भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कितनी राज्य सहायता अथवा अनुदान दिया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) १९५८-५९ में राज्यों को केन्द्रीय अनुदान योजनावार नहीं बल्कि ग्रुप वार दिये गये थे। इस लिये यह बताना सम्भव नहीं कि किसी विशेष योजना के लिये किसी राज्य को कितनी राशि दी गई थी।

भारत-पाक बैंकिंग करार

†३४८७. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक बैंकिंग करार, १९५९ के अन्तर्गत भारत में बैंकिंग समवायों ने दिसम्बर, १९५८ से मार्च, १९५९ तक के प्रत्येक मास में जो आस्तियां प्राप्त कीं उनका मूल्य क्या है; [और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अभी तक जो आस्तियां वसूल नहीं हुई उनका मूल्य क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय बैंकों ने अपनी आस्तियों के बदले जिनके लिये बैंकिंग करार के अन्तर्गत सहायता मांगी गई थी, दिसम्बर, १९५८ में १६३४ रुपय की और मार्च, १९५९ में ८०,००० रुपये की वसूली की थी ।

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान में सब भारतीय बैंकों की उन आस्तियों का मूल्य अनुमानतः ५ करोड़ रुपये है जिनकी अभी वसूली नहीं हुई है ।

टोकरियों में मल ले जाना

†३४८८. **श्री गणपति राम** : क्या गृह-कार्य मंत्री १२ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोकरियों अथवा बालिटयों में मल ले जाने की प्रथा को समाप्त करने की योजना तैयार करने के लिये नियुक्त की गई उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) उप-समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(ग) उप-समिति पर कुल कितना खर्च किया जायेगा; और

(घ) उप-समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) क्यों कि उप-समिति को अभी कई राज्यों का दौरा करना है इस लिये अभी तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

(ख) यह उप-समिति टोकरियों अथवा बाल्टियों में मल उठाने की प्रथा को समाप्त करने की एक योजना तैयार करने के लिये बनाई गई है ।

(ग) लगभग २०,००० रुपये से २५,००० रुपये तक ।

(घ) सर्वश्री एन० आर० मलकानी, संसद् सदस्य; पी० एन० राजभोज, संसद सदस्य; के० एल० बालमीकी, संसद सदस्य; राजकृष्ण बोस, सभा सद (उड़ीसा); एन० एस० काजरोलकर, सभापति, भारतीय डिप्रैसड क्लासिज लीग और ओ० के० मूर्त्ति, विशेष पदाधिकारी, गृह-कार्य मंत्रालय ।

हैदराबाद में उर्दू भवन

†३४८९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद में एक उर्दू भवन के निर्माण के लिये ५०,००० रुपये का दान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह दान देने का क्या कारण है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) यह अनुदान भवन के निर्माण, उपकरण तथा फरनीचर के लिये दिया गया था ताकि न्यास अपनी साहित्यक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार कर सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भरतपुर गोला बारूद डिपो[1]

†३४६०. **श्री सरजू पांडे** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६५७ में भरतपुर (राजस्थान) में केन्द्रीय गोला बारूद डिपो का निर्माण करने के लिये शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या वहां डिपो बनाने का विचार छोड़ दिया गया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). इस प्रकार के सैनिक निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी देना सदा लोकहित में नहीं होता ।

बरी किये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मुकदमे का खर्च लौटाना

†३४६१. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्य करते समय किसी दीवानी या फौजदारी मुकदमें में उलझ गया हो, बाइज्जत बरी हो जाने पर वह खर्च वसूल करने का हकदार है जो उस ने मुकदमें की पैरवी में वैध रूप से खर्च किया हो, और

(ख) यदि हां, तो क्या यह नियम केन्द्रीय सरकार के सब कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) इस विषय में हिदायतों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३१]

(ख) उपरोक्त हिदायतें केन्द्रीय सरकार के सब कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती हैं ।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण

†३४६२. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : कोलम्बो योजना के अन्तर्गत टैक्निकल प्रशिक्षण की आवश्यकतायें वर्षवार निर्धारित की जाती हैं । अभी १६५६-६० का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है । इस लिये अभी यह बताना सम्भव नहीं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने के लिये कितने व्यवित भेजे जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bharatpur ammunition Depot.

शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के राज्य तथा विश्वविद्यालय बोर्ड

†३४९३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या शिक्षा मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों ने शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के राज्य तथा विश्वविद्यालय बोर्ड स्थापित करना स्वीकार किया है; और

(ख) जो राज्य और विश्वविद्यालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए हैं वहां की वर्तमान समितियां और बोर्ड किस प्रकार के हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]**

छात्र पर्यटनों के लिये अनुदान

†३४९४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सिद्धनंजप्पा : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में शिक्षा संस्थाओं को छात्र पर्यटकों के लिये अनुदान के रूप में कितनी राशि (राज्यवार) दी गई ; और

(ख) कितनी संस्थाओं ने (राज्यवार) इन अनुदानों का उपयोग किया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३३]**

बैंक पदाधिकारियों की अमरीका यात्रा

†३४९५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी बैंकिंग पद्धति का अध्ययन करने के लिये जो बैंक पदाधिकारियों का दल अमरीका भेजा गया था, क्या वह वापस आ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी, हां ।

(ख) दल में सम्मिलित भारत के रिजर्व बैंक के पदाधिकारियों से सरकार को एक संक्षिप्त प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । अमरीका सरकार के प्रविधिक सहकार मिशन द्वारा आयो-

†मूल अंग्रेजी में

जित एक गोष्ठी के सम्बन्ध में इन और अन्य पदाधिकारियों द्वारा लिखे गये पृथक-पृथक प्रतिवेदनों में भी अमरीका में बैंकिंग पद्धति के कुछ पहलुओं का उल्लेख किया गया है ।

(ग) ये प्रतिवेदन मुख्यतः वर्णनात्मक हैं । यद्यपि भारतीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अमरीकी बैंकिंग पद्धति की कुछ बातों पर ध्यान आकर्षित किया गया है, तथापि उसमें कोई औपचारिक सिफारिशें नहीं की गयी हैं ।

औद्योगिक बस्तियों सम्बन्धी दल

†३४९६. { **श्री राजेश्वर टांटिया :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक बस्तियों सम्बन्धी इमारत परियोजना दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति द्वारा औद्योगिक बतिस्यों के निर्माण-पहलू का अध्ययन करने के लिये नियुक्त इमारत परियोजना दल का प्रतिवेदन पूरा हो गया है और उस पर सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत की जा रही है । इसको शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा ।

आयुध कारखानों के श्रमिकों को सुझावों के लिये नक़द इनाम

†**३४९७. श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में उन टेक्निकल श्रमिकों को नकद इनाम दिया जाता है जो उत्पादन के किसी अच्छे ढंग का सुझाव देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५७ और १९५८ में कितने श्रमिकों को नकद इनाम मिला ; और

(ग) इनाम के रूप में कितना धन दिया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां ।

(ख)	१९५६-५७ .	६० श्रमिक
	१९५७-५८ .	२४९ श्रमिक
(ग)	१९५६-५७ .	२२४० रुपये
	१९५७-५८ . . .	७९६५ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ

†३४९८. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छः महीने से भी पहले प्रतिरक्षा संस्थानों में कितने औद्योगिक और गैर-औद्योगिक असैनिक कर्मकचारी सेवा-निवृत्त हुए थे जिन को अभी तक उनके सेवा-निवृत्ति लाभ नहीं दिये गये हैं ;

(ख) ऐसे कितने मामले एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं ; और

(ग) समय पर भुगतान की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) २९७४ ।

(ख) २३८३ ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें कुछ मामलों के निबटारे में विलम्ब के कारण और उनको यथासम्भव शीघ्रता पूर्वक निबटाने के लिये की गयी कार्यवाही के बारे में बताया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३४]**

हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन

३४९९. श्री भक्त दर्शन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन के कार्य की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश में लोक-गीत और चित्र

३५००. श्री भक्त दर्शन : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के गढ़वाल, देहरादून और टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय लोगों के लोक-गीतों तथा चित्रों के संग्रह, संरक्षण तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये अब तक की गई कार्यवाही का एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखेगी ; और

(ख) इस सम्बन्ध में बनाये गये भावी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). इन भागों के लोक गीतों तथा चित्रों के संग्रह, परिरक्षण और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये नीचे लिखी कार्रवाई की गई है :—

१. आकाशवाणी के लखनऊ और दिल्ली केन्द्रों से इन भागों के लोक-गीत प्रसारित किये जाते हैं। दिल्ली से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और "लोक मानस" में गढ़वाल के गीत भी शामिल थे।

२. आकाशवाणी ने स्थानीय कला कौशल को छांटने और उसका मूल्यांकन करने के लिये गोरखाली संगीत के विशेषज्ञों की एक "आडीशन कमेटी" बनाने का प्रस्ताव रखा है।

३. "फॉक डान्सेज आफ इंडिया" (भारत के लोक नृत्य) में उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के नृत्य और संगीत का उल्लेख है।

४. सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के सांस्कृतिक विकास संगठन ने इन भागों के लगभग ८० गीत रिकार्ड किये हैं।

५. राष्ट्रीय संग्रहालय में (लोक चित्रों के अलावा) १२ गढ़वाल के चित्र हैं।

६. संगीत नाटक अकादमी ने लोक गीतों को बढ़ावा देने के लिये इन भागों की संस्थाओं को अनुदान दिये हैं और जहां जरूरत होगी वहां अकादमी खुद भी काम करेगी।

अकादमो के फिल्म और रिकार्डिंग यूनिट ने पौड़ी में जन साहित्य द्वारा आयोजित उत्सव की रिकार्डिंग आदि की।

इस वर्ष अकादमी लोक कलाओं का एक सेमीनार करने का विचार कर रही है।

७. "देशी कारीगरों, शिल्पियों और चित्रकारों का सवर्क्षण" शीर्षक के अन्तगत देश की लोक कलाओं और कारीगरी का सवर्क्षण करने के लिये ललित कला अकादमी का एक विस्तृत कार्यक्रम है।

८. साहित्य अकादमी की तरफ से "कुमाऊं के लोग गीत" के प्रकाशन की व्यवस्था हुई है।

उड़ीसा में तम्बाकू की खेती

†**३५०१. श्री पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ के फसल वर्ष में उड़ीसा में तम्बाकू की खेती वाली भूमि के रकबे में कुछ कमी हुई है ;

(ख) क्या १९५२–५३ से उड़ीसा में तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क की बकाया रकम में वृद्धि हो रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या राज्य में तम्बाकू उत्पादकों की कठिनाइयों को सरकार के ध्यान में लाया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी, हां ।

(ख) १९५२–५३ से उड़ीसा में तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क की बकाया रकम निम्न प्रकार रही है :

वर्ष	बकाया रकम (रुपयों में)
१९५२–५३	९९,७५५
१९५३–५४	१,०५,९२९
१९५४–५५	१,१३,१७१
१९५५–५६	८४,६४३
१९५६–५७	१,०३,९५६
१९५७–५८	१,२७,३२७
१९५८–५९ (दिसम्बर, १९५८ तक)	८३,८१४

(ग) जी, नहीं ।

सरकारी कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना

†**३५०२. श्री कुम्भार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक मंत्रालय-वार और श्रेणी-वार कितने कर्मचारी मुअत्तिल हैं ;

(ख) उन्होंने क्या अपराध किये हैं ;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों को सजा दी गयी, बर्खास्त किया गया, नौकरी से अलग किया गया और बहाल किया गया ;

(घ) अभी तक कितने मामले लम्बित पड़े हैं ;

(ङ) उसके क्या कारण हैं ;

(च) उनमें से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको मुअत्तिली की अवधि में निर्वाह वेतन और भत्ता दिया गया और बाकी रकम उनकी बहाली के बाद दी गयी ;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ज) इन कर्मचारियों से कितना सरकारी देय वसूल किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ज). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३५]** ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बच्चों का अपहरण

†३५०४. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में दिल्ली में कितने बच्चों का अपहरण किया गया ; और

(ख) कितने बच्चों को पुनः प्राप्त कर लिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क)

	१९५८	१९५९ (२० अप्रैल, १९५९ तक)
	६१	४१
(ख)	७२	३४

भारतीय ओलिम्पिक संस्था

†३५०५. { **श्री पांगरकर :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में भारतीय ओलिम्पिक संस्था और इसकी शाखाओं को किस प्रकार की और कितनी सहायता दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** १९५८–५९ में भारतीय ओलिम्पिक संस्था को निम्नलिखित तदर्थ अनुदान दिये गये हैं :

(१) २४ मई से १ जून, १९५८ तक टोकियो में हुए तृतीय एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के भाग लेने के लिये २,१०,६८१ रुपये ।

(२) १८ से २६ जुलाई, १९५८ तक कारडिफ में हुए ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्र मण्डल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के भाग लेने के लिये ३७,१७४ रुपये ।

१९५८–५९ में भारतीय ओलिम्पिक संस्था की किसी शाखा को कोई सहायता नहीं दी गयी है ।

पंजाब में अस्पृश्यता निवारण के लिये प्रचार

†३५०६. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में पंजाब राज्य में अस्पृश्यता निवारण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जायेगी ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये पंजाब सरकार ने कोई योजना भेजी है ; और

(ग) यह धनराशि किस योजना पर खर्च की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) ६२,००० रुपये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह रकम स्लाइडों, पोस्टरों, सिनेमा शो, नाटकों आदि के जरिये प्रचार कार्य करने पर खर्च की जावेगी ।

छावनियों में भंगी और मेहतर

†**३५०७. श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छावनियों में भंगियों और मेहतरों की रहने की दशा में सुधार करने के लिये और क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) ३१ मार्च, १९५९ तक उनके लिये मकान बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उप-मंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) दिसम्बर, १९५८ से मार्च, १९५९ की अवधि में सेंट थामस माउन्ट, मेरठ, नैनीताल और लंढौर छावनियों में हरिजनों के लिये १९ अतिरिक्त क्वार्टर बनाने और सागर और फैजाबाद छावनियों में निर्माणाधीन क्वार्टरों को पूरा करने के लिये ४३,५९५ रुपये का और विशेष सहायक अनुदान दिया गया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन अभी छावनी बोर्डों से आने हैं । यह जानकारी प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

विधि आयोग

†**३५०८.** { **श्री वी० चं० शर्मा :** **श्री अजित सिंह सरहदी :** }

क्या **विधि** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित परिनियमों[1] के बारे में विधि आयोग के परीक्षण में क्या प्रगति हुई है :

(१) विशिष्ट सहायता अधिनियम, १८७८ ;

(२) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ ;

(३) परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ ; और

(४) आय-कर अधिनियम, १९२२ ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** (१) से (४). प्रतिवेदन अभी परीक्षणाधीन है ।

मद्रास में छात्रावास

†**३५०९. श्री इलयापेरुमाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में कुल कितने कला (आर्ट) और व्यवसायिक (प्रोफेशनल) कालिज हैं जिनके लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Statutes.

१९५६–५७ और १९५७–५८ में वर्ष-वार और कालिज-वार छात्रावास भवन बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा ऋण मंजूर किये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियां

†**३५१०. श्री इलयापेरुमाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में (राज्य-वार) अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों ने विभिन्न पदों के लिये संघ लोक-सेवा आयोग को आवेदन किया ;

(ख) (राज्य-वार) अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों से 'इंटरव्यू' किया गया ; और

(ग) इन पदों के लिये अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यार्थियों (राज्य-वार) को चुना गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). पत्रो वर्ष १९५८ के लिये जितनी भी जानकारी उपलब्ध है, वह संलग्न विवरण में दे दी गई है । राज्य-वार जानकारी उपलब्ध नही है ।

विवरण

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	'इंटर व्यू' किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
४०५४	२४३	५८

नोट : १. उपरोक्त जानकारी परीक्षाओं और 'इन्टर व्यू' दोनों के द्वारा चुनाव के बारे में है ।

२. इसमें उन परीक्षाओं के बारे में आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं जिनके परिणाम अभी घोषित नहीं किये गये हैं ।

३. इसमें वे अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हैं, जिनको 'इन्टर व्यू' के लिये बुलाया गया था, परन्तु वे आये नहीं ।

मद्रास में प्रादेशिक भाषाओं का विकास

†**३५११. श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य को १९५८–५९ में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये कितनी राशि का सहायता अनुदान दिया जायेगा ;

(ग) यह किन संस्थाओं पर व्यय किया जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) तथा (ख). १६५८–५६ में मद्रास राज्य की निम्नलिखित भिन्न संस्थाओं को उनके सामने दिखाये गये कार्यों के लिये निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं : —

संस्था	राशि	उद्देश्य
१. केरल साहित्य परिषद्, मद्रास	५००० रुपये	नवम्बर, १६५८ में हुए २७वें वार्षिक सम्मेलन के व्यय की पूर्ति के लिये ।
२. महामहोपाध्याय डा० वी० स्वामीनाथन अय्ययर लाइब्रेरी, मद्रास ।	५००० रुपये	पांडुलिपियों को माइक्रोफिल्म कराने के लिये ।
३. तेलुगू भाषा समिति, मद्रास	१०,००० रुपये	तेलगू विश्वकोष, जो दो खंडों में है, प्रकाशित कराने के लिये ।

एम० ई० एस० जांच समिति

†३५१२. { श्री सूपकार :
श्री गोरे : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १२ मार्च, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ई० एस० जांच समिति की सभी सिफारिशें कार्यान्वित कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने समिति की कौन सी सिफारिशें नहीं मानी हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) समिति की १०१ सिफारिशों में से ८४ सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । इन में से ६५ को उसी रूप में स्वीकार किया गया है जिस रूप में समिति में सिफारिश की है और १६ को संशोधित रूप में । ६ सिफारिशों को अस्वीकार किया गया है। भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत सिफारिशों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३६] ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल का जूनियर डिवीजन

†३५१३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल का जनियर डिवीजन उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी कि उसे बनाने का विचार था ; और

(ख) यदि हां, तो इसे लोक प्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय सेना छात्र दल के सभी डिवीजन छात्रों में बड़े लोकप्रिय हैं और प्रत्येक डिवीजन की संख्या बढ़ाने की बड़ी मांग है किन्तु राज्य सरकारों के अपने हिस्से का व्यय भार न उठा सकने के कारण इसको बढ़ाना कठिन हो रहा है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जूनियर डिवीजन में ५० प्रतिशत विस्तार करने का विचार किया गया है । योजना के पहले ३ वर्षों में कुल ६६,००० नये सेना छात्र भर्ती हुए इसमें से २५,००० जूनियर डिवीजन में भर्ती हुए।

लड़कियों के डिवीजन में २० प्रतिशत विस्तार का विचार था किन्तु अधिक मांग के कारण इसमें कुल का २७ प्रतिशत विस्तार करना पड़ा है । इस डिवीजन में लगभग १८००० नयी सेना-छात्रायें भर्ती हुई हैं ।

सेना छात्रों की कुल संख्या १,८७,००० है । इसमें से ९०,००० सेना छात्र जूनियर डिवीजन के हैं । इस संख्या को पर्याप्त समझा जाता है ।

लैंसडौन और लंढौर को अनुदान

३५१४. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** २ दिसम्बर, १९५८ और १२ फरवरी, १९५९ के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या ७९७ और २०० के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लैंसडौन व लंढौर के छावनी बोर्डों को विकास कार्यों की विभिन्न मदों के लिये स्वीकृत अनुदानों में से ३१ मार्च, १९५९ तक कितना धन वस्तुतः व्यय हो पाया था ; और

(ख) १९५९-६० के वित्तीय वर्ष के लिये इनमें से प्रत्येक छावनी बोर्ड के विकास कार्यों की प्रत्येक मद के लिये कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३७**]।

(ख) छावनियों के विकास कार्य के लिये वित्तीय वर्ष १९५९-६० में कोई राशि अभी तक स्वीकृत नहीं की गई ।

भारत सेवक समाज

†**३५१५. श्री पहाड़िया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज के प्रारम्भ से ही इसे बहुत सी धनराशि दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किस कार्य के लिये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९५३-५४ से १९५८-५९ तक भारत सेवक को विभिन्न कार्यों के लिये दी गई धनराशि का एक विवरण संलग्न किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३८**] ।

†मूल अंग्रेजी में

धन कर

†३५१६. **श्री सरजू पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में प्रत्येक राज्य में धन कर इकट्ठा करने में कितना रुपया व्यय हुआ है ?

† **वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : धन कर के संग्रह का कार्य आय-कर विभाग को सौंप दिया गया है। अतः इस कर के संग्रह के लिये कोई पृथक कर्मचारी नहीं रखे गये हैं। किन्तु इस प्रकार कुल काम के बढ़ जाने के कारण कुछ अतिरिक्त स्थान अवश्य बनाये गये हैं। इसलिये यह बता सकना कि केवल इस कार्य के लिये रखे गये कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ है कठिन है। विभाग का कुल व्यय विभिन्न करों की वसूली के अनुसार प्रत्येक कर में एक विशेष अनुपात में बांटा गया है। इस हिसाब से १९५८-५९ में धन कर के संग्रह का व्यय २२,३७,००० रुपये आता है। प्रत्येक राज्य से मिलने वाले राजस्व के अनुसार इस कर के संग्रह पर किया गया व्यय नीचे दिखाया जाता है :—

राज्य	राशि
	रुपये
आन्ध्र प्रदेश	१,०८,६२०
आसाम	६,३९०
बिहार और उड़ीसा	९३,७४५
बम्बई	९,६२,९६७
दिल्ली	८३,०९४
केरल	६१,७८८
मध्य प्रदेश	४२,६१२
मद्रास	१,१०,७४७
मैसूर	५७,५२५
पंजाब	२१,३०६
उत्तर प्रदेश	६८,१८०
पश्चिमी बंगाल	६,२०,०२६
कुल	२२,३७,०००

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को रियायतें

†३५१७. **श्री नेक राम नेगी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में स्कूलों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधायें तथा रियायतें प्राप्त हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन जातियों के विद्यार्थियों के लिये इन सुविधाओं तथा रियायतों को प्राप्त करने के लिये अपनी तहसीलों अथवा प्रशासकीय इकाइयों में रहना आवश्यक है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) (१) सैकण्ड्री स्तर तक निःशुल्क शिक्षा ।

(२) सरकारी कालिजों में पढ़ने के लिये फीस की माफी ।

(३) भारत सरकार की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद पढ़ाई के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां ।

(४) निर्धन तथा योग्य विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को दिये जाने वाली छात्रवृत्तियां तथा वृत्तियां ।

(५) पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को किताबें देना ।

(६) राजधानी तथा आश्रम के कुछ स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के छात्रावास का कुछ व्यय देना ।

(ख) जी नहीं । ये सुविधायें सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में प्राप्त की जा सकती हैं । इसके लिये अपनी तहसील या प्रशासकीय में रहने की कोई शर्त नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश के पिछड़े वर्ग

†**३५१८. श्री नेक राम नेगी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सामान्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिये १९५८-५९ में क्या कम उठायें गये हैं या उठाये जाने की तजवीज़ है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: इन का सामान्य स्तर ऊंचा करने के लिये प्रतिवर्ष इनकी शिक्षा के विकास, आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य तथा आवास आदि संबंधी योजनायें बनाई जाती हैं । १९५८-५९ के दौरान में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी योजनाओं के बारे में एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३९]**

चीनी (हिमाचल प्रदेश) में लोगों की आर्थिक दशा

†**३५१९. श्री नेक राम नेगी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ और १९५९ के दौरान में अब तक सरकार ने चीनी (हिमाचल प्रदेश) में हगरंग के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(१) इस क्षेत्र के लोगों की रुपया पैसे संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वहां पर एक "सुनाम बहुदेशीय सहकारी समिति" के नाम से एक सरकारी समिति बनाई गयी है । पिछले वित्तीय वर्ष में इस समिति को ५०० रुपये का अनुदान दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अक्तूबर, १९५८ में ल्यो नामक गांव में एक आश्रम स्कूल खोला गया।

(३) 'पू' में एक एलोपेथिक डिस्पेंसरी खोली गयी।

(४) इस क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कुछ सड़कें तथा रास्ते बनाये गये।

(५) इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को फलों के वृक्षों की कलमें या कोंपलें देने के लिये एक नर्सरी बनाई गयी।

हिमाचल प्रदेश में आश्रम स्कूल

†३५२०. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के तत्वावधान में चीनी और पंगी नामक स्थानों पर दो आश्रम स्कूल स्थापित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक आश्रम स्कूल में कितने बच्चे हैं ; और

(ग) इन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने बच्चे हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) से (ग). इस समय भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के तत्वावधान में चीनी और पंगी में तीन आश्रम स्कूल चल रहे हैं। उनके सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

स्कूल का नाम	स्कूलों के बच्चों की संख्या			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल
१. ठाकुर बप्पा किन्नर आश्रम स्कूल (महासू में रोग्री चीनी)	१८	२	शून्य	२०
२. गदियार आश्रम गरोला (चम्बा)	१७	४	शून्य	२१
३. महात्मा गांधी आश्रम ल्यो (हागरंग, महासू)	१४	शून्य	शून्य	१४

देश में आयोडीन के सोते

†३५२१. **श्री हेम राज :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयोडीन के कुल कितने सोते हैं ; और

(ख) वे सोते किस-किस राज्य में पाये जाते हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) देश में अभी तक कहीं से भी आयोडीन के सोतों के सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

अस्पृश्यता निवारण

†३५२२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में अस्पृश्यता निवारण के लिये अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ और भारतीय दलित वर्ग संघ को कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** उन्हें १९५९-६० के लिये अभी तक केन्द्रीय अनुदान आवंटित नहीं किया गया है ।

शिक्षा मंत्रालय के अधीन मंत्रणा समितियां

†३५२३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ के शिक्षा मंत्रालय के अधीन नियुक्त की गयी विभिन्न मंत्रणा समितियों द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** ८२०६.९५ रुपये ।

मनीपुर में आदिम जाति सांस्कृतिक क्लब

†३५२४. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक कला तथा लोक संस्कृति के पुनर्विकास के लिये मनीपुर की आदिम जाति-सांस्कृतिक क्लबों को कोई सहायक अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो १९५९-६० के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, हां ।

(ख) १९५९-६० के वर्ष के लिये मनीपुर में आदिम जातीयों लोक कला और संस्कृति के विकास के लिये १ लाख पये की राशि आवंटित की गयी है ।

मनीपुर में पदोन्नति समिति

†३५२५. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति करने के लिये सिफारिश करने के लिये एक विभागीय पदोन्नति समिति स्थापित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति को अभी तक इस संबंध में कितने मामले सौंपे गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी, हां ।

(ख) उस समिति को अभी तक वर्ग १ में पदोन्नति के दो मामले और वर्ग २ में पदोन्नति के ४ मामले सौंपे गये हैं ।

"पिछड़े हुए वर्ग"

†३५२६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में कोई नये आधार निर्धारित किये गये हैं कि किस-किस व्यक्ति को "पिछड़े हुए वर्गों" में सम्मिलित किया जाये ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे नये आधार क्या-क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्दमान द्वीप

†३५२७. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि बसाने और बस्तियाँ बसाने के प्रयोजन के लिये अन्दमान द्वीपों के दक्षिणतम भाग के लगभग ४०० वर्ग मील के क्षेत्र के कुछ द्वीप राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन कर दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में एक छात्र का अपहरण

†३५२८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० म० बनर्जी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ अप्रैल, १९५९ को दिल्ली पोलिटेक्निक के इंजीनियरिंग के एक चतुर्थ वर्ष के छात्र का होस्टल के कमरे से अपहरण कर लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके कमरे में एक पत्र पाया गया था जिस में उस छात्र को छोड़ने के लिये ५,००० रुपये मांगे गये थे;

(ग) क्या उस सम्बन्ध में कोई खोज की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । इस प्रकार का एक पत्र पाया तो गया था, परन्तु वह बाद में झूठा सिद्ध हुआ था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) क्योंकि वह मामला झूठा था, इसलिये उसे रद्द कर दिया गया है ।

मनीपुर में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को रियायतें

†३५३०. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ फरवरी, १९५९ को मनीपुर के जिला तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के समाप्त होने से पहले उन में काम करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्रसारतः रियायतें दी जायें;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या मनीपुर प्रशासन ने उनकी पुनर्नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) उन व्यक्तियों को किस आधार पर प्रसारतः रियायतें दी जायेंगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयले का उपयोग

†**३५३१. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला परिषद् ने कोयले के बेहतर उपयोग के सम्बन्ध में सरकार से किसी उपाय के बारे में सिफ़ारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन सिफारिशों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) जी, हां ।

(ख) कोयला परिषद ने यह सिफ़ारिश की है कि देश में ईंधन के संसाधनों—विशेषतया कोयले के संसाधनों—के उपयोग में अधिकतम मितव्ययता और कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिये उपयुक्त तथा पर्याप्त उपाय निकालने के लिये एक ईंधन कार्य-क्षमता समिति[1] स्थापित की जाये ।

(ग) सरकार ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया था और मई, १९५८ में ही एक ईंधन कार्य-क्षमता समिति स्थापित कर दी गयी थी, कोयला नियन्त्रक उसके प्रधान हैं ।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा

†**३५३२. श्री अय्याकण्णु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने स्थान रक्षित रखे गये थे;

(ख) क्या इन स्थानों में केवल १९५८-५९ के लिये निर्धारित कोटा ही सम्मिलित है या कि वे स्थान भी सम्मिलित हैं जो कि पहले तीन वर्षों में भरे नहीं गये थे;

(ग) १९५८-५९ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और आवेदकों में से कितने व्यक्तियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी; और

(घ) उन में से कितने व्यक्तियों को चुन लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४०]**

मध्य प्रदेश में पदों का समीकरण[2]

†**३५३३. श्री किस्तैया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coal Efficiency Committee.

[2]Equation of Posts.

(क) क्या संघ सरकार ने मध्य प्रदेश के विभिन्न एकीकृत यूनिटों के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के पदाधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने और उनके पदों के समीकरण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धान्तों का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे सिद्धान्त क्या हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धान्तों में भूतपूर्व रियासतों के कर्मचारियों को भी बराबर का ही दर्जा दिया गया है;

(घ) क्या मध्य भारत की छतीसगढ़ और राजगढ़ रियासतों के पदाधिकारियों के पदों के स्वरूप और कर्तव्यों का निश्चय करने में भी उन्हीं बातों को ध्यान में रखा गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४१]**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियमों में संशोधन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४३३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १३७९/५९]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह):** मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २—सातवां सत्र, १९५९

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४२]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६—छठा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४३]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** मैं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १४ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १७९।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १३७६/५९]

(२) दिनांक १४ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १९२।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० १३७७/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक ११ अप्रैल, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ४१३ ।

(२) सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अप्रैल, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ४१४ ।

(३) सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (ब्रांड दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अप्रैल,, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ४१६ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी/देखिये संख्या एल० टी० १३७५/५९]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी/देखिये संख्या एल० टी० १३८२/५९]

सम्पदा शुल्क नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** मैं सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क नियम, १९५३ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ७४७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी/देखिये संख्या एल० टी० १३७८/५९]

लोक-लेखा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†**श्री रंगा (तेनालि) :** मैं (१) विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें) १९५५-५६; (२) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें), १९५८; (३) विनियोग लेखे (असैनिक) १९५६-५७ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८ और (४) दिल्ली सरकार के वर्ष १९५६-५७ (१ अप्रैल, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक) के विनियोग लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८ में पता लगने वाले स्वीकृत अनुदानों तथा भारित विनियोगों से अधिक व्यय के बारे में दूसरी लोक-सभा की लोक लेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** श्रीमान, आप की अनुमति से मैं सोमवार, २७ अप्रैल को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) आज की कार्य-सूची में से बचे किसी सरकारी कार्यक्रम पर विचार ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(२) निम्नलिखित विधेयकों को संयुक्त समितियों को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार :

(एक) भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक

(दो) भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक।

(तीन) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक।

(३) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना :—

(एक) बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक

(दो) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक

(तीन) लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

(चार) जनगणना (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(४) वर्ष १९५५-५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (जिन्हें शीघ्र ही उपस्थापित किया जायेगा) पर चर्चा तथा मतदान ।

(५) २८ अप्रैल, १९५९ को ५ बजे श्री तंगामणि द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर जेनेवा में अप्रैल-मई १९५८ में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४१ वें (समुद्रीय) सम्मेलन में गये भारत सरकार के शिष्टमंडल के प्रतिवेदन पर चर्चा।

काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि काम दिलाऊ दफ्तरों को रिक्त स्थानों के अनिवार्य सूचना दिये जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि काम दिलाऊ दफ्तरों को रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना दिये जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री आबिद अली :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

दहेज निषेध विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि दहेज लेने या देने को निषिद्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि दहेज लेने या देने को निषिद्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला श्रेणीकरण बोर्ड अधिनियम १९२५ को निरसित करने और कुछ प्रासंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमान् बिना भेदभाव किये घटिया किस्म का कोयला निर्यात करने के परिणामस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय कोयला उद्योग का निर्यात बाजार समाप्त हो गया। अतः १९२५ में कोयला श्रेणीकरण बोर्ड अधिनियम पारित किया गया और कोयला श्रेणीकरण बोर्ड स्थापित किया गया। इस बोर्ड के २ कार्य थे :—

(१) खान द्वारा दिये गये कोयले का श्रेणीकरण; और

(२) खान द्वारा निर्यात के लिये भेजे जाने वाले कोयले को जहाज में लादे जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र देना।

१९५२ में कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम बना। इस अधिनियम के अधीन कोयला बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध था। इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार इस बोर्ड को अधिकार थे कि कोयला खान नियंत्रण आदेश १९४५ के अनुसार वह देश भर की खानों के कोयले का श्रेणीकरण करे। कोयला बोर्ड कोयले के श्रेणीकरण का काम कर रहा है।

कोयला का निर्यात बढ़ाने के लिये १९५४ में सरकार ने कोयला निर्यात समिति नियुक्त की। इस समिति ने अन्य बातों के साथ अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि कोयला बोर्ड को कोयला खान नियन्त्रण आदेश के अनुसार श्रेणीकरण का काम भी शुरू करना चाहिये क्योंकि कोयला श्रेणीकरण बोर्ड नियमों में कोयले के श्रेणीकरण के लिये जो नाप-तोल उपबन्धित है, उसने चुनी हुई खानों में काफी हानि पहुंचाई है और खानों में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। अगस्त १९५५ में कोयला श्रेणीकरण बोर्ड ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली। उसके यह प्रश्न सामने आया कि क्या श्रेणीकरण सम्बन्धी कार्य के लिये दो संविहित संस्थायें हों।

फरवरी १९५६ में श्रेणीकरण बोर्ड ने स्वयं इस प्रश्न पर विचार किया और उसने निश्चय किया कि अब इस संस्था की आवश्यकता नहीं है, अतः इसे समाप्त कर दिया जाये। कोयला बोर्ड ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की।

अतः अब कोयला श्रेणीकरण बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। कोयला श्रेणीकरण का काम अब कोयला बोर्ड कर रहा है और कोयला श्रेणीकरण बोर्ड अब कोई काम नहीं कर रहा है।

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड अधिनियम के निरसन के बाद श्रेणीकरण सम्बन्धी कार्य कोयला बोर्ड करेगा। इस समय भी वह कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार वह यह कार्य कर रहा है।

जहां तक जहाज पर लादने के लिये प्रमाण पत्र देने की प्रथा है अब किसी प्रकार के कोयले को लादने के पूर्व कोई प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं होगा। अतः इस काम को एक कार्यकारिणी आदेश द्वारा कोयला नियंत्रक को सौंपने का विचार है।

अतः अब इस संविधि को संविधि पुस्तक में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि कोयला श्रेणी करण बोर्ड की अब कोई उपयोगिता नहीं है अतः अब इस अधिनियम को निरसित कर दिया जाना चाहिये। श्रेणीकरण का काम कोयला बोर्ड कर रहा है और प्रमाणपत्र देने का काम भी वही बोर्ड कर सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

प्रायः शिकायत की जाती है कि हमारी संविधि पुस्तक में ऐसे भी विधान हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अतः आवश्यक है कि इस अधिनियम को निरसित कर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री अ० च० गुह** (बारसाट) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

कोयले के श्रेणीकरण का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोयले के संरक्षण का काम नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में अनेक समितियों के प्रतिवेदन उपस्थित हैं और उनकी सिफारिशों में कहा गया है कि (क) और (ख) श्रेणी के कोयले का ५० प्रतिशत तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कोयले का लगभग ८० प्रतिशत कोयला ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जिनके द्वारा इसका उपयोग नहीं होना चाहिये। हमारे देश में कोयले की काफी कमी है। अतः श्रेणीकरण का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।

इस समय कोयले के श्रेणीकरण का कार्य बहुत पिछड़ा हुआ है। केवल रानीगंज व झरिया की खानों के कोयले का श्रेणीकरण किया गया है। अन्य खानों के कोयले का श्रेणीकरण अभी बाकी है। इन रानीगंज व झरिया की खानों के कोयले का श्रेणीकरण लगभग १० वर्ष पूर्व किया गया था। अतः उसका पुनरीक्षण करना आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि जिस गति से कोयला बोर्ड कार्य कर रहा है, उस गति से वह सारे काम को आगामी अनेक वर्षों तक भी समाप्त नहीं कर पायेगा। अतः उसे काम की गति बढ़ानी चाहिये। अतः आवश्यक है कि कोयला बोर्ड को सभी समुचित सुविधायें दी जायें।

जिस अधिनियम के अधीन कोयला बोर्ड श्रेणीकरण का काम कर रहा है, उसमें यह नहीं कहा गया है कि इस बोर्ड को श्रेणीकरण करने का अधिकार होगा।

कुछ वर्ष पूर्व योजना आयोग ने भी कहा था कि कोयला उद्योग सम्बन्धी सभी विधियों को समेकित किया जाये। कोयला नियंत्रण एक अन्य अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है। उसके अधिकार भी निश्चित नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि कोयला उद्योग सम्बन्धी सब विधियों को समेकित करके एक विधि बनाई जाये जिसमें कोयला बोर्ड तथा कोयला नियन्त्रक के अधिकारों का स्पष्ट विश्लेषण किया जाये। वैसे कोयला नियन्त्रक कोयला बोर्ड का सभापति होता है पर अधिनियम में इसका उपबन्ध नहीं है। अतः इस बात का स्पष्टीकरण भी जरूरी है। श्रेणीकरण के मामलों में भी कुछ अन्य सुधार करने आवश्यक हैं। अधिनियम की कुछ बातें बहुत पुरानी हैं, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। अतः एक समेकित विधान का प्रस्तुत किया जाना बहुत आवश्यक है, जिसमें इन सब बातों का उल्लेख हो।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य ने विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने जो सुझाव दिये है, उनका ध्यान रखा जायेगा और त्रुटियों को दूर करने का प्रभावी उपाय किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कोयला श्रेणीकरण बोर्ड अधिनियम १९२५ को निरसित करने और कुछ प्रासंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ४--(आनुषंगिक उपबन्ध)

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं तभी अपना संशोधन रखूंगा, जब माननीय मंत्री उसे स्वीकार करने का आश्वासन दे देंगे । वर्तमान अधिनियम के अधीन कोयला बोर्ड का अधिकार है । मैं जानना चाहता हूं कि कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम की किस धारा के अधीन कोयला बोर्ड अपना कार्य करेगा ? मैं समझता हूं कि उस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है । यदि कोई उपबन्ध है, तो मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करूंगा ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य ने संदेह प्रकट किया है कि कोयला बोर्ड को किस उपबन्ध के अधीन श्रेणीकरण करने का अधिकार है । मैं देखता हूं कि मूल अधिनियम में उसे पर्याप्त अधिकार दिया गया है । अतः अब कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

कोयला बोर्ड का निर्माण कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ के अधीन किया गया था । इसी अधिनियम में सब प्रकार के कोयले के श्रेणीकरण का उपबन्ध है । इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के नियम ३२ और ३९ में श्रेणीकरण सम्बन्धी अधिकार दिये गये हैं । अतः कोयला बोर्ड को काफी अधिकार प्राप्त है । अन्य अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : नियम तो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ही बनाये जा सकते हैं । पर इस अधिकार के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : धारा १७ के अधीन सरकार को नियम बनाने का अधिकार है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : पर श्रेणीकरण का कहीं उल्लेख नहीं है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उस में संरक्षण का उल्लेख है । और श्रेणीकरण भी संरक्षण के अधीन आ जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५७-५८ के प्रतिवेदन पर, जो ९ दिसम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

यह सातवां प्रतिवेदन है और सभा को यह जानकर खुशी होगी कि पिछले वर्षों में हम ने अपने समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की है । इस क्षेत्र में हम ने किसी कठोर नीति का अनुसरण नहीं किया है । हम ने व्यक्तियों और अभिकरणों के सुझावों और सहयोग से कार्य किया है । आज भी हम खुले दिमाग से काम कर रहे हैं क्योंकि पिछले वर्षों में हमें जो अनुभव हुआ उससे गलतियों का पता चल गया है और हम अपने कार्य की गति बढ़ाने में सफल हुए हैं ।

इस प्रतिवेदन में आयुक्त ने कहा है कि १९५६-५७ की तुलना में इस वर्ष कल्याण कार्य की गति में पर्याप्त वृद्धि हुई है । इसलिये हम ने बहुत प्रगति की है । फिर भी माननीय सदस्यों के सुझावों का सभा में स्वागत किया जायेगा । हम प्रति वर्ष सहायता के स्वरूप को बदलने का प्रयत्न करते हैं । जहां कहीं आवश्यक होता है हम प्रक्रिया और दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हैं ताकि हम अपने समाज के इस वर्ग को सभ्य और उन्नत समाज की श्रणी में ला सकें ।

हमारी मुख्य आलोचना यह की गई थी कि कोष और सहायता मिलने में विलम्ब हुआ । इस वर्ष से हम ने पद्धति बदल दी है । हम ने प्रक्रिया में बहुत परिवर्तन कर दिया है जिससे वित्तीय सहायता और मंजूरियों में अब विलम्ब नहीं होता है और राज्यों को बहुत स्वतंत्रता दे दी गई है जिससे उन्हें सुनिश्चित योजनाओं के लिये केन्द्र अथवा राज्यों की भी औपचारिक मंजूरी के लिये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । उन्हें वर्ष के लिये आवण्टित किसी भी व्यय विशेष में एक निश्चित सीमा के अन्दर परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दी गई है । इस वर्ष से राज्यों को अपना कार्य चलाने के लिये नौ बराबर मासिक किश्तें मिलेंगी और अन्तिम तिमाही में उन्हें प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा जिस में वे हमें यह बतायेंगे कि वास्तव में कितना कार्य हुआ है और उसके अनुसार अन्तिम समायोजन तथा भुगतान किये जायेंगे ।

दूसरी बात, जिसके सम्बन्ध में सभा के माननीय सदस्य तथा जनसाधारण चिंतित रहते हैं, छात्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस मामले में हम ने प्रक्रिया में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है कि आगे से छात्रवृत्तियां देने के कार्य का विकेन्द्रीकरण कर दिया है । इस वर्ष से समस्त छात्रवृत्तियां विभिन्न राज्यों द्वारा दी जायेंगी अर्थात् राज्यों को आवण्टन दिये जायेंगे और वे उनका वितरण करेंगे फिर भी गृह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर कुछ नियम तैयार करेगा । सभा को ज्ञात होगा कि वर्ष १९५२-५३ में छात्रवृत्तियों का आवण्टन बहुत कम था—केवल ३०.५२ लाख रुपये । चालू वर्ष में वह २२५ लाख रुपये हो गया है । इसका श्रेणीवार विभाजन इस प्रकार है : अनुसूचित जातियां १२५ लाख रुपये, अनुसूचित आदिम जातियां २५ लाख रुपये और अन्य पिछड़े वर्ग ७५ लाख रुपये । आदिवासियों के मामले में इसलिये अधिक कठिनाई नहीं है कि छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिये हमें पर्याप्त विद्यार्थी नहीं मिलते हैं जब कि अनुसूचित जातियों के मामले में हो सकता है हमें किसी प्रकार का प्रवरण प्रारम्भ करना पड़े क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या हमारी छात्रवृत्तियों की संख्या से बहुत ज्यादा होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु छात्रवृत्तियों के मामले में अंतिम निर्णय हमारे हाथ में है और हम शिक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस प्रकार के नियम बनायेंगे कि समस्त राज्यों में किसी प्रकार की एकरूपता आ सके । यह स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य अपने विवेक अथवा अपने नियमों के अनुसार वितरण नहीं कर सकता । किसी न किसी प्रकार की एकरूपता होना आवश्यक है ताकि हम समय समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण कर सकें ।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अनुसार सीटों के आरक्षण का है । गृह-मंत्री ने कहा है कि इस मामले पर समस्त विधान-मंडलों के कार्यकाल समाप्त होने अर्थात् १९६२ के पूर्व ही विचार किया जायेगा । संविधान में किया गया उपबन्ध २५ जनवरी, १९६० तक के लिये ही है । परन्तु हम ने विचार किया है और हम यह चाहते हैं कि जनवरी, १९६० के बाद किसी भी रक्षित सीट के लिये कोई भी उप-चुनाव रक्षित सीट ही मानी जाये और हम ने विधि मंत्रालय को इस उपबन्ध के सम्बन्ध में सूचित कर दिया है जो हम करना चाहते हैं ताकि उस समय तक के लिये यह कठिनाई दूर हो जाये जब तक हम कोई निर्णय करते हैं ।

अगला प्रश्न, जो लोगों को परेशान करता है, पिछड़े वर्गों की कसौटी है । हाल में इस महीने के प्रथम सप्ताह में एक बैठक बुलाई गई थी जिस में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आये थे तथा उन्होंने गृह-मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था । इन प्रश्नों की जांच की गई है और हम शीघ्र ही पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिये मानदंड निर्धारित करेंगे । मैं आशा करती हूं कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे क्योंकि यह बहुत परेशानी पैदा करने वाली चीज़ है । सभा को याद होगा कि एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था और तब भी, समस्त आंकड़ों के संग्रह के पश्चात्, हम एक वर्ग अथवा व्यक्ति का पिछड़ापन निर्धारित करने का मानदंड नहीं निश्चत कर सके थे ।

अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में राज्यों को दी गई ३३६ ·४४ लाख की केन्द्रीय सहायता और केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं की ३७४ · ७४ लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त स्थान-परिवर्ती खेती के नियंत्रण के लिये ३० · ६२ लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है । स्थानपरिवर्ती खेती के सम्बन्ध में प्रश्नों के घण्टे में और अन्य बोर्ड की बैठकों में प्राय: चर्चा होती रहती है क्योंकि यदि स्थानपरिवर्ती खेती पर नियंत्रण नहीं किया जाता है और आदिवासियों को पर्याप्त सुविधायें नहीं दी जाती हैं तो आदिवासियों को कठिनाई होती है और उन्हें खानाबदोशों जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है । इसलिये शिक्षा सुविधाओं, संचार, कृषि, कुटीर उद्योग, आवास, जल संभरण आदि पर जोर देने के पश्चात् हम स्थानपरिवर्ती खेती पर जोर देना चाहते हैं ताकि वे एक निश्चित रहने के स्थान पर बस जायें और मैदान में रहने वालों की तरह अपनी खेती करें ।

आदिवासी क्षेत्रों में ४३ बहु प्रयोजनीय खण्ड चालू किये गये हैं और हमारा विचार है कि उनकी अच्छी प्रगति हो रही है । फिर भी माननीय सदस्य जो सारे देश में भ्रमण करते हैं हमें सही स्थिति का ज्ञान करा सकते हैं जैसी कि वे देखते हैं ।

आदिवासियों को छोड़कर फिर अनुसूचित जातियों पर आते हुए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि १९५८-५९ में १७१ . ६४ लाख रुपये का आवण्टन राज्यों के लिये और १०६ . २ लाख रुपये का आवण्टन केन्द्रीय कार्य-क्षेत्र के लिये किया गया था । यहां भंगियों और सफाई का प्रश्न उत्पन्न होता है । इस विषय को अनेक बार उठाया जा चुका है जो ठीक भी है क्योंकि इस वर्ग के

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती आल्वा]

लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । इस विषय पर हरिजन कल्याण बोर्ड ने जो समिति नियुक्त की है हम उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उस प्रतिवेदन के कुछ महीनों के अन्दर प्राप्त हो जाने की आशा है ।

जहां तक अनधिसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है वर्तमान वर्ष में १८.१३ लाख रुपये की राशि राज्यों के लिये और २१.३८ लाख रुपये की राशि केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं के लिये रखी गई है । आदिम जाति कल्याण बोर्ड ने आदिम जातियों की स्थिति की जांच करने और उनके जीवन, कार्य और रहन-सहन के स्तर में सुधार करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की है । वह समिति राज्यों का दौरा कर रही है और हमें आशा है कि उनका प्रतिवेदन भी शीघ्र ही मिल जायेगा और हमें बहुत सी बातें मालूम हो सकेंगी । हम इसके सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर भी विचार करेंगे ताकि खानाबदोश आदिम जातियों को एक स्थान पर बसाया जा सके ।

मैं सभा का बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन में रुचि रखते हैं और भाषण देना चाहेंगे । यदि मैं विस्तृत भाषण दूं तो उनका समय कम हो जाएगा । इस लिये अब मैं कुछ सामान्य बातें कहूंगी । जैसा मैंने बताया था शासकीय और अशासकीय संगठनों को सम्बद्ध किया गया है और हम सब लोगों से सुझाव और सहयोग लेते हैं । हम उन्हें अधिकतम सहयोग, धन की मंजूरी तथा अन्य सुविधायें देते हैं ।

अन्तिम विषय जिसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं सेवाओं का है । मंत्रालय में एक पृथक् विभाग है जो सेवाओं में हरिजनों, आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती और तरक्की की देखभाल तथा छानबीन करता है । वह गृह मन्त्रालय द्वारा जारी की गई हिदायतों के पालन की देखभाल करता है । हम प्रत्येक मन्त्रालय में कुछ विशेष अधिकारी निश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो इस प्रश्न पर सूचना एकत्रित करने और उसके समेकन में गृह-कार्य मंत्रालय के साथ सम्पर्क पदाधिकारी का कार्य करें । भर्ती और तरक्कियों के मामले में प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु मैं अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट करना चाहती हूं कि प्रारम्भिक भर्ती की समाप्ति के पश्चात् मैं समझती हूं प्रत्येक आदमी अथवा औरत को जो नौकरी में हो, अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करना चाहिये और अन्य लोगों के साथ बराबरी से मुकाबला करना चाहिये । मेरे विचार से इससे न केवल अधिक आत्म विश्वास उत्पन्न होगा वरन् एक नया दृष्टिकोण भी प्राप्त होगा और जनता की भावना बदलेगी ।

मैंने सदा यह अनुभव किया है कि हमें धीरे धीरे और शीघ्र ही इन लोगों को इस योग्य बना देना चाहिये कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें । यद्यपि कुछ और भी प्रश्न—कानूनी सहायता का प्रश्न तथा अनेक अन्य प्रश्न—रहते हैं परन्तु अन्ततः हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हम जो भी उपबन्ध करते हैं उनका अन्तिम क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है । उनका विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन हमें नहीं करना है । इसलिये माननीय सदस्यों को यह महसूस करना चाहिये कि राज्यों में भी विभिन्न व्यवस्थापिका सभाओं को प्रतिवेदन के उस भाग की चर्चा करने का विशेषाधिकार दिया गया है जिसमें उनकी योजनाओं के बारे में विचार व्यक्त किए गए हों और मैं समझती

हूं कि दो राज्य इस प्रतिवेदन पर चर्चा कर भी चुके हैं। यदि इस स्वस्थ रीति का अनुसरण किया जाए तो संस . सदस्यों के साथ साथ राज्यों के विधान-मण्डल भी अधिक सचेष्ट हो जायेंगे जिससे इन लोगों के समाज कल्याण के क्षेत्र में हम न्यूनतम समय में अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमने कार्य ठीक नहीं किया है जैसा कि सभा में तथा बाहर कहा जाता है। हमने बहुत अधिक कार्य किया है और आगे इससे भी अधिक किया जाएगा क्योंकि हमें पिछले समय की गलतियां मालूम हो गई हैं। हम उन गलतियों का सुधार करके अधिक तेजी से काम कर सकते हैं जिससे अधिक सफलता मिल सके। शिकायतें तो सदा बनी ही रहेंगी। समाज के कुछ व्यक्ति तथा वर्ग दूसरों के सदा ही विरुद्ध रहेंगे जैसा कि श्री गायकवाड़ ने अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय संकेत किया था। फिर भी यह तभी दूर हो सकती है जबकि इन वर्गों का सामाजार्थिक जीवन इतना बदल जाय कि वे अपनी टांगों पर खड़े हो सकें और अपने विरोधियों का विचार, शब्द और कार्य से सामना कर सकें। अस्पृश्यता का जन्म पहले हमारे हृदय और मस्तिष्क में होता है तभी हम वैसा आचरण करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि आप अस्पृश्यता दूर करना चाहते हैं तो पहले आपको अपना हृदय और मस्तिष्क शुद्ध करना चाहिये। तभी हमारे कार्यक्रम और धन का वास्तव में कोई अर्थ होगा। इसलिये मैं समझती हूं कि हमें इस सामाजार्थिक समस्या का सामना करना होगा जिसके सम्बन्ध में हम काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। मैं सभा के उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि हम अभी भी पिछड़ रहे हैं। जैसा कि मैं कह चुकी हूं हमारी नीति कठोर नहीं है। हम लोगों की राय स्वीकार करते हैं और हम वैसा ही करना चाहते हैं जैसा वे कहते हैं। हमने श्रीमती रेणुका राय के सभापतित्व में एक कल्याण-दल भी नियुक्त किया है। हम ये सब आंकड़े और सूचना एकत्रित कर रहे हैं ताकि हम अधिक तेजी से बढ़ने के मार्गोपाय जान सकें।

गृह मंत्री ने इस कार्य-क्षेत्र में कुछ भी नहीं छोड़ा है। वह सब ओर अपनी दृष्टि रखते हैं। जो भी व्यवहारिक सुझाव उनके पास आते हैं उन्हें वह स्वीकार कर लेते हैं। हम यह अनुभव करने लगे हैं कि इस वर्ग के प्रति अन्याय हो रहा है और हम इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि उसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। हम ५० प्रतिशत नहीं तो ३० या ४० प्रतिशत कार्य तो कर ही चुके हैं। इसलिये यह निश्चित है कि हम आगे बढ़े हैं। यह इतना बड़ा कार्य है कि धन, विधान अथवा बल द्वारा नहीं किया जा सकता। विधान द्वारा इसलिये नहीं किया जा सकता कि अस्पृश्यता को हमने अपराध घोषित कर दिया है परन्तु वह दूर नहीं हुई है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहती हू कि वे इस बात को समझें कि धन, विधान अथवा बल द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन केवल सही विचारों और कार्यों से आ सकता है। यदि आपका हृदय और मस्तिष्क शुद्ध है तो हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य समस्या तो यह है कि लोग कहते कुछ हैं और विश्वास किसी अन्य बात में करते हैं। जब तक इन दोनों का मेल नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिये यह सन्तोष की बात है कि इस प्रतिवेदन में इतना तो कहा गया है कि कुछ अड़चनें दूर हुई हैं और कुछ प्रगति दिखाई पड़ी है। फिर भी मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि जब तक इस वर्ग की स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक समस्त वर्ग का कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिये सभा में सभी को लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री रा० च० माझी** (मयूरभंज--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : इस प्रतिवेदन में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं जिनके लिये हम आयुक्त के आभारी हैं। परन्तु खेद है कि उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह राज्य के आधार पर नहीं वरन् समस्त भारत के आधार पर बनाई जानी चाहिये अर्थात् यदि कोई जाति राज्य की सूची में हो तो उसे सारे देश में मान्यता दी जानी चाहिये। विभिन्न योजनाओं और विभाजन के परिणामस्वरूप बहुत सी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है। पहले राज्य में उन्हें मान्यता प्राप्त थी किन्तु दूसरे में नहीं मिली। इसलिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में मान्यता प्राप्त हो सके। आसाम और उड़ीसा में ऐसी अनेक पहाड़ी आदिम जातियां हैं जो सूची में सम्मिलित नहीं हैं। इसलिये जब सूची में संशोधन किया जाये तो उनका ध्यान रखा जाये।

हम जब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये योजनायें तैयार करते हैं तो उनकी सूची अपने सामने नहीं रखते इसीलिये अभी भी बहुत सी अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां ऐसी हैं जो शिक्षा की सुविधायें नहीं प्राप्त कर सकी हैं। हम इतना रुपया व्यय कर रहे हैं फिर भी इतने लोग अछूते रह गये हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये।

इसी प्रकार जब किन्हीं लोगों को नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत अपने स्थान से हटाया जाता है तो उन्हें प्रतिकर पहले दिया जाना चाहिये क्योंकि उनकी स्थिति हम भली प्रकार जानते हैं।

जहां तक बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खण्डों का सम्बन्ध है, उन पर बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है। योजना आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि ऐसे खण्डों में २५,००० व्यक्ति होने चाहियें तथा उनका क्षेत्रफल २०० वर्गमील होना चाहिये। परन्तु इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि जो खंड खोले गये हैं उनकी जनसंख्या इससे बहुत कम है। किसी भी राज्य ने योजना आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार खंड नहीं खोले हैं। मेरे राज्य में भी यही स्थिति है। आयुक्त ने बताया है कि बिहार में एक खंड ऐसा खोला गया है जिसमें अनुसूचित आदिम जातियों के केवल २३३४ व्यक्ति हैं। इससे स्पष्ट है कि आदिम जातियों के कल्याण के लिये आवण्टित धन का कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि योजना मंजूर करते समय सब बातों की छानबीन की जानी चाहिये।

इस के बाद मैं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इन क्षेत्रों का प्रशासन संविधान में विनिहित उपबन्धों के अनुसार नहीं होता है। जो कानून बनाये जाते हैं उन्हें आदिम जातीय मंत्रणा परिषद् को निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। मेरा सुझाव है कि परिषद की बैठकें अधिक नियमित रूप से होनी चाहियें जिनमें इन कानूनों पर विचार किया जाय।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा का संबंध है यह कहा गया है कि उसका माध्यम उनकी मातृ भाषा होना चाहिये। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। राज्य की भाषा में शिक्षा दी जाती है जिसके सीखने में उन्हें अनावश्यक समय नष्ट करना पड़ता है। बिहार में संथालों को हिन्दी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, बंगाल में बंगला के माध्यम से और उड़ीसा में उड़िया के माध्यम से। कोई ऐसा उपाय निकाला जाना चाहिये कि उन्हें एक सामान्य लिपि में पढ़ाया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नौशीर भरुचा (पूर्वखानदेश) : यद्यपि सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये काफी काम किया है परन्तु मेरा विचार यह है कि यह कार्य इतना बड़ा है कि उसके लिये एक पृथक मंत्रालय होना आवश्यक है। जब अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न आता है तो हम मंदिर प्रवेश की बात सोचते हैं। परन्तु मेरे विचार से मंदिर प्रवेश से कोई विशेष लाभ नहीं होता। मेरा निवेदन है कि हमें तीन दिशाओं में प्रयत्न करना चाहिये। (१) आर्थिक उन्नति, (२) शिक्षा संबंधी सुविधायें और (३) सामाजिक उत्थान। .

जहां तक आर्थिक सुधार का संबंध है, बहुत से कार्य किये जा सकते हैं। सबसे पहले आवश्यकता भूमि के आवंटन की है ; मेरा निवेदन है कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण के परिणाम स्वरूप जो अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो वह इन लोगों को दी जा सकती है। यही नहीं इस भूमि पर सहकारी खेती का प्रयोग भी किया जा सकता है। भूमि के संबंध में कुओं तथा बांधों आदि के निर्माण के लिये अग्रिम धन देना भी आवश्यक है।

भूमि के अतिरिक्त राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिये भी कदम उठाने चाहिये। कुटीर उद्योगों में इन लोगों को अधिमान्यता दी जानी चाहिये। इन लोगों को कुक्कुट पालन आदि वैकल्पिक आर्थिक व्यवसायों में खपाने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिये जैसा कि आयुक्त ने सिफारिश की है। मेरा विचार है कि जब तक इन लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी अस्पृश्यता का कलंक दूर नहीं हो सकेगा। अस्पृश्यता के मूल में उनकी आर्थिक दुर्दशा ही है।

सरकारी सेवाओं में भी इन वर्गों के लोगों को विशेष स्थान मिलना चाहिये। मैं यह कहना ठीक नहीं समझता कि इन वर्गों में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। फिर भी यदि यह ठीक भी हो तब भी मैं यह सुझाव दूंगा कि इन लोगों के लिये योग्यता का स्तर कुछ नीचा कर दिया जाना चाहिये। आज इन लोगों की उसी प्रकार की स्थिति है जिस प्रकार ब्रिटिश शासन में समस्त भारतवासियों की थी। १९१९-२० में रेलवे आयोग ने केवल दो भारतवासियों को रेलवे सेवा के योग्य घोषित किया था। वैसी ही बात आज इन वर्गों के लोगों के बारे में कही जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले की समुचित जांच किया जाना बहुत आवश्यक है।

इस संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन में एक बहुत अच्छी सिफारिश की गई है कि राज्य लोक सेवा आयोगों में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का सम्मिलित किया जाना चाहिये।

जहां तक आवास का संबंध है, मेरा सुझाव है कि इन जातियों को मकान बनाने के लिये धन दिया जाना चाहिये जो वापस न लिया जाय। अनुसूचित जातियों के लिये पृथक बस्तियां नहीं बनाई जानी चाहियें वरन् मिश्रित बस्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनने वाले मकानों के आवंटन में भी इन लोगों को अधिमान्यता दी जानी चाहिये।

शिक्षा के संबंध में समस्त संस्थाओं में इन लोगों को पहले प्रवेश मिलना चाहिये। अभी बहुत सी संस्थाओं में इन्हें अग्रिमता नहीं दी जाती है। प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा ऐसी अन्य संस्थाओं में इन लोगों के लिये स्थान सुरक्षित किये जाने चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरुचा]

शिक्षा के संबंध में दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि स्कूल के स्तर की शिक्षा इन लोगों के लिये निःशुल्क हो। कुछ राज्यों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी जांच की जानी चाहिये।

इस संबंध में मेरा एक निवेदन है और कि अनुसूचित जातियों के बच्चों को स्कूल में मध्यान्ह का भोजन भी मिलना चाहिये। इन जातियों के लोग बहुत गरीब हैं। जो अपना पेट भरने में असमर्थ हैं। खाली पेट रख कर शिक्षा ग्रहण करना कठिन है। इससे उनके भोजन की व्यवस्था आवश्यक है। प्रतिवेदन में भी इसकी सिफारिश की गई है।

जहां तक सामाजिक उत्थान का संबंध है, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की कार्यवाही कागजी ही है उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस अधिनियम के समुचित प्रख्यापन के लिये पुलिस के अतिरिक्त कोई शासकीय यन्त्र होना चाहिये क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि पुलिस इस अधिनियम के उल्लंघन के मामले पर कार्यवाही नहीं करती है। श्री गायकवाड ने इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये थे। मेरा निवेदन है कि इस मामले में कुछ किया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन में और भी बहुत सी सिफारिशें की गई हैं। मैं आशा करता हूं कि वे कागज पर ही नहीं रहेंगी वरन् उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न भी किया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये समुचित कार्यवाही करेगी।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : प्रत्येक वर्ष हम आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा करते हैं तथा उनकी सिफारिशों के बारे में विचार करते हैं। किन्तु केन्द्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्य सरकारों द्वारा उन सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया जाता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती।

अस्पृश्यता निवारण के लिये पिछले कई वर्षों से कार्य हो रहा है किन्तु फिर भी गांवों में तथा शहरों में यह अभी तक कुछ न कुछ अंशों में विद्यमान है। मेरा तो कहना है कि अभी तक ९० प्रतिशत गांवों में अस्पृश्यता विद्यमान है। यहां तक कि शहरों में भी हिन्दुओं के मुहल्लों में अस्पृश्य लोगों को अभी तक मकान नहीं मिल सकते। यह एक ऐसा नग्न सत्य है जिसको कोई इन्कार नहीं कर सकता गांवों में हरिजन लोगों को मन्दिर तक में जाने की आज्ञा नहीं मिलती।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि सामान्यतः मन्दिरों में प्रविष्टि के लिये कोई कठिनाई नहीं होती। किन्तु ऐसी बात नहीं है --बात तो बिल्कुल ही इसके विपरीत है। अतः यह कहना कि अस्पृश्यता बहुत कुछ अंशों में दूर हो गई है गलत है। प्रायः मन्त्रियों को यह कहते हुए सुना गया है कि सामाजिक बुराई के रूप में यह समस्या समाप्त हो गई है अब तो केवल आर्थिक बुराई के रूप में रह गई है। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है। यह समस्या अभी दोनों रूप में विद्यमान है।

सभी राजनैतिक दल इस बात से सहमत हैं कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाये। मेरा सुझाव है कि सरकार योजना काल में ४००० गांव चुन ले और इस बात का प्रयत्न करे कि वहां से अस्पृश्यता नष्ट हो जाये। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब तक सारे देश में शिक्षा का प्रचार नहीं होता और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक यह अस्पृश्यता दूर नहीं हो सकती।

†मूल अंग्रेजी में

ऐसी स्थिति में अतः यह कहना कि हमने काफी प्रगति कर ली है। ठीक नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति सुधारे बिना अस्पृश्यता दूर नहीं हो सकती। हम लोग निर्धन हैं और धनी लोग हमारा शोषण करते हैं तथा उनका हमारे साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं होता।

मेरा एक सुझाव है सरकार जनगणना कराने जा रही है। जनगणना करने के लिये जो व्यक्ति गांव-गांव में जाते हैं वे इस बात का भी पता करें कि क्या उस गांव के कुएं, मन्दिर तथा उपहार-गृह आदि भी हरिजनों के लिये खुले हैं अथवा नहीं इस से आपको अस्पृश्यता का सही-सही अनुमान लग जायेगा। गांवों में हरिजनों की बारात का जलूस नहीं निकल सकता। हरिजन अध्यापक को पीने के लिये पानी भी नहीं मिल सकता।

अनुसूचित जातियों के आर्थिक सुधार के लिये माननीय मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की सूची दी है हम यह मालूम करना चाहते हैं कि इन योजनाओं में अलग-अलग कितनी उन्नति हुई है। अत: यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि इतना धन व्यय हुआ।

सरकार कुछ गैर-सरकारी अभिकरणों पर जो कि अस्पृश्यता दूर करने के लिये प्रयत्न कर रही है धन व्यय करती है किन्तु साथ ही उन पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगा रखे हैं। उदाहरणार्थ भारतीय दलित समाज से कहा गया है कि वह १० प्रतिशत चंदा इकठ्ठा करे। सोचिये तो सही बेचारे हरिजन कहां से चंदा दे सकते हैं। अत: मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस समाज से चंदा एकत्रित करने के लिये न कहे तथा इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी समाजों के साथ समानता का व्यवहार करे। और अस्पृश्यता निवारण करने के लिये इन समाजों को प्रोत्साहन दे।

प्रस्तावित भूमि सुधार कार्यों के अधीन सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वह अनुसूचित जाति के अधिक से अधिक भूमिहीन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाये। जैसा कि श्री भरूचा ने कहा है कि अधिकतम सीमा निश्चित कर देने के पश्चात् तथा भूमि करने योग्य अतिरिक्त भूमि जितनी भी सरकार के पास है वह उस भूमि को अधिक से अधिक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा भूमिहीन व्यक्तियों को दे। और प्राथमिकता अनुसूचित जाति को दी जाये।

कुटीर तथा छोटे-छोटे उद्योगों के विकास के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां कहीं भी हरिजनों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने चमड़ा उद्योग के लिये सहकारी संस्थाए बनाई हैं उनको सरकार अधिक उदारता से सहायता दे। तथा विपणन की सुविधा भी अधिक से अधिक मात्रा में दे। मेरा यह भी सुझाव है कि छोटे-छोटे ठेके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये जायें।

मैं समझता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को व्यापार कराने तथा छोटे-छोटे ठेके देने के लिये तथा व्यापार में वित्त-सहायता देने के लिये एक संगठन की स्थापना करे। क्योंकि धन की कमी के कारण इस क्षेत्र में इस जाति के लोग काफी पिछड़े रह जाते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार इन लोगों को आर्थिक सहायता देने के हेतु एक अभिकरण की स्थापना करे।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये रक्षित स्थानों की नियुक्ति के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय उदारता से कार्य नहीं ले रहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये ५-६ अनुसूचित जाति के लोगों का सहायक आयुक्त के रूप में चयन किया किन्तु गृह-

[श्री तिम्मय्या]

मंत्रालय ने आर्थिक कारणों के आधार पर उनकी नियुक्ति रोक दी । मेरा निवेदन है कि गृह-मंत्रालय जो कि इन जातियों के सभी प्रकार के कल्याण की देखभाल करता है उसके लिये इन व्यक्तियों की नियुक्ति रोकना ठीक नहीं था ऐसी स्थिति में रक्षित स्थानों के कार्यक्रम को क्रियान्वित करना बड़ा कठिन हो जायेगा । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार अब भी उनकी नियुक्ति का आदेश जारी करेगी ।

श्री भरूचा ने सुझाव दिया है कि राज्य सेवा आयोग में अनुसूचित जाति का एक सदस्य हो । हमारी यह मांग बहुत पुरानी है । मालूम नहीं कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है अथवा नहीं । किन्तु हम देखते हैं कि राज्यों के सेवा आयोगों में एक भी सदस्य अनुसूचित जाति का नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि राज्यों के संघ आयोगों में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का हो ।

कालिजों में हमारी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार ने जो सहायता की है वह निस्संदेह हमारे लिये बहुत ही लाभदायक है । और यदि कुछ वर्षों तक और चलती रही तो हम भी अन्य जातियों के स्तर तक शीघ्र ही आ जायेंगे । फिर उस के बाद छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रकार की विशेष सुविधाएं मांगने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार की यह वर्तमान नीति कुछ वर्षों तक और चलती रहे । हम लोग भी जागरूक हैं और अपने पिछड़ेपन के कारण कोई विशेष लाभ नहीं उठाना चाहते । आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में जैसा कि कहा है कि हम इसके आदी हो जायेंगे । उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है । अतः मैं यह आश्वासन दे देना चाहता हूं कि हम इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं कि सदैव मांगते ही रहेंगे । हम में भी आत्मगौरव है ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : श्रीमान जी, आज दस ग्यारह बरस के बाद भी जो हरिजनों की दशा है उसको देखते हुए तो रंज और अफसोस हुए बिना नहीं रहा जाता ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं समझती हूं कि समाज को उन्नति के शिखर पर जो हम ले जाना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, वह उन्नति और वह तरक्की अभी तक नहीं हो सकी है । इतना ही नहीं समाज में, इतनी सारी कमजोरियां आ गई हैं कि कुछ ठिकाना ही नहीं है और इन कमज़ोरियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, यह प्रश्न हमारे सामने है । आज से ही नहीं मुद्दत से हमारी समाज में घुन लगा हुआ है, दीमक लगी हुई है और इस घुन और इस दीमक को हमें दूर करना है, अलग करना है और समाज के शरीर को मजबूत और तन्दरुस्त करना है । ऐसा करने के लिये भारत में बराबर कोशिश हो भी रही है । मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कोशिश होने के बावजूद भी आज हमारी हालत यह है कि जब हम देहात में जाते हैं, तो वहां यह पाते हैं कि समाज जिस को अछूत कह कर पुकारती है, हरिजन कह कर पुकारती है उनके लिये मकान और उनके लिये बस्तियां बिलकुल अलग से ही बनाई गई हैं और जो ऊंची जात वाले हैं, जो ठाकुर और ब्राह्मण हैं, वे इन से बेहद परहेज़ करते हैं, इनके साथ मिलना भी नहीं चाहते हैं । यह बात मैं अपने अनुभव से आपको बतला रही हूं । मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो वहां सभायें होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं,

वहां पर ये लोग आते हैं इनका दिल चाहता है कि दूसरे लोगों से मिलें और मिलने के लिये आते भी हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो उनको एक फासले पर दूर ही बिठा दिया जाता है । इतना ही नहीं मैं ने यह भी देखा है कि ऊंची जात वालों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि ऊंची जात वालों से ही मिला जाये और इस तरह की जो बातें हैं, इनको देखकर तकलीफ हुए बिना नहीं रहती ।

यह बात देहातों में केवल हिन्दुओं की ही नहीं है बल्कि मुसलमान लोग जो देहातों में रहते हैं, उनकी भी यही हालत है । चमार या अछूत जो लोग होते हैं, उनको कुओं पर से पानी भरने नहीं देते हैं और वे भी इन लोगों से परहेज़ करते हैं । इनकी भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि चमार भी उनके पानी को न छू जाये । इन सब चीज़ों को देख करके हमारा सिर शर्म से झुक जाता है । आज जब कि संसार में चारों तरफ उन्नति हो रही है, संसार में अच्छी-अच्छी और नई-नई चीज़ें हो रही हैं हमारी हालत यह है कि क्या हम बिल्कुल चौबच्चे में ही पड़े रहें और ऊपर उठने की कोशिश न करें ? यह देख कर मुझे आश्चर्य होता है । मुझे अछूत भाइयों को, अनटचेबल्स जिन को कहा जाता है, उनको यह कहना है और मैं हमेशा देश में यह कहती हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं यह सुनती हूं कि हरिजन भाई यह चाहते हैं कि उन्हें ये ये फैसिलिटीज़ मिलें, ये ये चीज़ें मिलें और इसका कारण यह है कि मैं चाहती हूं जैसा अभी मेरे एक भाई ने कहा है कि उन में भी शान होनी चाहिये, उन में भी डिगनिटी होनी चाहिये और उनको भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिये और जितने भी उनके हकूक हैं, उन सब को वे शान और डिगनिटी के साथ हासिल करें और शान और डिगनिटी के साथ वे उनको मिलें । यह तभी हो सकता है जब हम इस चीज़ को, इस विषय को अच्छी तरह से समझेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे । यह काम जोश में आ कर नहीं हो सकता है । हम को संजीदगी के साथ इस पर विचार करना होगा और फैसले करने होंगे । आज हम देख रहे हैं कि बजाय इसके कि देश ऊपर जाये वह रोज-ब-रोज नीचे की ओर जा रहा है । जिस जात-पात से हम ने परहेज़ किया है, जिस जात-पात की हम चर्चा करते हैं कि यह मिथ्या है, यह नहीं होना चाहिये, जिसको हम ने कहा है कि एक ही जात है और वह है इन्सानियत और मनुष्यता की, उसको हम आज और भी कई रूपों में देख रहे हैं । हम देखते हैं कि जब इलैक्शन होते हैं, वे सब जात-पात पर ही होते हैं । इधर क्या होता है, ठाकुर ठाकुर को वोट देता है, उधर क्या होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट करता है । यह बीमारी जो अछूत की थी उसका दूर होना तो अलग रहा, एक नये रूप में ही जो यह सामने आ रही है, वह बहुत तकलीफ देह है । जब हम छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अछूत भाइयों को अपने साथ मिलावें, यह तो हुआ नहीं, लेकिन चारों तरफ तरह-तरह के रंग रूपों में यह हमारे सामने आ रही है । इसलिये मैं कहती हूं कि हमारी हालत बजाय ऊंचे जाने के नीचे की तरफ जा रही है ।

मेरा यकीन है कि हमारी सरकार जिसका आदर्श यह है, जिसका मकसद यह है कि सब को एक करके अपने साथ ले जाये, वह इस पर ज़रा गौर करेगी । मैं यह भी चाहती हूं जैसा एक भाई ने कहा है कि लैंड रिफार्म्स करने की जरूरत है और वे होनी चाहिये । इस में कोई शक नहीं है कि लैंडलेस लेबरर्स जो हैं, उन में ज्यादातर अछूत भाई ही हैं, और मैं चाहती हूं कि उनका पहले खयाल किया जाये । जो फैसिलिटीज़ इस बारे में दी जाती हैं, वे उनको पहले मिलनी चाहियें । यह काम मैं सरकार से ज्यादा समाज से उम्मीद करती हूं, क्योंकि मैं समझती हूं कि यह काम समाज का है ज्यादा करने का है, और सरकार का कम । मैं चाहती हूं कि वे सभी काम किये जायें, जिससे अछूत भाई और बहनें ऊंची जात वालों के लेवेल पर आ जायें, उनके बराबर आ जायें । अगर

[श्रीमती उमा नेहरू]

अछूत ऐसे कर्म करें जो हम से भी ज्यादा ऊंचे हों तो हम को नीचे आना होगा। इसलिये मैं समझती हूं कि हमारा धर्म यह है कि हम उन को अपने बराबर लायें और हर तरह की उनको सुविधायें दें ताकि वे आगे बढ़ सकें।

मैं समझती हूं जो सब से बड़ी सहूलियत हम को उन्हें देनी है और जिस से परिवर्तन हो सकता है, वह शिक्षा की है। अगर उनको अच्छी तरह से शिक्षा दी गई और इस में उनको जो भी सुविधायें वे चाहते हैं, दी गईं, तो बिना शक व शुबे के यह कहा जा सकता है कि जो नक्शा हम आज देखते हैं, वह बिल्कुल ही बदल जायेगा।

आज उनकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी खराब है। सरकार को चाहिये कि उनको लोंस दे ताकि वे काम कर सकें। हमें चाहिये कि हम उनको तिजारत की तरफ भी ले जायें और जिस-जिस चीज़ को करने से उनकी तरक्की हो सकती है, उसको हम करें।

मंदिर प्रवेश का सवाल भी हमारे सामने है। इसका मेरे एक भाई ने अभी ज़िक्र भी किया है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि जिस वक्त हरिजनों के मन्दिरों में प्रवेश करने का सवाल उठा था और बापू जी ने मन्दिरों के द्वार इन लोगों के लिये खुलवाने शुरू किये थे उस वक्त इलाहाबाद में भारद्वाज के मन्दिर में मैं खुद हरिजन का हाथ पकड़ कर के ले गई थी और वहां पर शान्ताकारम कमलनयनम पाठ हुआ था। उस वक्त हरिजन भाई इन सब चीज़ों को देख कर रोने लग गये और जो नक्शा उस वक्त मेरे सामने आया मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूं। उन्होंने भगवान के सामने खड़े हो कर यह प्रार्थना की कि हम ने कौन सा गुनाह किया है कि आप के हमारे लिये दरवाज़े बन्द हो गये हैं। ऐसा दृश्य वहां देखने को मिला था कि कोई खड़ा नहीं हो सकता था। मैं दिल से चाहती हूं कि हर मन्दिर के द्वार भगवान के सभी जीवों के लिये जिस किसी रूप में भी वे हों, खुल जाने चाहियें।

मैं चाहती हूं कि जितने भी ये दुनियावी ढोंग हैं, जितने ये दुनियावी तमाशे हैं, उनसे हम हरिजनों को उभारें और उनको आगे ले जायें।

मैं खास तौर पर हरिजन लड़कियों की शिक्षा के बारे में कहना चाहती हूं। उनको अधिक शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिये। यह मैं इसलिये कहती हूं क्योंकि मैं समझती हूं कि अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी और ज्यादा पढ़ेंगी तो बच्चे भी सब शिक्षित होंगे और उनके विचार और खयाल ज्यादा अच्छे होंगे।

मैं समझती हूं सरकार बहुत कुछ कर रही है और जो रिपोर्टें हैं, वे भी अच्छी हैं। ये सब जो तहरीरी चीज़ें ह, अच्छी हैं होती हैं। लेकिन हम चाहे कम ही करें, करें अच्छी तरह से और जो हम कहें उसको हम अमल में भी लावें। प्रेक्टिकल हो कर हम को आगे बढ़ना होगा और मैं समझती हूं कि जिस रोज़ हमारे यहां इस प्रकार का विचार हो जायेगा, उस रोज़ यह जो जात-पात का विचार है, यह नहीं रहेगा, ये जो झगड़े अन्दर और बाहर के हैं, ये भी खत्म हो जायेंगे और यह तरह-तरह की जो पार्टियां हैं, इनकी भी सब बीमारियां दूर हो जायेंगी। सब से अच्छा तरीका यह कि हम नीचे से शुरू करें और उस में सब से पहली चीज़ यह है कि हम हरिजनों और अपने में कोईभेदभाव न करें। इस खयाल को लेकर अगर हम चलते हैं और हर वाक आफ लाइफ में उनको बराबरी का स्थान देते हैं, उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं, जितनी कि अपने बच्चों की तो जो हमारा मकसद है, वह बहुत जल्द हासिल हो सकता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जो कुछ होम मिनिस्ट्री ने हरिजनों के बारे में किया है, वह बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूं कि इस दिशा में अधिक तेजी के साथ बढ़ा जाय और जितने तेज़ कदम हमारे होंगे, उतना ही अच्छा होगा ।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पहली बात तो यह है कि यह प्रतिवेदन बहुत देर से प्रस्तुत किया गया है । और इस देरी का कारण कोई समझ में नहीं आया । दूसरी बात यह है कि आयुक्त बहुत सी सिफारिश करते हैं किन्तु वे क्रियान्वित नहीं होतीं । आयुक्त के कार्यालय पर हम प्रति वर्ष लगभग ६ से ७ लाख रुपये तक व्यय करते हैं अगर उनके द्वारा की जाने वाली सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की जातीं तो फिर यह धन व्यय करना बिल्कुल बेकार है ।

सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का संरक्षण भी ठीक से नहीं होता । यदि आप आक्कलन समिति के पृष्ठ ४७ को देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या ३५०१ है जिन में से अनुसूचित जाति के केवल २० हैं । यही हाल अन्य प्रकार की श्रेणियों की भी हैं । अगर औसत आप निकालें तो यह बहुत कम आता है । हमेशा यह कहा गया है कि संरक्षण के कार्य को सरकार सही ढंग से नहीं करती । यह बात आक्कलन समिति तथा आयुक्त ने भी कही है । आयुक्त ने यह भी कहा है इन व्यक्तियों को विशेष प्रकार की परीक्षा देनी चाहिये । उन्होंने यह भी कहा है सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लेने की संख्या में बहुत कमी रही है । उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस बात से सहमत नहीं हैं कि इन जातियों में उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते । किन्तु सरकारी सेवाओं में इन जातियों के व्यक्तियों को लेने के मामले में कोई प्रोत्साहन नहीं दिखा रही है । अनुच्छेद ३२० (४) में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अनुसूचित जातियों का संरक्षण यदि बनाना है तो सरकार लोक सेवा आयोगों की भी अवहेलना कर सकती है । अनुच्छेद ३३५ में भी कहा है कि संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा । यह एक बहुत बड़ा अधिकार है । किन्तु सरकार ने इस अनुच्छेद का भी पालन नहीं किया है । यहां तक भी हुआ है कि लोक सेवा आयोगों ने अनुसूचित जाति अथवा आदिम जाति के व्यक्तियों की छांट की है किन्तु सरकार ने उनकी नियुक्ति नहीं की है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है । अतः मैं कह सकता हूं कि संरक्षण के मामले में सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही है ।

स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए कई वर्ष बीत गये हैं किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है । अगर संविधान में दी गई सुविधाओं अथवा आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने की किसी ने सोची होती तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता ।

पिछले कुछ वर्षों से ही प्रत्येक अनुसूचित जाति अथवा आदिम जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है और यही कारण है कि वे शिक्षा पा रहे हैं । किन्तु छात्रवृत्तियां बहुत देर से दी जाती हैं । और कभी-कभी तो छात्रवृत्ति विभाग की भूल के कारण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल भी नहीं पाती । मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि अब यह कार्य राज्य सरकारों के पास जा रहा है और वे सरकारें अब इनका वितरण करेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

उपमंत्री ने कहा है कि छात्रवृत्ति की राशि को देखते हुए विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। अगर आप विद्यार्थियों का चयन शुरू करेंगे तो इससे अनुसूचित जातियों का कोई लाभ नहीं होगा। अगर छात्रवृत्तियों की संख्या कम कर दी गई तो इनकी प्रगति रुक जायगी और वे शिक्षा नहीं पा सकेंगे। अतः गृह मंत्रालय से मेरा निवदन है कि वह इस प्रश्न पर फिर से विचार करें और प्रत्येक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रबन्ध करें।

वास्तव में देखा जाये तो अनुसूचित जाति को दी जाने वाली सुविधाओं के कारण ही अस्पृश्यता निवारण में काफी सहायता मिली है। हालांकि काका कालेलकर साहब ने आक्कलन समिति के समक्ष कहा है कि अनुसूचित जातियों को किसी प्रकार की सहायता जातीयता के आधार पर तथा उनका संरक्षण नहीं किया जाना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। किन्तु फिर भी प्रसन्नता की बात है कि आक्कलन समिति ने उनके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अतः अन्त में मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति की यह समस्या आर्थिक एवं शैक्षिक समस्या है। सरकार को चाहिये कि वह यह प्रयत्न करे कि प्रत्यक अनुसूचित व्यक्ति पढ़ लिख जाय और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाये। और मेरा विश्वास है कि यदि यह सब कुछ हो गया तो अस्पृश्यता की समस्या दूर हो जायेगी।

†**श्री क० उ० परमार** (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि देश में अस्पृश्यता को मिटाने में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें बिल्कुल असफल रही हैं। संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों के क्षेत्र में भी हमारे लिये कुछ नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार भी हमारे लिये सुरक्षा की व्यवस्था की गई है किन्तु सुरक्षा के नाम पर भी कुछ नहीं किया गया है। यह कहा जाता है कि हमारा समाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से शोषण किया गया है लेकिन हम देखते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से भी हमारा शोषण किया गया है जो कि और भी बुरा है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि लगभग ६८.७१ गैर सरकारी अभिकरण इन जातियों के कल्याण के लिये कार्य कर रहे हैं और सरकार कल्याण कार्य के लिये लगभग १८ करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय कर रही है। लेकिन मैं देखता हूं कि ये संस्थायें भी कल्याण-कार्य करके राजनैतिक ध्येय की पूर्ति कर रही हैं। इस प्रकार ये संस्थायें राजनैतिक रूप से शोषण कर रही हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि फिर इन पर सार्वजनिक धन क्यों व्यय किया जाता है। मेरा तो विचार है कि प्रजातंत्र में इस प्रकार की संस्थाओं को नहीं रहने देना चाहिये। आजकल जो कुछ हो रहा है उनको देखते हुए तो यही पता चलता है कि संविधान में हमारे लिये सुरक्षा के अधिकार दिये हुए उन को बदनाम किया जा रहा है।

समाज कल्याण के लिये जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं उन पर आक्रमण किया जाता है। उनको जान से मार दिया जाता है। सरकार से मारने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये कहा जाता है तो वह भी कुछ नहीं करती।

---

†मूल अंग्रेजी में

हरिजन सप्ताह आदि मनाये जाते हैं किन्तु वे सब केवल दिखावे और नाममात्र के लिये होते हैं। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि बम्बई में वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी स्थिति गुजरात में इतनी खराब और अमानवीय है कि कोई-कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें कुओं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता। अस्पृश्यता अधिनियम का भी पालन नहीं किया जाता। लोग वहां इतने त्रस्त हैं कि वे इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही करने में डरते हैं।

नौकरी देने के मामले में भी सरकार सहानुभूति से काम नहीं लेती। प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों में हमारी जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। हमारी जाति का कोई व्यक्ति न तो गवर्नर है और न राजदूत। सरकार चतुर्थ श्रेणी में तो हमारी जाति के लोगों को ले रही है। जब हम संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की आलोचना कर रहे थे तो हमें आज्ञा नहीं दी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि हमारी परवाह कौन करता है। इस सरकार में तो खुशामद-पसन्द और चापलूस लोगों का ही बोलबाला है।

अत: अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार हम लोगों को संविधान द्वारा जो सुरक्षा के अधिकार दिये गये हैं उनकी देखभाल करेगी और सरकार कोई भी ऐसा अधिनियम नहीं बनायेगी जिससे कि हमारा शोषण हो।

†**श्री रूंग सुंग सुइसा** (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैंने सामने के माननीय सदस्य का भाषण बहुत ध्यान से सुना है। मेरे विचार से उन्होंने केवल सुनी हुई बातें कही हैं। मेरा यह विचार है कि हमें इस सभा में केवल सुनी सुनाई बातें नहीं कहनी चाहिये।

इसके अलावा किसी एक व्यक्ति के काम के लिये हमें सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहिये। जहां तक प्रतिवेदन का सम्बन्ध है मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। पहिली बात यह है कि हमें इस बात का कृतज्ञ होना चाहिये कि अब अनुसूचित जातियों व आदिम जातियों के छात्र स्कूल व कालिजों में पढ़ सकते हैं जब कि स्वतंत्रता से पूर्व हमें यह सुविधा भी प्राप्त न थी।

मेरे विचार से हम लोगों पर यह आरोप लगाना गलत है कि हम किसी विशेष कार्य के उपयुक्त नहीं हैं। जब हमें कोई कार्य करने का अवसर ही नहीं दिया जाता है तो हम अनुपयुक्त किस तरह ठहरते हैं। यह कहना भी गलत है कि अनुसूचित जातियों के लोग उपलब्ध नहीं होते हैं। कालेजों से बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी निकलते हैं। वस्तुतः सरकार को अनुसूचित जातियों के गोपनीय रिपोर्टों पर ध्यान नहीं देना चाहिये क्योंकि ये गोपनीय रिपोर्टें उच्च-जातियों द्वारा ही दी जाती हैं। इस प्रकार इस मामले में सामप्रदायिकता भी चलती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अनुसूचित जातियों के प्रति न्याय किया जाय।

श्री गणपति राम (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके अपनी कर्मठता और अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उस रिपोर्ट को तैयार किया। लेकिन मुझे रिपोर्ट पढ़ने पर खेद प्रकट करना पड़ता है कि इन सात रिपोर्टों में जितनी भी सिफ़ारिशें शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर ने कीं उनमें से अधिकांश पर हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं नहीं समझ पाता कि इतना रुपया खर्च कर और देश का भ्रमण करके जो रिपोर्ट तैयार की जाती है और शेडयूल्ड कास्टस एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स के बैनिफ़िट के लिये, उनके सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार के लिये भी जो सिफ़ारिशें की जाती हैं उन पर सरकार अमल नहीं कर पाती।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गणपतिराम]

हमारे मंत्री महोदय ने यहां पर अभी कहा है कि कुछ दिन पहले अखबारों के ज़रिये मैंने पढ़ा था कि हमारे गृह मंत्री महोदय ने एक सभा में यह भी कहा कि अब तो अस्पृश्यता नाम मात्र को रह गई है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद हमारे माननीय मंत्री अपनी कांस्टीटुएंसी में गये होंगे वोट मांगने के वक्त और शायद उनको ऐसा अनुभव हुआ हो कि हरिजनों की हालत में जो सुधार हुआ है अगर उससे वह सन्तुष्ट हो जाते हैं तो मैं तो यही कह सकता हूं कि हरिजनों का भाग्य अन्धकार में है। मैं मन्त्रिणी महोदया से पूछना चाहता हूं कि अस्पृश्यता को यदि आप कहते हैं कि खत्म हो गई है तो अभी तीन वर्ष पहले जब काशी विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश का आन्दोलन चलाया जा रहा था और तीन वर्ष तक हमारे कार्यकर्त्ता जेलों में जाते रहे तो वह चीज़ क्या साबित करती है। उससे तो साफ़ जाहिर होता है कि अस्पृश्यता अभी भी विद्यमान है और खत्म नहीं हुई है।

आपके अस्पृश्यता निवारक विभाग की तरफ़ से लाखों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वाक़ई में कितना पैसा अस्पृश्यता निवारण कार्य के हेतु खर्च किया गया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस अस्पृश्यता निवारण रुपये का दुरुपयोग होता है हालांकि नाम में यह दिया जाता है कि इतना-इतना रुपया अस्पृश्यता निवारण के लिये हर स्टेट को दिया गया। मैं आपसे अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण लें. . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : वह हम अगली दफा लेंगे। सोमवार को उसको आप से सुनेंगे। अब हम दूसरा डिस्कशन लेते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति के तैंतालीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २२ अप्रैल, १९५९ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

बन्दरों के निर्यात के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा ११ अप्रैल, १९५९ को श्री मोहन स्वरूप द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि इस सभा कि यह राय है कि बन्दरों के आयात पर रोक लगा दी जाये।"

श्री रणवीरसिंह चौधरी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†मल अंग्रेजी में

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा था। अगर श्री मोहन स्वरूप की प्रस्ताव को लाने से यही मंशा थी कि उनको जब हिन्दुस्तान से बाहर भेजा जाता है या रास्ते में बन्दरों को जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ से बचाया जाय तो मैं समझता हूं कि उनकी बात के अन्दर कुछ वज़न है। इसके अलावा जो कुछ कम्पनियां फ़ायदा उठाती हैं और १०, १५ रुपये में एक बन्दर ख़रीद कर उसको १०० रुपये में बेचती हैं, अगर इस मुनाफ़े के ख़िलाफ आवाज़ उठाना उनकी मंशा थी तो मैं उनसे सहमत हो सकता हूं लेकिन अगर उनकी मंशा यह है कि इस देश के अन्दर अधिक से अधिक बन्दरों की पैदावार की जाय और उनको पनपने दिया जाय तो मैं उनसे इसमें सहमत नहीं हो सकता। श्री मोहन स्वरूप चूंकि एक काश्तकार के घर में पैदा हुए हैं तो मुझे तो यह देख कर हैरानी होती है कि उन्हें बन्दरों के साथ इतनी हमदर्दी कैसे आ गई......

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अजी वह दयावान किसान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

चौ० रणवीर सिंह : मैं तो समझता हूं कि जिस आदमी ने अपनी फ़सल को बन्दरों द्वारा खराब करते देखा होगा उसके दिल में कभी भी बन्दरों के लिये प्रेम और हमदर्दी की भावना पैदा नहीं हो सकती चाहे वह कितना ही अहिंसावादी क्यों न हो।

मैं मानता हूं कि इस देश के अन्दर महात्मा बुद्ध पैदा हुए, इस देश के अन्दर महात्मा गांधी हुए और इस देश ने राष्ट्रपिता के बतलाये हुए रास्ते पर चल कर वगैर कोई लड़ाई अथवा हिंसा करे और खूनख़राबा किये बग़ैर देश की आज़ादी प्राप्त कर ली और पिछले दस वर्षों में भी इस देश ने अहिंसात्मक मार्ग का अनुसरण करते हुए भूमि सुधार सम्बन्धी क्रान्ति कर डाली। जिस क्रान्ति को करने के लिये हमारे पड़ौसी देश में लाखों आदमियों को मारा गया, उस क्रानति को इस देश ने अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए पूरा किया। इस देश के अन्दर जो बड़े-बड़े कारखानेदार हैं उनका इन्तजाम भी किसी डंडे या गोली से नहीं किया जाता है बल्कि बड़ी शान्ति से और समझा बुझा कर किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब बन्दर इस देश का नुकसान करते हैं तो उनका भी हमें इन्तज़ाम करना होगा जिस तरह कि अगर कुछ भाई देश प्यार के नाम से अथवा लोगों के नामों की दुहाई दे करके इस देश का नुकसान करें तो उनका भी इन्तज़ाम करना इस सदन का काम हो जाता है और उनका भी इन्तज़ाम किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। आज जिस चीज़ के इन्तज़ाम की फिक्र की जा रही है उसके ही इन्तज़ाम के बारे में कहा जाय। बन्दरों के बारे में ही आज आप कहिये।

चौ० रणवीरसिंह: चूंकि यहां इस सदन में कहा गया था इसलिये मुझे यह कहना पड़ा कि अगर कुछ व्यक्ति देश का नुकसान करेंगे चाहे मंत्री ही क्यों न हों तो उनका भी इन्तज़ाम किया जायगा। एक भाई ने कहा कि क्या उस हालत में उनको भी बाहर भेजा जायगा तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह मंत्री महोदयों का सवाल नहीं है बल्कि और भी दूसरे भाई हैं जो कभी किसान के नाम से तो कभी मजदूर के नाम से तो कभी हिन्दी के नाम से, पंजाबी के नाम से और कभी सूबे के नाम से इस देश का नुकसान करना चाहते हैं और उन नुकसान पहुचाने वाले का भी हमें इन्तज़ाम करना होगा।

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणबीर सिंह]

इस देश के अन्दर जब से हम आज़ाद हुए हैं सन् १९४६ से सन् १९५८ तक १४५६ करोड़ों रुपये का अनाज हमें बाहर से मगाना पड़ा और यहीं नहीं उस अनाज को गरीब आदमियों तक पहुंचाने के लिये २६१ करोड़ रुपये की सहायता देनी पड़ी ताकि गरीब लोगों तक अनाज पहुंच सके और लोग भूख से न मरें।

इस चीज़ के अन्दर केवल बन्दरों की रक्षा की ही भावना नहीं है बल्कि इसके पीछे नाजायज़ फायदा उठाने की बात हैं। मुझे यह चीज़ बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे देश के अन्दर कुछ भाई ऐसे हैं जो कि इस देश के दबे हुए हरिजनों भूखे और नंगे किसानों के नाम पर नहीं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिये बड़ी-बड़ी किताबें छापते हैं। बन्दरों और दूसरे जानवरों के नाम पर तस्वीरें छापी जाती हैं—पता नहीं व सच्ची हैं या झूठी हैं—कि अमरीका में बन्दरों को किस ढंग से मारा जाता है. लेकिन क्या वे भाई जो इस किस्म की तस्वीरें छापते हैं, बतायेंगे कि उन के तहत इन्सानों की क्या हालत होती है, उन के तहत जो इन्सान काम करते हैं, उन के साथ वे क्या सलूक करते हैं। जो भाई बन्दरों को सवेरे अनाज डालने के लिये जाते हैं, क्या वे बतायेंगे कि वे किस तरह से रुपया कमाते हैं, किस तरह से किसान और मज़दूर की खून और पसीने की कमाई को उन से छीन कर ऐयाशी करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें अब सोचना होगा कि इस देश को आगे ले जाने के लिये बहुत सारी भावनाओं का मुकाबला किया जाय और बहुत सारी भावनाओं के बारे में लोगों को समझाना भी होगा। मैं जानता हूं कि इस देश के लांखों किसानों की किस्मत बदल नहीं सकती, जब तक कि इस देश में आज जो खेती करने का ढंग है, वह न बदले। हमारे देश में सिर्फ बन्दर ही नहीं, ज़मीन के ऊपर जितने और डंगर हैं, आया यह देश उन का पेट भर सकता है या नहीं, यह भी एक सवाल है सोचने का। इस देश में जो इन्सान हैं, उन के लिये हम ने सुख पैदा करना है। ये जो बन्दर बाहर भेजे जाते हैं, वे इस लिये नहीं भेजे जाते हैं कि हम उन को मरवायें, बल्कि वे इस लिये भेजे जाते हैं कि संसार में विज्ञान की तरक्की हो, संसार आगे बढ़े और अहिंसा की भी तरक्की हो, इन्सान की आयु——उस का जीवन ——ज्याद से ज्याद बढ़े। (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

चौ० रणवीर सिंह : मेरी समझ में नहीं आता कि जो भाई इस में एतराज करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं। क्या वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इस देश में तुजुर्बे के लिये बहुत से जानवरों के ऊपर तजुर्बे किये जाते हैं। ? क्या उन्हें मालूम है कि जो भाई डाक्टर बनते हैं, जिन से हमारे वे बड़े-बड़े भाई, जो कि अखबारें और और किताबें छापते हैं, रोज़ाना दवाई लेते हैं, डाक्टर बनने से पहले पता नहीं वे कितने मेंडक काटते हैं, कितने खरगोस काटते हैं और दूसरे जानवर काटते हैं और उन पर तजुर्बा कर के देखते हैं ? अजीब हालत है कि बन्दर के जीवन से विज्ञान जो फ़ायदा उठाता है,उस विज्ञान के रिसर्च का तो फ़ायदा उठाना चाहते हैं , लेकिन वे बन्दर को किसान के कन्धों पर बिठाए रखना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों को मैं कहूंगा कि वे ज़रा शान्ति से सोचें और इस देश की तरक्की होने दें। इस देश को अनाज की अज़हद ज़रूरत है ——दूसरी खेती की पैदावार की बहुत ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि अगर कोई किसान गन्ने की खेती करता है, तो बन्दर मुश्किल से आधा गन्ना चूसता है †और दस गन्ने खराब करता है। अगर कोई जानवर ऐसा है, जो अपना पेट भरने के मुकाबले में ज्यादा खराब करता है——चाहे वह अनाज हो या कोई दूसरी चीज़ हो—तो वह बन्दर है। तोता भी इतना खराब नहीं करता है। तोते की खराबी की किसान परवाह नहीं करता है, लेकिन बन्दर

†मूल अंग्रेजी में

जो खराबी करता है, उस से किसान सब से ज्यादा परेशान होता है, । मैं चाहूंगा कि जो भाई ये किताबें छापते हैं, अगर वे उस रुपये से इन तमाम बन्दरों को पकड़वा कर दूसरे देशों में भिजवा दें--- आज देश को विदेशी मुद्रा की जरूरत है---और उस रुपए से और कुछ नहीं, तो यहां के भूखे लोगों के लिये अनाज मंगवा दें, तो मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं होगा ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेंद्रम) : मैं प्रस्तावक महोदय से पूरी सहानुभूति रखता हूं तथापि मेरा निवेदन है कि उन्हें भावावेश में बहकर उचितानुचित का विचार नहीं खो देना चाहिये ।

बन्दर हमारे देश में फसलों को हानि पहुंचाते हैं । इसलिये उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता है । ये बन्दर जब दूसरे देशों को निर्यात किये जाते हैं तो उनका उपयोग बाल पक्षाघात के लिये वेक्सीन बनाने में किया जाता है । जिससे बाल-पक्षाघात जैसे भंयकर रोग से लाखों शिशुओं की रक्षा होती है । अतः यह तो बहुत अच्छी बात है कि इनका किसी न किसी प्रकार अन्य देशों में उपयोग हो रहा है और हमें उन से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है । तब भला इसमें आपत्ति क्या है ।

पशुओं के प्रति क्रूरता संबंधी का निवारण समिति ने भी बन्दरों के निर्यात के प्रश्न पर विचार किया है । उनका कहना है कि उन्होंने मामले की भली भांति जांच की है । तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बन्दरों का उपयोग, बाल पक्षाघात के लिये वेक्सीन या सीरम् इत्यादि बनाने में किया जाता है अतः मेरा सुझाव है कि इनके निर्यात पर रोक न लगाई जाय । केवल उनके निर्यात पर नियंत्रण रखा जाय जिससे बन्दरों की यह जाति समाप्त न हो जाय और उन पर देश में भेंजे जाने के पूर्व तथा विदेशों में प्रयोगशालाओं पर प्रयोग के पूर्व किसी प्रकार का अत्याचार या क्रूरता न की जा सके ।

†**श्री आसर** (रत्नागिरी) : मेरा एक स्थानापन्न संकल्प है जिसे मैं प्रस्तुत करता हूं । मैं चाहता हूं कि भारत से बन्दरों के निर्यात के प्रश्न की संसद्-सदस्यों की एक समिति जांच करे ।

इस संशोधन का यही उद्देश्य है कि आज बन्दरों के बारे में जो गड़बड़ी चल रही है, वह समिति उस पर विचार करे और इस बारे में अपना निर्णय दे और उस निर्णय के अनुसार ही बन्दरों को एक्सपोर्टकरने के विषय पर निश्चय किया जाये और वह उस निर्णय पर निर्भर रहे । यह बात अच्छी है कि जो प्रस्ताव आज सदन के सामने है, वह एक प्रजा समाजवादी सदस्य श्री मोहन स्वरूप की ओर से लाया गया है । उस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह कोई भावना का प्रश्न नहीं है ।

चौ० रणवीर सिंह : उन्होंने तो भावना ही कहा है ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : ट्रेडीशन कहा है ।

श्री आसर : यदि यह प्रस्ताव हिन्दू महासभा की ओर से लाया जाता, तो यह मान कर कि ये जड़वादी और पुराणवादी मत वाले हैं, इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किये जाने की आशा भी न होती । लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि यह भावना का प्रश्न नहीं है, बल्कि देश की दृष्टि से और हम ने जो तत्वज्ञान अपनाया है, उस की दृष्टि से इस पर अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता है । इस का कारण यह है कि हमारी सरकार ने बौद्ध धर्म का तत्वाज्ञान स्वीकार किया है । हम ने अशोक चक्र को मान लिया है और उस के तत्वाज्ञान के अनुसार चलने का निर्णय किया है । हमारे भाई चौ० रणवीर सिंह ने महात्मा गांधी का उल्लेख किया राष्ट्रपिता ने इस बारे में जो कुछ कहा और जो कुछ वह करना चाहते थे, उस सब को छोड़ कर हम जो कुछकर रहे हैं, उस को देख कर ही यह प्रस्ताव सदन में लाया गया है । अगर कम्यूनिस्टों का राज्य होता, तो यह प्रस्ताव सदन में न ला सकते थे और न लाने की आवश्यकता होती । लेकिन आज कांग्रेस की सरकार है । उस ने अहिंसा को माना है । इस

†मूल अंग्रेजी में

लिये यह प्रस्ताव लाने का प्रयत्न हुआ है। इस का उद्देश्य यह दिखाया है कि कांग्रेस सरकार अपने तत्वज्ञान से गिर चली है, जबकि वह बन्दरों का निर्यात करती है। इस विषय में यह कहा जाता है कि बन्दरों का निर्यात उन पर प्रयोग करने के लिये किया जाता है और उन प्रयोगों से जो पोलियो-वैक्सीन बनती है, उस से ससार में अनेक लोगों के लिये बड़ा अच्छा परिणाम होता है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि केवल बन्दरों पर ही प्रयोग नहीं किये जाते हैं। कई अन्य प्राणियों पर भी प्रयोग किये जाते हैं। संसार में कोई ऐसे देश हैं, जिन में बदन्रों का इस बारे में उपयोग नहीं किया जाता है। जिन प्राणियों का खास उपयोग नहीं है, उन पर प्रयोग किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : कौन प्राणी हैं।

श्री आसर : ऐसे बहुत हैं।

दूसरी बात यह है कि जैसे हमारी आत्मा है, वैसे ही बन्दरों में भी आत्मा है। अगर आत्मा का विचार किया जाये, तो हर एक की आत्मा का योग्य दृष्टि से विचार करना आवश्यक है। इस का कारण यह है कि अपने जीवन के लिये निर्बल पशुओं का उपयोग करना अयोग्य है। यह तो सरवाइबल आफ़ दी फिटेस्ट का तत्वाज्ञान है। अगर यह तत्वज्ञान बढ़ता गया, तो अशांति और असंतोष बढ़ेंगे। अगर यह मनोवृत्ति बढ़ेगी कि निर्बल को मार कर अपने जीवन को सुखी करें; तो आज तो पशु-पक्षियों का कत्ल किया जाता है, लेकिन कल ऐसा समय आ जायगा कि मनुष्य मनुष्य को छोड़ेगा नहीं, उस को कत्ल करेगा। आज तिब्बत के बारे में हम चीन के विरुद्ध क्यों चिल्लाते हैं? अगर हम सरवाइबल आफ दी फ़िटेस्ट को मानते हैं, तो चीन बड़ा सामर्थशाली है, वह तिब्बत पर हमला करता है, इस पर आपत्ति क्यों की जायें? जो देश समर्थ होगा, वह दूसरे देश पर, हमला करेगा, ऐसा हम मानते नहीं हैं। हम ने तो पंचशील के तत्वज्ञान को अपनाया है, जिस में जिन्दा रहो और जिन्दा रहने दो के सिद्धान्त को माना गया है। अगर हम इस को मानते हैं, तो फिर अगर हमारे पास ताकत और बुद्धिमता है, उस का उपयोग अपने जीवन के सुख के लिये निर्बल प्राणियों को प्रयोग में लाना ठीक नहीं है।

तीसरी बात यह है कि हम जो हिन्दू धर्मवादी लोग हैं, वे तो मानते हैं कि हमारा पूर्वज मनु है। लेकिन डार्विन की थ्योरी को मानने वाले लोगों से मेरा कहना यह है कि डार्विन ने कहा है कि बन्दर हमारा पूर्वज था। जो लोग डार्विन को मानते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर बन्दर हमारा पूर्वज है, तो अपने पूर्वज को मारना ठीक नहीं है। इस पर भी विचार किया जाए।

यहां पर फारेन एक्सचेंज का विशेष तौर पर चर्चा की गई है। फारेन एक्सचेंज के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पैसे के लिये किसी काम को करना, चाहे वह बुरा ही क्यों न हो, ठीक नहीं है। किसी काम को इसलिये करना कि उससे पैसा मिलता है, ठीक नहीं है। अगर कोई दारू पीने वाला है, अगर उसको दारू हमेशा ही मिलता रहे, तो वह उसका व्यसनी बन जाता है और उसके लिये इस तरह से व्यसनी बनना किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता है। अगर हमारा ध्येय पैसा ही है, तो इस का मतलब यह भी हो सकता है कि आज तो हम बन्दर बाहर भेजते हैं और कल हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए हम आदमियों को अगर गुलाम बना कर बाहर भेजने की जरूरत पड़ी तो उसमें भी संकोच नहीं करेंगे और इसका भी यही कारण होगा कि हमें फारेन एक्सचेंज मिलता है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि फारेन एक्सचेंज की दृष्टि से किसी चीज़ को करना ठीक नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

यह भी कहा जाता है कि बन्दर फसलों को खराब करते हैं। मैं इस बात को मानता हूं। आपकी तरफ से कहा जाता है कि अगर इनको दूसरे देशों में भेजा गया तो फसलों का नुकसान कम होगा। लेकिन आप कितने बन्दर आज बाहर भेज रहे हैं? आप ज्यादा से ज्यादा लाख दो लाख ही भेजते हैं। सरकार को यह पता भी नहीं है कि कितने बन्दर हिन्दुस्तान में हैं और न ही इसकी कोई सैंसस ली गई है और अगर ली जाए तो पता चल सकेगा कि कितने हैं। लाख या दो लाख साल में ही बाहर भेजे जाते हैं और करोड़ों बन्दर इस देश में पीछे बच जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनके बारे में सरकार क्या करने का विचार रखती है? क्या वे फसलों को खराब नहीं करते हैं? उनसे कैसे फसलों को बचाया जाएगा? अगर ये दो लाख बन्दर बाहर न भेजे जायें तो फसलों को इतना भारी नुकसान नहीं हो सकता है जितने का कि अन्दाज़ा लगाया जाता है। इस वास्ते मैं चहता हूं कि आप बन्दर बाहर भेजने के बारे में इस दृष्टि से भी विचार करें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बन्दरों को भेजे जाने की जो व्यवस्था की जाती है वह भी सन्तोषजनक नहीं है, वह भी ठीक नहीं है। हमारे पास बन्दरों के भेजे जाने के बारे में रेग्युलेशंस हैं, लेकिन इनके होने के बावजूद भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कितने ही बन्दर डैस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पढ़ कर सुनाना चाहता था लेकिन चूंकि समय नहीं है, इस वास्ते सुना नहीं सकता हूं। यह कहा जाता है कि इन बन्दरों को कैरियेजिज़ में भेजा जाता है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर एक कैरियेज़ में छः सौ बन्दर भेजे जाते हैं, तो दो तीन सौ बन्दर रास्ते में ही मर जाते हैं। अच्छी व्यवस्था उनके ले जाने की न होना, यह भी बहुत खराब बात है। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि इनके भेजे जाने की भी अच्छी व्यवस्था हो।

पहले यह कहा गया था कि छः पाउण्ड के ऊपर के बन्दर ही बाहर भेजे जा सकते हैं और इससे कम के बन्दरों को बाहर भेजने पर रोक थी। लेकिन आज देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे और ऐसी बंदरियां बाहर भेजी जाती हैं, जिन पेट में बच्चे होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इनका कोई उपयोग नहीं होता है। जो बन्दर बाहर भेजे जायें, वे तन्दुरुस्त हों, निरोगी हों, जिससे कि उनका ठीक से उपयोग हो सके।

इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक संशोधन रखा है और मैंने चाहा है कि इन सब बातों की जांच करने के लिये पार्लियामेंट के सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाए और वह जिन निर्णयों पर पहुंचे उनका पालन सरकार की ओर से हो। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह संशोधन सरकार को स्वीकार्य होगा।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने है, उसके सम्बन्ध में सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति अहिंसा और सत्य पर आधारित है और वह बड़ा कामयाब साबित हुई है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को अहिंसा और सत्य का आश्रय लेकर ही आज़ादी दिलाई है।

आज से दो हजार वर्ष पहले या उससे और भी बहुत पहले हमारे देश में अहिंसा का बहुत प्रचार था। उस वक्त नरमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि यज्ञ हुआ करते थे और इन यज्ञों में काफी हिंसा होती थी। जब महावीर भगवान् और भगवान् बुद्ध ने जन्म लिया तो उन दोनों ने इस चीज़ के खिलाफ़ आवाज़ उठाई और कोशिश की कि मनुष्यों और पशुओं की जो हत्यायें इन यज्ञों में होती हैं, जो आहुतियां दी जाती हैं, वे बन्द हों और इसमें वे सफल भी हुए। उसके बाद काफी अहिंसा का

[सेठ अचल सिंह]

प्रचार हुआ। लोगों ने तब महसूस किया कि जितना भी प्राणी संसार है, उस सब में आत्मा एक सी है। हाथी हो, घोड़ा हो, बन्दर हो, या कोई भी पशु पक्षी हो, सब में आत्मा एक सी है। अगर हमारे शरीर में कोई सुई चुभोता है, तो जिस तरह से हमें तकलीफ होती है, उसी तरह से अगर किसी पशु पक्षी के सूई चुभोई जाती है, उसको भी तकलीफ होती है। जितने भी जीव हैं, जितने भी परिन्दे और चरिन्दे हैं, उन सब को एक सी तकलीफ होती है।

क्या हम आज इतने स्वार्थी हो गये हैं, इतने अन्ध हो गये हैं, कि सिवाय हम को अपने स्वार्थ के कुछ और सूझता ही नहीं है ? यह कहा जाता है कि बन्दर बहुत नुकसान करते हैं, अनाज की बहुत बरबादी करते हैं, इसलिये उनको एक्सपोर्ट किया जाए और इनको खत्म किया जाए। यह बात ठीक है कि ये अनाज इत्यादि की बहुत बरबादी करते हैं। लेकिन अगर हम इनको खत्म करने जा रहे हैं, तो क्या उनको भी खत्म करें, जो कि कोई काम नहीं करते हैं, जो अपाहिज हैं, जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं ? उनको भी हमें खाने को देना पड़ता है, इस वास्ते इसी बिना पर उनको भी खत्म कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह थ्यूरी कम से कम भारतवर्ष में लागू नहीं हो सकती है। हम आध्यात्मिक बातों को अधिक महत्व देते हैं।

हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने पंचशील का नारा लगाया है और कहा है जियो और जीने दो। वह कहते हैं कि हर एक को जीने का अधिकार है, कोई किसी को गुलाम बना कर नहीं रख सकता है।

अब आप देखें कि जब बन्दरों का निर्यात होता है किस तरह से उनको बन्द किया जाता है, किस तरह से उनको जकड़ कर रखा जाता है। बहुत से बन्दर तो रास्ते में ही मर जाते हैं और डैस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं। उनके साथ बहुत खराब बरताव किया जाता है, चेन से उनको बांध दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके उनको काटा जाता है और तजुर्बे किये जाते हैं। इस तरह से बेरहमी से उनके साथ पेश आया जाता है कि बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। सभी देशों ने प्रिवेंशन आफ क्रूअल्टी टु एनीमल्ज़ एक्ट बनाये हैं और उनकी कोशिश यह रहती है कि इन जानवरों के साथ जुल्म न हो, बेरहमी नहीं होनी चाहिये। यह सभी सभ्य देशों में है और हमारे देश में भी इस तरह का कानून है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है, वह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, बहुत ही उचित है और जो बन्दरों का यहां से निर्यात होता है, वह बन्द होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सारा हाउस भी इसका समर्थन करे।

श्री राम सिंह भाई वर्मा (निमाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान् जी, एक बात आपको देखनी होगी और वह यह कि हम किस देश में रहते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है, वह कितना उत्पादन करता है, उसकी जनसंख्या क्या है और किस प्रकार से वह बढ़ रही है। इस चीज़ को देखते हुए सबसे प्रिय अगर कोई चीज़ हमें हो सकती है तो वह अपना देश ही हो सकता है और देश के बाद देश की जनता हमें सबसे प्रिय हो सकती है। इस वास्ते देश की हिफाज़त और जनता की जरूरतों की पूर्ति करना पार्लियामेंट का सर्वप्रथम कर्त्तव्य हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जो लोग अपने आप को डार्विन का अनुयायी मानते हैं और बन्दरों को अपना पितर मानते हैं, और उनकी उन पर जो श्रद्धा है, वह चाहे जितनी हो, मुझे उसके बीच में नहीं आना है। लेकिन मुझे इतना अवश्य कहना है कि आज हमारे देश की हालत यह हो रही है कि जो लोग विदेशों में जाते हैं और वहां के लोगों से बातचीत करते हैं तो वे कहते हैं कि हिन्दुस्तान में जानवरों की संख्या बेशुमार बढ़ती जा रही है और यहां के लोग इतने अन्धविश्वासी हो गये हैं इन जानवरों के प्रति कि ये जानवर ही एक रोज हिन्दुस्तान की जनता को हिस्दुस्तान से बाहर निकाल कर रख देंगे। क्योंकि दरअस्ल आज देश की हालत है हम आज अपने बाल-बच्चों को तो सम्भाल नहीं सकते, अपनी बीवी को सम्भाल नहीं सकते, माता पिता को सम्भाल नही सकते, ऐसी आर्थिक हालत हो रही है। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप जा कर मोहल्लों में देखिये तो कि क्या हो रहा है। पति बेरोजगार हो जाता है तो औरत को घर से निकाल देता है। माता पिता बुड्ढे हो गये हैं तो उन को और अपने बच्चों को घर बिठला कर खिलाने के लिये कोई तैयार नहीं है। वे बड़े बड़े काम के लिये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से इन्हें उठा लो यह संकट काटो, और आप को बन्दरों से इतना मोह हो गया है कि कोई राम की दुहाई देता है, कोई कृष्ण की दुहाई देता है, कोई हनुमान की दुहाई देता है और देवता मानता है। कोई कहता है कि हम बन्दरों से पैदा हुए हैं। लेकिन यहां पर तो सवाल इन्सानियत का है। सब से पहले हमारे लिये इन्सान को जिन्दा रखने का सवाल है। आप जरा देहातों के अन्दर जा कर देखिये कि बन्दरों के कारण लोग कितने त्रस्त हो रहे हैं। घर के अन्दर से पकी पकाई रोटी निकाल ले जाते हैं और बच्चे रोया करते हैं, उन को वह मिल नहीं पाती है। हम बीवी बच्चों को ले कर देव दर्शनों को जाया करते हैं, उन की पोटली को बन्दर उठा कर ले जाते हैं और उन का घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बेचारों को भीख मांग कर अपना काम चलाना होता है। आप को इन बातों को देखना चाहिये। आप यहां कहते हैं कि महावीर ने ऐसा किया, बुद्ध ने ऐसा किया। लेकिन हम महावीर नहीं हैं, हम बुद्ध नहीं हैं, हम गांधीजी नहीं हैं। हम साधारण व्यक्ति हैं और जिन्दा रहना चाहते हैं। इन्सानियत का फ़र्ज हो जाता है कि अपने बच्चों को दोनों टाइम खाना दें। जो लोग मानव के बजाय बन्दर पालन की बातें करते हैं उन को विचार करना चाहिये कि वे यहां पर किन के प्रतिनिधि हो कर बैठे हैं। वे उन के प्रतिनिधि हैं जो देश के अन्दर गरीब हैं, जिन के पास दोनों टाइम खाने के लिये अन्न नहीं है। इसलिये हमारा फर्ज है कि हम पहले उन के खाने का प्रबन्ध करें। आज बन्दरों से उन गरीब किसानों का कितना नुक्सान होता है इस को भी तो आप सोचिये। जो लोग आज गरीब हैं, उन गरीब किसानों और गरीब तीर्थ यात्रियों का जो बन्दरों के कारण बराबर नुक्सान हो रहा है पहले हम को उस का इन्तजाम करना चाहिये। आज जो लोग यहां पर मानव के बजाय बन्दरों की हमदर्दी करते हैं, उन्हें कम से कम २५, २५ बन्दर सौंप दिये जायें जो अपने घर पाल कर देखें कि क्या मामला है और आप की हमदर्दी कितनी किस के साथ है। मेरे पास इस में कहने को बहुत बातें हैं, आप मुझे मौका दें तो मैं सारा दिन इस पर बोलने में गुजार दूं। हिन्दुस्तान के आजाद हो जाने के बाद बहुत सी प्रान्तीय सरकारों ने विचार किया कि अपने बाल बच्चों की रक्षा के नाम पर देवताओं के सामने जो बलिदान किया जाता है वह एक अन्धविश्वास है। अपने बच्चों की रक्षा के लिये कोई भैरोंजी और कोई बाला जी या किसी दूसरी जगह ले जा कर अगर कोई बकरे को काट दे तो यह ठीक नहीं है। यह किस्सा घर-घर चलता था। प्रान्तीय सरकारों ने सोचा कि यह अन्धविश्वास बन्द किया जाना चाहिये। किसी के बच्चे की रक्षा के लिये दूसरे के बच्चे का बलिदान होना ठीक नहीं है। जब प्रान्तीय सरकारें ने ऐसे कानून बनाने शुरू कर दिये तो इन बन्दरों के एक्सपोर्ट बन्द करने की बात करने वालों ने उन का विरोध करना शुरू कर दिया। कहने लगे कि सरकार हमारी धार्मिक भावनाओं को उभारती है, वह देवताओं पर होने वाले बलिदान को क्यों बन्द कर रही है? एक ओर तो सरकार जो अच्छा काम करने लगती है यानी यह कि हर गांव-गांव में देवी देवताओं

[श्री राम सिंह भाई वर्मा]

पर जो बकरे वगैरह काट कर बलिदान किया जाता है, उसे रोका जाय चूंकि सरकार ने यह विचार किया कि यह अन्धविश्वास है, उस का विरोध करना और दूसरी ओर अगर बन्दरों का एक्सपोर्ट किया जाता है, तो कहते हैं कि क्यों एक्सपोर्ट किया जाता है ? केवल पैसा कमाने के लिये ऐसा नहीं किया जाना चाहिये लेकिन सारी चीजों और सारी परिस्थितियों पर विचार कर के मैं तो यह मानता हूं कि बन्दर ही नहीं ऐसे और भी प्राणी देश में हैं जिन के कारण देश को नुकसान पहुंचता है उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहिये जिस में कि देश का भी भला है ।

यहां पर दूसरे लोग भी हैं जो कि इस पर बोलना चाहते हैं, मैं उन का समय नहीं लेना चाहता । हालांकि इस पर काफी कहा जा सकता है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस सदन से निवेदन करता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा बन्दरों को, और जो दूसरे प्राणी हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी यहां से विदा कर दिया जाय । जब आज हमारे किसान के लिये रहने की जगह नहीं है तो फिर उन को कैसे यहां रखा जाय ?

श्री खादीवाला (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उस के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । बन्दर इस देश में काफी महत्व रखता है । हमारे हिन्दुस्तान की हमेशा से यह परम्परा रही है कि हम प्राणी मात्र से, जीव मात्र से प्रेम करें । मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि अगर कोई जानवर हमारा नुक्सान करता है और उस से हमें कोई तकलीफ होती है तो उस के लिये भी हम इस तरह से समर्थन करें । मेरा कतई यह मतलब नहीं है । लेकिन जिस तरह से बन्दरों को पकड़ कर ले जाया जाता है, उसे मैं ने झांसी स्टेशन के ऊपर देखा । एक जगह पर इतने ज्यादा बन्दर भरे हुए थे कि उन के लिये जगह भी नहीं थी, उन के खाने का भी इन्तजाम वहां नहीं था । काफी गन्दगी उन से फैल रही थी । जिस तरह से उन को पकड़ पकड़ कर रक्खा जाता है उसे देख कर अफसोस होता है और यह चीज़ ठीक नहीं है । जो भी जीव जन्तु पैदा होते हैं वे प्रकृति के द्वारा होते हैं । सब को प्रकृति ने पैदा किया है । उन को इस तरह से नष्ट करते के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं और जो प्रस्ताव रक्खा गया है वह बिल्कुल ठीक है और मैं तो कहूंगा कि इस का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिये । बन्दरों को पकड़ कर ले जाने, मारने और उन के द्वारा पैसा हिन्दुस्तान में लाने की जो नीति है मैं उसे ठीक नहीं मानता । अगर हम को रुपया चाहिये, पैसा चाहिये तो उसके लिये बहुत से दूसरे तरीके सम्भव हैं जिन के द्वारा हम विदेशों से अपने यहां पर धन ला सकते हैं । लेकिन बन्दरों को हम पकड़ें और उन के पास भेजें, वे उन को मारें या उन पर किसी तरह का प्रयोग करें, यह ठीक बात नहीं । देश की धार्मिकता के लिये भी हमारे गांव गांव में जो रामायण का पाठ होता है उन में बन्दरों का बहुत महत्व है, बन्दरों से ही मनुष्य बने हैं । अगर हम देखें कि मनुष्य कैसे बना, अगर हम अपनी शक्ल से बन्दरों को थोड़ा मिलायें तो देखेंगे कि बन्दर भी बड़ी बुद्धिमता से काम करता है और बन्दर के ही आगे जा कर पूरा मनुष्य बनता है । इस लिये मैं बन्दरों को इस तरह से मारने का जो तरीका है उसे पसन्द नहीं करता । पृथ्वी पर रहने वाले जो भी प्राणी हैं उन सब के लिये यहां साधन बने हुए हैं । हमारे यहां जितने भी ऋषि और महर्षि हुए उन्होंने भी यही कहा कि "जियो और जीने दो" । उन के इस कहने के खिलाफ भी यह तरीका जाता है । इसलिये मैं कहता हूं कि बन्दरों का इस तरह से पकड़ कर भेजना बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं उसके सख्त विरुद्ध हूं ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** (पाटन) : बन्दरों के निर्यात के पक्ष में मैं ने दूसरे पक्ष की दलीलें बड़े ध्यान से सुनी हैं। उन्हें सुन कर आश्चर्य होता है कि ये लोग गांधी जी के चेले होकर भी बन्दरों के निर्यात की बातें कर रहे हैं। मैं इस संकल्प का दो कारणों से समर्थन करता हूं। पहिला धार्मिक आधार पर और दूसरा मानवता के आधार पर। गुजरात में बन्दरों को हनुमान समझ कर पूजा जाता है तथा मेरा अनुभव है कि वे खेती को अधिक नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं।

एक साक्षी के मत से इन बन्दरों को बाहर भेजते समय बहुत क्रूरता का व्यवहार किया जाता है। व्यापारी लोग केवल रुपया कमाना चाहते हैं और यही हाल सरकार का है। अतः मेरे विचार से केवल कुछ रुपये कमाने का लिये बन्दरों का निर्यात करना स्वार्थपरता और क्रूरता है। अतः मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई भाइयों ने जो बन्दरों का विरोध किया है वह बिल्कुल ग़लत है। हमारे देश में दो तरह के बन्दर हैं। एक तो काले बन्दर हैं और दूसरे लाल गोरे बन्दर अंग्रेज़ों के मुआफिक हैं. . . .

उपाध्यक्ष महोदय आर्डर, आर्डर। देखिये आपने वक्त मांगा था सो आपको दे दिया गया है लेकिन आप कोई ऐसी बात न कहें जो कि उचित न हो।

श्रीमती सहोदरा बाई : मैं पांच मिनिट के अन्दर ही अपनी बात समाप्त कर दूंगी।

उपाध्यक्ष महोदयः वह तो ठीक है लेकिन यहां पर वही बात कहनी है जो कि उचित हो, कोई अनुचित बात नहीं कहनी है।

श्रीमती सहोदरा भाई : मैं तरीके से ही कह रही हूं। दो तरह के बन्दर अपने देश में हैं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मगर इसके बताने के लिये बाहर जाने की क्या जरूरत है ?

श्रीमती सहोदरा बाईः एक तो काले बन्दर हैं और दूसरे लाल बन्दर हैं। अब काले बन्दरों द्वारा तो शायद खेती को थोड़ा बहुत नुकसान ही पहुंचता हो लेकिन लाल बन्दरों से तो कोई नुकसान नहीं होता। वह लाल बन्दर तो इतने प्रेमी हैं कि अगर कोई तीर्थ यात्री वहां तीर्थ पर पहुंचता है तो यह रास्ते पर मुट्ठी भर चने की आस लगाये बैठे रहते हैं और आप यदि उन्हें मुट्ठी भर चना दे देते हैं तो वे कुछ नहीं बोलते और प्रेमसे उसको चबाते रहते हैं लेकिन अगर कही आपने उनके सामने मुट्ठी भर चना नहीं फेंका तो फिर वे बन्दर आपकी पोटली खींच कर भाग जाते हैं और जब तक आप उनको थोड़ा चना खाने के लिये नहीं दे देंगे तब तक वे आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे, पोटली नहीं देंगे। मैंने और मैं समझती हूं कि मेरे बहुत से माननीय सदस्यों ने भी यह देखा होगा कि इलाहाबाद, जगन्नाथ जी और अन्य तीर्थ स्थानों पर यह बन्दर रास्ते पर बैठे हुए मिलते हैं और वे किसी का नुकसान नहीं करते हैं।

मैं समझती हूं कि जिन भाइयों ने बन्दरों का विरोध किया है वे शायद नास्तिक विचार के होंगे क्योंकि आप यह क्यों भूल जाते हैं कि हमारे जामवन्त, बाली और सुग्रीव हनुमान आदि का स्वरूप बंदरों का ही था और जिनको कि हम लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं। श्री रामचन्द्र के ज़माने में इन बानरों ने रावण के खिलाफ उनकी कितनी मदद की थी। मैं तो कहूंगी कि बन्दरों को बाहर न भेजा जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सहोदपा बाई]

अब बन्दरों की महिमा के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक बार महात्मा तुलसी दास बादशाह अकबर के दरबार में आये। बादशाह ने कहा कि महात्मा जी हमें संसार की कोई नई चीज़ बताइये। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि राजन मैं कुछ नहीं जानता ? बस इतनी सी बात पर क्रुद्ध होकर अकबर बादशाह ने तुलसी दास को जेल में बंद कर दिया। अब जब तुलसी दास जी जेल में बंद होगये तो उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की और भगवान की लीला देखिये कि लाखों बन्दर वहां पर इक्कठा हो गये और अकबर की नाक में दम आ गया। अकबर की परेशानी को देख कर बीरबल ने कहा कि हे राजन तुमने यह अच्छा नहीं किया जो एक साधू को तुम ने अकारण जेल में बंद कर दिया। अगर उस साधू को तुम जेल से बाहर निकाल दो तो यह जो बन्दरों का कोप तुम पर जाग्रत हुआ है वह समाप्त हो जायगा और ऐसा ही हुआ भी। इसलिये मेरा कहना है कि हम यहां पर रामराज्य की बात सुनते हैं और हमारे पूज्य बापू जी भी इस देश में रामराज्य फिर से स्थापित होते देखना चाहते थे तो मैं उन लोगों को जो कि बन्दरों के विरोधी हैं और उनको यहां से बाहर भेजना चाहते हैं, चेतावनी देती चाहती हूं कि कहीं आपकी इस बात से हनुमान जी नाराज़ न हो जायें और कहीं आपकी यह नई दिल्ली की नीवं ही न हिल जाय। मैं तो अपने उन मित्रों से कहना चाहुंगी कि अगर बन्दरों के कारण उनको तक़लीफ़ होती हो या बन्दर अगर उनका कोई नुक्सान करते हों तो बड़ी खुशी से हमारे मध्यप्रदेश में ले जाकर उनको छोड़ दीजिये। हम उनका पालन कर लेंगे। हमें उनसे कोई नुक्सान नहीं है। आपको यदि अड़चन पड़ती हो तो आप हमारे प्रदेश में उनको छोड़ दीजिये। हमारे वहां पर बड़े बड़े जंगल हैं, वे मेज़े से वहां पर फल, फूल और बेर इत्यादि खायेंगे। हमारे दिल में बन्दरों के लिये प्रेम और आदर है क्योंकि हनुमान जी, जिनको कि हम देवता स्वरूप मानते हैं उनका स्वरूप भी बंदर का ही था। हमारे हिन्दुस्तान की प्राचीन काल से जो परम्परा चली आ रही है, हमारा जो सनातन धर्म है, उस के विरुद्ध जा कर क्या हम अमरीका में बन्दरों को भेज कर उन का गला कटवायें ? वे जगह जगह पिंजरों में रोते हैं, चीखते हैं और रास्ते में उन को पानी नहीं मिलता है। क्या उन का श्राप भारत पर नहीं पड़ सकपा है ? मेरी प्रार्थना है कि बन्दरों को बाहर भेजना बन्द करने के बारे में जो प्रस्ताव आया है, वह ज़रूर स्वीकार करना चाहिये। भविष्य में इस से नुक्सान होगा—आगे चल कर नुक्सान होगा। जो भाई बन्दरों से नुक्सान होने की बात करते हैं और इस कारण इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं वे सब बन्दर हमारे मध्य प्रदेश में छोड़ दें। हमें उन से कोई नुक्सान नहीं है। हम उन की रक्षा करेंगे। लेकिन बन्दरों को बाहर भेजे जाने की हमारी सम्मति नहीं है। जो नास्तिक विचार के हैं, वे उन को देवता का रूप नहीं मानते हैं। एक तो रामचन्द्र जी का रामराज्य था, जिस में बन्दरों ने उन की इतनी सहायता और सेवा की थी और अब महात्मा जी ने जो रामराज्य बनवाया है, क्या उस में हम बन्दरों को अमरीका भेज कर उन का गला कटवायें? मैं बाहर बन्दर भेंजे जाने का विरोध करती हूं और मेरी प्रार्थना है कि बन्दरों का निर्यात बन्द किया जाये।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मेरे विचार से माननीय सदस्य बन्दरों के निर्यात का इस कारण विरोध कर रहे हैं कि वे उनके उपयोग के बारे में अनभिज्ञ हैं। वस्तुत: इनके द्वारा वैज्ञानिक रोगों से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रस्तावक महोदय ने जो पुस्तिका मुझे दी है उससे यह ज्ञात होता है कि इन बन्दरों पर जीवित प्रयोग किये जाते हैं ये प्रयोग पोलियोमिलाइटिश बीमारी के लिये किये जाते हैं जिस पर यद्यपि १९०९

---

†मूल अंग्रेजी में

से प्रयोग किये जा रहे हैं तथापि अभी तक उसके कीटाणुओं का पता नहीं चला है। यह प्रयोग केवल खास किस्म के बन्दरों और चिम्पांजिओं पर ही किया जा सकता है। इन प्रयोगों में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है।

इसलिये केवल भावनात्मक कारणों से बंदरों का निर्यात न करना अनुचित है। प्रश्न विदेशी मुद्रा कमाने का नहीं अपितु रोग के विरुद्ध खोज कार्य करने का है।

इस संबंध में मेरा एक सुझाव यह है कि बन्दरों के निर्यात संबंधी नियमों को अधिक कड़ा बनया जाय जिससे उनके प्रति क्रूरता न की जा सके। और इस बात का प्रयत्न किया जाय कि हम और अधिक बन्दरों का निर्यात कर सकें।

अतः जिस प्रयोजन के लिये बन्दर भेजे जाते हैं वह वांछनीय है, अत : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने संकल्प पर आग्रह न करें।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : इस संकल्प के विरोध में कई माननीय सदस्य अपने भाषणों में कह चुके हैं। मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है। सबसे पहिले मैं श्री आसर का संशोधन लेता हूं। इस मामले पर दोनों सभाओं में कई बार चर्चा हो चुकी है। जिसके फलस्वरूप हमने ऐसे नियम बना लिये हैं, जिन से इन पशुओं को बाहर भेजते समय देश में तथा बाहर भी उनके साथ मानवता का व्यवहार किया जाय। उक्त नियम कई बार सभा के पटल पर रखे गये और वे पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं। बन्दरों को रखने, परिवहन करने तथा उन्हें खिलाने इत्यादि के संबंध में ये नियम बहुत सावधानी से बनाये गये हैं। और हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इन नियमों का पालन किया जाय।

निर्यात करने वालों को लायसेंस लेना होता है और इन नियमों का पालन करना होता है। निर्यातकर्त्ताओं की संख्या ६ से अधिक नहीं है। तथा उन्हें विमानों पर लादने के स्थान पर एक बन्दर फार्म बनाना होता है जिसकी देख रेख एक योग्य पशु चिकित्सक करता है। विमानों में चढ़ाने के पहिले उनकी डाक्टरी जांच होती है। सीमा शुल्क अधिकारी के सामने उन्हें विहित नाप के पिंजरों में डाला जाता है। वे केवल विमानों द्वारा ही बाहर भेजे जा सकते हैं। विमान में भी उनकी देख रेख की जाती है। भारत सरकार ने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि समय समय पर प्रयोगशालाओं में भी बन्दरों की अवस्था देखी जाय।

१९५५ की घटना का जिक्र किया गया है। निस्संदेह उनसे हमें ज्ञात हुआ था कि हमारे नियम उपयुक्त नहीं हैं। इससे कोमल हृदय व्यक्तियों पर बहुत आघात हुआ। मार्च १९५५ में थोड़े समय के लिये बन्दरों का निर्यात रोक दिया गया। विश्व की सभी वैज्ञानिक संस्थाओं ने भारत सरकार से यह प्रतिबन्ध उठाने को कहा क्योंकि उनके कथनानुसार शिशु पक्षाघात की वेक्सीन बनाने के लिये बन्दरों की उस विशेष किस्म की आवश्यकता थी। तत्पश्चात विभिन्न प्रयोगशालाओं के परामर्श से ये विनियम बनाये गये तथा अन्य देशों ने भी यह आश्वासन दिया कि इन विनियमों का भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पालन किया जायेगा। वस्तुतः बन्दरों की कीमत का प्रश्न बिल्कुल नगण्य है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस समय भी यह कहा है कि वैज्ञानिक प्रगति तथा रोगों के निराकरण को ध्यान में रखते हुये बन्दरों का निर्यात बन्द न किया जाय। मैं श्री आसर से यह निवेदन करूंगा कि वे इन विनियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वस्तुतः इससे अधिक परिमाण नहीं सुझाये जा सकते हैं। ये विनियम बन्दर पकड़ने से ले कर उन पर प्रयोगशालाओं में प्रयोग किये जाने तक लागू होते हैं। और अधिकारी व्यक्तियों द्वारा इन नियमों के पालन की देख रेख की जाती है। ये बन्दर केवल उन्हीं संस्थाओं को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

भेजे जाते हैं जिन्हें विश्व प्रसिद्ध प्रयोगशालाओं द्वारा प्राधिकार प्राप्त हैं। अभी हाल हमने भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा आवश्यक बन्दरों की संख्या पता लगाने का निश्चय किया। उनकी संख्या एक लाख से कुछ ज्यादा थी। समय बदल गये हैं। अतः मानवता की आवश्यकता को देखते हुए हम वैज्ञानिक प्रयोग के लिये बन्दरों के भेजे जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं।

माननीय सदस्यों को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि विभिन्न म्यूनिसिपलटियां इन बन्दरों को दूर रखने के लिये कितना व्यय कर रही हैं। मेरा अपना अनुभव है कि एक राज्य सरकार इन बन्दरों को नष्ट करने के लिये प्रतिवर्ष ६०,००० रुपये व्यय कर रही थी। अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस संकल्प पर आग्रह न करें। एक माननीय सदस्य ने यह आशा प्रगट की है कि क्या इस प्रकार बन्दरों की यह किस्म समाप्त नहीं हो जायेगी। यह आशंका करना गलत है। सुयोग्य अधिकारियों के मत से हम २,५०,००० बन्दरों का प्रतिवर्ष निर्यात कर सकते हैं।

श्री मोहन स्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर से बंदरों को बाहर भेजने के मुताल्लिक लोगों के खयालात मैं सुन रहा हूं। बहुत से दोस्तों ने कहा कि बंदर खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत से केसेज में खेती को नुकसान पहुंचाने वाले आदमी हैं। आदमी चुराते हैं फसलें काटते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे दोस्त चौधरी साहब जानते हैं, और जिन का खेती से ताल्लुक है वे जानते हैं, कि जानवरों के मुकाबले इंसान खेती को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तरह तरह की चोरियां होती हैं। और जहां तक बंदरों का ताल्लुक है उनसे कहीं ज्यादा दूसरे जंगली जानवर, जैसे वारे हैं, चीतल हैं, झाख हैं, तोते हैं, दूसरी चिड़ियां हैं, इंसेक्टस हैं, यह नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि जब कभी खेती को नुकसान पहुंचाने की बात आती है तो सिर्फ बन्दरों के ऊपर सारा कुसूर लाद दिया जाता है। यह चीज मेरी समझ में नहीं आती।

दूसरी बात यह कही गई कि साइंटिफिक रिसर्च के लिये बंदरों का बाहर भेजना मुनासिब है। मैं देखता हूं कि साइंटिफिक रिसर्च तो कम होती है, लेकिन, जैसा नायर साहब ने कहा, बाहर हवा में बन्दरों को भेजा जाता है और उनके जरिये से एक्सपेरीमेंट्स होते हैं। तरह तरह के न्यूक्लिअर वेपन्स को ज्यादा एफेक्टिव बनाने के लिये बन्दरों के ऊपर तजुर्बात होते हैं, कमरों में वे बंद कर दिये जाते हैं।

श्री कानूनगो : हमने इस बात का पता लगाया है और हमें ज्ञात हुआ है कि बन्दर नाभिकीय परीक्षण के सिलसिले में काम में नहीं लाये जाते हैं।

श्री मोहन स्वरूप : मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब को शायद इन्फार्मेशन कम है। इस बारे में मेरे पास जो रीसेंट पेपर्स आये हैं, वे साबित करते हैं कि इस किस्म के तजुर्बात हो रहे हैं न्यूक्लिअर वेपन्स के मुताल्लिक। जहां तक हिन्दुस्तान के नजरिये का ताल्लुक है, हिन्दुस्तान न्यूक्लिअर वेपन्स की मुखालिफत करता है। मैं नहीं समझता कि जब हम न्यूक्लिअर वेपन्स की मुखालिफत करते हैं तो बन्दरों को उनका आलाकार क्यों बनाया जाता है तजुर्बात करने के लिये।

दूसरी चीज मैं यह देखता हूं कि आज हिन्दुस्तान की हालत यह है कि कई गांवों पर पाकिस्तान का कब्जा है। तुकेरग्राम पर पाकिस्तान का कब्जा है, वैस्ट बंगाल और आसाम के आसपास की सरहदों पर पाकिस्तान की फौजें मौजूद हैं। अभी गोआ के मसले में हमने देखा कि पोर्टगीज हमारे आदमियों को ले गये। जब इस तरह के मसले सामने आते है तो हम सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम तो अमन से रहना चाहते हैं। दुश्मन हमारे मुल्क पर कब्जा कर ले तो हम अमन की

बात करते हैं, लेकिन जब गरीब बन्दरों की बात आती है, अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनकी तादाद बहुत इनसिग्निफिकेंट है जब इस तरह की बात कही जाती है तो सत्य और अहिंसा की पालिसी की बात क्यों की जाती है ? उसके साथ यह मजाक क्यों किया जाता है ? मैं कहता हूं कि हमारी सरकार सत्य और अहिंसा की पालिसी का मखौल उड़ाना चाहती है तो वह या तो उस क्रीड को छोड़ दे या फिर उसका मखौल उड़ाना बन्द कर दे। वह कह दे कि उसका ईमान इस चीज पर नहीं है। लेकिन अगर उसका का ईमान इसके ऊपर है, तो उसको इस दृष्टिकोण से सोचना होगा। अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि उससे जो आमदनी होती है वह बहुत इनसिग्निफिकेंट (कम) है। अगर वह इनसिग्निफिकेंट है तो यह कौनसी ऐसी चीज है जिससे होने वाली आमदनी दूसरी चीज से नहीं हो सकती ? मिनिस्टर साहब ने कहा कि बन्दरों के साथ बड़ा अच्छा सुलूक किया जाता है। मेरे पास एक कटिंग है उसमें यह लिखा है कि सरकार को चाहिये कि वे इस बात पर कड़े प्रतिबन्ध लगाये कि बन्दरों पर निर्यात के समय उनके पकड़ने, भेजने तथा विमान में चढ़ाने तक उनके प्रति मानवता का व्यवहार किया जाय।

वर्ष १९५७ की रिपोर्ट में बताया गया है कि बन्दरों के पिंजरे भी ठीक साइज के नहीं थे मैं देखता हूं उनके साथ जैसी ज्यादती पहिले हो रही थी वही आज भी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है है कि कुछ बन्दरों के बच्चे होने वाले थे और एक के तो हवाई अड्डे पर बच्चे हो भी गये।

यह सन १९५७ की कटिंग है लेकिन जो सूरते हाल सन १९५७ में थी वही आज भी मैं देखता हूं। जिन पिंजरों में १०० बन्दरों की जगह है उनमें १५० बन्दर भरे जाते हैं, उनके खाने पीने का कोई इन्तजाम नहीं होता। यह तो आज उनकी हालत है। हमने एक एनीमल वेलफेअर बोर्ड बनाया है, उसके चेअरमैन पहले तो श्री वी० के० कृष्ण मेनन थे और अब श्री वी० वी० गांधी हैं। अभी मैंने एक्सपोर्ट आफ मंकीज के मुताल्लिक उस अपीनियन का इजहार किया है जो कि कमेटी ने पेश की है। हम इस तरह की चीजें तो करते हैं लेकिन उनका इम्प्लिमेंटेशन सही तौर से नहीं करते। मैं देखता हूं कि आज भी बहुत सी चिड़ियां और परिन्दे हिन्दुस्तान से गायब होते जा रहे हैं। वाइल्ड डक्स गायब होते जा रहे हैं, पीजन्स को हम बाहर भेज रहे हैं, वह भी गायब होते जाते हैं और अब हम देखते हैं कि बन्दर भी गायब होते जा रहे हैं क्योंकि आप उनके बच्चे पकड़ कर बाहर भेज देते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे यहां से तरह तरह की नस्लें गायब होती जाती हैं। मैं समझता हूं कि हर देश परिन्दों और जानवरों की रक्षा का इन्तजाम करता है, लेकिन हमारे यहां तो नजरिया ही दूसरा है। मेरे इस रेजोल्यूशन को लाने का जो मकसद था वह टू फोल्ड था। एक तो जो ज्यादती या बेरहमी जानवरों के साथ होती है उस बरताव को दूर करने का था और दूसरे यह कि जो हमारा नजरिया सत्य और अहिंसा का है उसको हर तरह से कायम रहना चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि इस वक्त लोग उसे नहीं रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि बन्दरों के ऊपर जो बेरहमी हो रही है उससे उनको बचाया जाय और दूसरे जो फुजूल से तजुर्बात के लिये हम बन्दरों का इस्तैमाल करते हैं जो कि नाजायज और बेजा है उसे रोका जाय। लेकिन मैं देखता हूं कि मिनिस्टर साहब की राय यह है कि इस रेजोल्यूशन को वापस ले लिया जाय। मैं तो इस को प्रेस करना चाहता था लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से भी हुक्म हुआ है मैं इसको वापस ले लूं। इसलिये मैं इसे वापस ले रहा हूं। लेकिन फिर भी चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जह दे और इस किस्म के बेरहमाना बर्ताव पर रोक लगाये ताकि बाहर के जो लोग हैं वे हमें शरमिन्दा न करें। मेरे पास टेलीग्राम मौजूद हैं बहुत से इसके मुताल्लिक। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट की राय इस तरफ नहीं है कि इसको पास किया जाय, फिर भी मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस चीज पर तवज्जह दे।

†**श्री कानूनगो :** मैं आश्वासन देता हूं कि यदि नियमों के उल्लंघन की ओर हमारा ध्यान दिलाया जायेगा तो उस पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा और नियमों में संशोधन करने के सुझाव पर भी ध्यान दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आसर साहब क्या कहते हैं अपने मोशन के बारे में ?

श्री आसर : मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं ।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर): जबकि प्रस्ताव वापस ले लिया गया है तो अमेंडमेंट कैसे आयेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मुझे यह सोचना है कि रूल्स क्या इजाजत देते हैं। चूंकि रूल्स यह कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट रेजोल्यूशन पेश किया जाय इस लिये मुझे करना ही होगा ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल): उपाध्यक्ष महोदय, जब पेड़ की जड़ ही नहीं रहेगी तो उसकी शाखें कहां रहेंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कोई नया रेजोल्यूशन तो बनाने नहीं लगा । उस पेड़ की जगह एक दूसरा पेड़ भी लगा दिया गया था । पहला तो नहीं रहा लेकिन दूसरा मौजूद है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न संकल्प सभा में मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

संकल्प, सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की राय है कि अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनसूची में सम्मिलित किया जाये और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाये ।"

[श्री मोहम्मद इमाम पीठासीन हुए]

मैं शुरू में ही यह बिल्कुल साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि मेरा संकल्प सरकारी या राष्ट्रीय भाषा के सवाल से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता । मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का अनुमोदन किया जाये । संविधान तैयार करने वालों ने आठवीं अनुसूची क्यों रखी थी ? आठवीं अनुसूची कोप्समझने के लिये, हमें संविधान के अनुच्छेद ३५१ को देखना चाहिये । उस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिन्दी भाषा को भारत की मिली जुली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना चाहिये और इसके लिये उसे आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं की शैलियों तथा रूपों को अपने में समोना चाहिये । अनुच्छेद ३४४ में उसका एक यह भी प्रयोजन

---

†मूल अंग्रेजी में

बताया गया है कि राष्ट्रपति जब भी भाषा आयोगों का गठन करें तब उन आयोगों में आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाना चाहिये। इसलिये मेरे इस संकल्प का मंशा है कि अंग्रेजी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाये, जिससे कि हिन्दी भाषा अंग्रेजी के उपयुक्त शब्दों और मुहाविरों को भी अपने में समा सके।

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषा आयोग ने भी इस बात का समर्थन कर दिया है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों, प्रौद्योगिकीय और विज्ञान सम्बन्धी परिभाषाओं को बिना किसी हिचक के अपनाया जाना चाहिये। सैंकड़ों वर्षों के प्रयोग के कारण, अब अंग्रेजी के शब्द सभी भाषाओं में समान रूप से प्रचलित हो चुके हैं। सभी लोग उनको बोलते-समझते हैं। अब मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि उसे संवैधानिक मान्यता दी जाये। अभी हाल को संसदीय भाषा समिति ने भी अंग्रेजी से शब्द लेने की इस बात का समर्थन किया था। हमारी साहित्य अकादमी ने आठवीं अनुसूची में उल्लिखित १४ भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और सिन्धी भाषाओं को भी अब मान्यता दे दी है। अंग्रेजी और सिन्धी को भी भारत की प्रमुख भाषायें मान लिया गया है।

कलकत्ता विश्व विद्यालय की सीनेट ने भी अनुरोध किया है कि अंग्रेजी को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये। मैं चाहता हूं कि इस सवाल को राजनीतिक दलबन्दी के दलदल में न फंसने दिया जाये। लेकिन भाषा का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि इस पर निष्पक्ष होकर विचार करना सभी के लिये बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रश्न पर एक बिल्कुल वस्तुगत ढंग से विचार करना कठिन होता है, क्योंकि हम सभी अपने जन्म से ही अपनी भाषा और संस्कृति के वातावरण में पलते हैं। इसलिये अपनी भाषा से लगाव होना तो लाजिमी है, लेकिन लगाव होने का मतलब यह तो नहीं होता कि पूर्वाग्रह और घृणा भी लाजिमी हो।

मैं समझता हूं कि मुझे हिन्दी के प्रति अपनी सद्‌भावना को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। मैं बीस साल तक शिक्षा बोर्ड का सभापति रहा हूं, और मैंने देश के प्रत्येक आंग्ल-भारतीय स्कूल में हिन्दी भाषा को अनिवार्य बनाया है। मैंने जो हिन्दी की पाठ्य पुस्तकें तैयार कराई हैं, भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने भी उनको अहिन्दी भाषी बच्चों के लिये सर्वोत्तम माना है। मेरा ख्याल है कि हमें किसी भी भाषा से घृणा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हर नई भाषा का अध्ययन हमारे ज्ञान को, हमारे दृष्टिकोण को और अधिक विस्तृत बनाता है।

मेरे बहुत से हिन्दी भाषी मित्रों ने मुझ से बड़ी स्पष्टवादिता से स्वीकार किया है कि वे इस प्रश्न पर वस्तुगत ढंग से विचार करने में असमर्थ हैं। मैं मानता हूं कि भाषा के प्रश्न पर मैं भी वस्तुगत विचार का दावा नहीं कर सकता। इसलिये मेरा ख्याल है कि हिन्दी और अंग्रेजी से सम्बन्धित इस प्रश्न पर वस्तुगत ढंग से केवल वही विचार कर सकता है जिसकी मातृ-भाषा न तो हिन्दी हो, और न अंग्रेजी। म ऐसे व्यक्तियों को अपने इस संकल्प का निबटारा करने का भार सौंपने के लिये तैयार हूं।

इस संकल्प पर वस्तुगत ढंग से विचार करने में एक और अड़चन है—भावुकता की। मैं जानता हूं कि मेरे कम्युनिस्ट मित्र उस पर विशेष जोर देंगे। लेकिन मैं उनसे भी अपील करता हूं। मैं जानता हूं कि अंग्रेजी भाषा उन अंग्रेजों की है जिनकी दासता में हमारा देश इतने दिनों तक रहा है। इसीलिय जनता की भावुकता अंग्रेजी के प्रति उमड़ पड़ती है। लेकिन अंग्रेजी सिर्फ इंगलैण्डवासियों की भाषा नहीं है।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

मैं आठवीं अनुसूची के संवैधानिक महत्व का स्पष्टीकरण कर ही चुका हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि वह महत्व तो पहले था। मैं मानता हूं कि हमने, संविधानकारों के मूल प्रयोजन के विरुद्ध भी, अष्टम अनुसूची के वैधानिक महत्व को और अधिक विस्तृत बनाने की कोशिश की है। मतलब यह कि हमने आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के पद पर बैठाने की कोशिश की है। लेकिन, इस दृष्टि से भी अंग्रेजी का महत्व क्या होना चाहिये? आप कौनसी कसौटी रखेंगे यह तय करने के लिये कि अंग्रेजी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया जाय या नहीं? मेरी समझ से तो इसकी सबसे पहली कसौटी होनी चाहिये—भाषा के विस्तार उसकी व्यापकता की। कुछ ऐतिहासिक कारणों से ही सही, अंग्रेजी भाषा आज देश के सभी भागों में समान रूप से और सभी भाषाओं से अधिक प्रचलित है। देश में किसी भी अन्य भारतीय भाषा के जानने वाले और उसे व्यवहृत करने वाले लोगों की संख्या इतनी नहीं है।

अगर हम हिसाब लगा कर देखें कि देश में कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो पता लगेगा कि हमारे यहां ६० प्रतिशत लोग हिन्दुस्तानी के बराबर अंग्रेजी जानते हैं। तामिलनाड और केरल के तो मजदूर तक अंग्रेजी जानते हैं। इसकी गणना करने के लिये आप सरकारी आंकड़ों पर भी निर्भर नहीं कर सकते। १९५१ की जनगणना के आंकड़ों में, मध्य प्रदेश में, हिन्दी जानने वालों की श्रेणी में उर्दू, पंजाबी, गोरखाली, राजस्थानी, इत्यादि —ऐसी ७७ भाषायें—बोलने वालों को भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन अंग्रेजी जानने वालों की श्रेणी में सिर्फ उनको शामिल किया गया है जिनकी मातृ-भाषा ही अंग्रेजी है। उसमें उन लोगों को भी नहीं रखा गया जिनकी शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से हुई है। इसीलिये अंग्रेजी जानने वालों की संख्या १,७१,००० ही रह गई है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): हमारी मातृ-भाषा अंग्रेजी नहीं है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी**: मातृभाषा होती क्या है? मातृ-भाषा उसी भाषा को कहते हैं जिसमें बच्चे का पालन पोषण हुआ हो। उदाहरण के लिये, श्री मसानी गुजराती हैं और उनकी पत्नी की मातृभाषा हिन्दी है, और वे इसीलिये आपस में अंग्रेजी में ही बातें करते हैं, इसलिये उनके बच्चे की मातृभाषा अंग्रेजी ही है।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़): एक औचित्य प्रश्न है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कि वह गुजराती में बात करते हैं।

†**सभापति महोदय**: इसमें औचित्य प्रश्न की कोई बात नहीं। श्री मसानी ने खुद इस पर आपत्ति नहीं की है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी**: श्री मसानी मेरे परम मित्र हैं।

आज सचाई तो यह है कि सिर्फ अंग्रेजी ही एक अखिल भारतीय भाषा है। इतिहास के लिये हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री हिन्दी जानते तक नहीं।

श्री र० द० मिश्र (बुलन्दशहर): मेरा एक औचित्य प्रश्न है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान नियम १८७ की तरफ दिलाना चाहता हूं। नियम १८७ में व्यवस्था है कि यदि अध्यक्ष की राय में कोई प्रस्ताव ऐसा हो जिसे प्रस्तुत करने से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग होता हो,

---

†मूल अंग्रेजी में

तो वह निर्णय करेगा कि उस प्रस्ताव या उसके किसी भाग को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये, या नहीं।

यह रेजोल्यूशन (संकल्प) जो आपका है, यह डिसएलाउ होना चाहिये इस आधार पर कि इस तरीके का रेजोल्यूशन जो है वह रेजोल्यूशन मूव करने के राइट को एब्यूज (दुरुपयोग) करता है।

इस सिलसिले में, मैं बतलाना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन में जो वह एमेंडमेंट करवाना चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा भी शैड्यूल (अनुसूची) में शामिल कर लीजाये, उसके बारे में, मैं आर्टिकल ३४४ पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं। वह इस तरह से है :—

"राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति और अष्टम अनुसूचीमें उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे. . . . ।"

आठवें शैड्यूल (अष्टम अनुसूची) में जो वह इंग्लिश को शामिल करवाना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त कांस्टीट्यूशन बनाया गया था, उस वक्त बहुत सोच-समझ कर इसको पास किया गया था और इसमें मेरे साथी एन्थनी साहब भी शामिल थे, चूंकि वह कांस्टिट्युएंट असेम्बली (संविधान सभा) के मेम्बर थे। मैं यह कहता हूं. . . .

†**सभापति महोदय :** मैंने माननीय सदस्य की बात समझ ली है। अध्यक्ष महोदय ने इन सब पर विचार करने के बाद ही संकल्प की अनुमति दी थी।

दूसरी चीज़ यह है कि माननीय सदस्य ने जिस नियम १८७ का हवाला दिया है वह प्रस्तावों के सम्बन्ध में है, संकल्पों के नहीं। इसलिये, यह औचित्य प्रश्न नहीं उठता। यही मेरा विनिर्णय है।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : इस सभा के सम्माननीय सदस्य डा० सुब्बारायन भी स्वयं तो तामिल भाषी हैं, लेकिन उनकी पत्नी कोंकणी-भाषी हैं, और उनके घर की भाषा, उनके बच्चों की मातृभाषा अंग्रेजी ही है। तामिलनाड के माननीय सदस्य यदि अंग्रेजी न जानें तो दिल्ली में भी उतने ही विदेशी बने रहेंगे जितने कि यूरोप में।

यह सभा देश की सब से बड़ी प्रतिनिधि सभा है। इस सभा का काम भी देश की अखिल भारतीय भाषा—अंग्रेजी—के अलावा और किसी भाषा में नहीं चल सकता।

मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं कि यह स्थिति अच्छी है या बुरी। मैं तो सिर्फ वस्तु-स्थिति आपके सामने रख रहा हूं। हम इतिहास को इसके लिये दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र होने बाद भी तो, हमारे संविधानकारों ने ही अंग्रेजी को भारत की सब से प्रमुख भाषा की प्रतिष्ठा दी है। वह भी जान-समझ कर ही। बम्बई स्कूलों के मामले में, न्यायाधीश छागला ने अपने निर्णय में इस सम्बन्ध में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही थीं। उन्होंने संविधान की पूरी योजना की जांच करते हुए, अनुच्छेद ३४३(१) के बारे में कहा था कि उस में हमारे गणराज्य को सरकारी भाषा अंग्रेजी घोषित की गई है। उन्होंने आगे कहा था कि अनुच्छेद ३४५ में प्रादेशिक भाषाओं की व्यवस्था की गयी है। और, अनुच्छेद ३४८ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा के सम्बन्ध में है। उन्होंने ऐसे सभी अनुच्छेदों की परीक्षा के बाद, निष्कर्ष यह निकाला था कि संविधान में एक और तरीके से भी आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के मुकाबले अंग्रेजी को अधिक प्रधानता दी गई है। जब तक अंग्रेजी को हटाया नहीं जाता, तब तक वही देश की सरकारी और प्रशासकीय भाषा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एन्थोनी]

अंग्रेजी ही न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा है। हमारा संविधान खुद अंग्रेजी में ही प्रारूपित किया गया था। हमारे कानून वगैरह भी अंग्रेजी में ही होते हैं। यह प्रतिष्ठा उसे संविधानकारों ने ही दी है।

आज भी सभी भारतीयों में अंग्रेजी का प्रसार उसी जोश से होता जा रहा है। आज अंग्रेजी का क्षेत्र, स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से, दस गुना बढ़ गया है। आज ज्यादातर लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा दिलाना पसन्द करते हैं। क्या इसलिये कि वे गुलाम हैं? यह कहना बिलकुल गलत है। वे अंग्रेजी का माध्यम इसीलिये पसन्द करते हैं कि वह एक संसार-व्यापी भाषा है। कांग्रेस दल के प्रमुख नेता और हमारे मंत्री लोग भी अपने बच्चों को आंग्ल-भारतीय स्कूलों में भर्ती कराने की कोशिश में मेरे पास आते हैं। इसके लिये मैं तो दोषी नहीं।

आज वैधानिक स्थिति क्या है? अंग्रेजी के विरोधियों का सब से बड़ा तर्क यही रहता है कि वह एक विदेशी भाषा है। यह तो मैं मानता हूं कि अंग्रेजी का उद्भव हमारे देश में नहीं हुआ था। इस मायने में वह विदेशी है। लेकिन उद्भव ही तो विदेशीपन की एक कसौटी नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस मायने में तो स्वयं इंगलैण्डवासियों के लिये अंग्रेजी विदेशी भाषा है। ईसा से छः सौ वर्ष पूर्व इंगलैण्ड में अंग्रेजी नहीं थी, कुछ स्थानीय बोलियां थीं। कई विदेशी आक्रमणकारी लोग भी वहां अपनी-अपनी विदेशी बोलियां लाये थे। उन सभी से अंग्रेजी का जन्म हुआ था। ब्रिटेन की मूल बोलियां तो कैल्टिक थीं। उस पर बाद में लैटिन और फ्रेंच का भी काफी प्रभाव पड़ा था। भारत में भी आर्य लोग ही संस्कृत को लाये थे। क्या वह भी विदेशी भाषा मानी जायेगी?

†**सेठ गोविन्द दास** (जबलपुर): इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं करता।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी:** सभी अध्येताओं ने इसे स्वीकार किया है। लेकिन इस बहस से कोई फायदा नहीं। बाद में, संस्कृत ही हमारी सब से परिष्कृत और सुसंस्कृत भाषा बन गई थी। इसी तरह उर्दू भाषा का उद्भव भी विदेशी है, लेकिन बाद में वह भारतीय संस्कृति का अंग बन गई है। उर्दू को तो कोई विदेशी भाषा नहीं कहता। तब अंग्रेजी को ही विदेशी भाषा क्यों कहा जाता है? वैधानिक रूप से अंग्रेजी किस की भाषा है? अंग्रेजी इंगलैण्डवासियों की भाषा नहीं है, वह तो सारे संसार की भाषा है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी): जी, नहीं। वह एंग्लो सैक्शन भाषा है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी:** और, आज तो अंग्रेजी ने अपना नाम भी बदल लिया है। अमरीकी उसे अमरीकी भाषा कहते हैं। आस्ट्रेलिया के लोग उसे आस्ट्रेलियाई भाषा कहते हैं।

घाना राज्य ने उसे अपनी सरकारी भाषा माना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास के चक्र को कोई भी पीछे नहीं घुमा सकता। एक दिन भारतीय अंग्रेजी भी हमारे सामने आ जायेगी। और भारतीय अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की सब से समृद्ध और विस्तृत धारा सिद्ध होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पता नहीं मेरे मित्रों को यह संदेह क्यों होने लगता है कि यदि मैं अंग्रेजी भाषा को उस ग। अधिकार दिलाने की बात कहता हूं, तो मैं हिन्दी को उखाड़ दूंगा। मैं तो अंग्रेजी को सिर्फ अष्टम अनुसूची में ही सम्मिलित कराना चाहता हूं।

माननीय सदस्य अपने आप से स्वयं ही यह प्रश्न पूछें कि देश को एक सूत्र में बांधने वाली चीज आखिर है क्या ? सिर्फ अंग्रेजी ही, हमारे देश के एकीकरण की भावनात्मक कड़ी है। यदि आप उसे हटा देंगे, तो देश कई भाषाओं और संस्कृतियों के टुकड़ों में बट जायेगा।

वस्तु-स्थिति तो यह है कि भारत में अंग्रेजी सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं से अधिक प्रमुख है। उसे संविधानकारों ने ही यह प्रतिष्ठा दी है। और, वैधानिक रूप से अंग्रेजी भारतीय भाषा ही है। न्यायाधीश छागला का निर्णय मैं आपको सुना चुका हूं। उसी में, आगे कहा गया है कि संविधान ने अंग्रेजी भाषा और भारतीय अल्पसंख्यकों की अन्य भाषाओं में कोई विभेद नहीं किया है। आज संवैधानिक रूप से, अंग्रेजी उतनी ही भारतीय भाषा है जितनी कि भारत की अन्य कोई भाषा। हो सकता है कि इससे हिन्दी-प्रेमियों की भावना को ठेस लगे। लेकिन, वस्तु-स्थिति यही है।

मेरी भावनाओं को भी तब ठेस लगती है जब कोई मुझ से कहता है कभी-कभी प्रधान मंत्री भी कह जाते हैं कि मेरी मातृभाषा अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। जब कि इतिहास ने मुझे ऐसा ही बनाया है, यही चुनाव दिया था। मैं भारतीय हूं और मुझे इस पर गर्व है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ। अब मैं संशोधनों को लेता हूं।

संशोधन संख्या १, २, ३, ४, ५, ७, ८, ९, १०, ११, १२ नियम-बाह्य हैं। श्री रघुनाथ सिंह के संशोधन के बारे में सभा ने निर्णय दे ही दिया है। श्री मोहम्मद इमाम का संशोधन भी नियम-बाह्य है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं। मेरा संशोधन यह है कि इस प्रश्न की संसद् के सदस्यों की एक समिति द्वारा जांच की जाये जो यह सिफ़ारिश करे कि अंग्रेजी को आठवीं अनुसूची में रखा जाये या नहीं।

†**पंडित क० च० शर्मा** (हापुड़) : यदि सभा इस संकल्प को पारित भी कर दे, तो वह व्यर्थ होगा। इसलिये कि इस में संविधान का संशोधन करने की बात कही गई है। अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत, संविधान का संशोधन तो एक नियमित विधेयक पारित करके ही किया जा सकता है। इसलिये यह सभा की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य को एक और उदाहरण बता दूं। इससे पहले सिंधी भाषा को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित कराने के लिये जब एक विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति मांगी गई थी, तब गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयक समिति ने उसकी अनुमति नहीं दी थी और कहा था कि उसके लिये पहले एक संशोधन रखा जाना चाहिये, जिससे कि पता चल जाये कि उस संशोधन के पक्ष में काफी लोग हैं या नहीं। और ऐसा ही किया भी गया था।

†**पंडित क० च० शर्मा :** फिर भी यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है।

अब अनुच्छेद ३५१ का प्रश्न लीजिये। संविधान में भाषा सम्बन्धी जो व्यवस्थायें की गई हैं उनका उद्देश्य एक नयी अखिल भारतीय संस्कृति को जन्म देना, उसका विकास करना ही है। संस्कृति जनता के जीवन के ढंग को कहते हैं। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति के विकास में सिर्फ एक ही

---

†मूल अंग्रेजी में

[पं० कृ० च० शर्मा]

योग दिया है और वह है जनता को गुलामी की तकलीफों के बारे में महसूस करने योग्य बनाया है। लेकिन भारतीय संस्कृति का हाड़-मांस तो संस्कृत ने बनाया है। भारतीय संस्कृति के रक्त में संस्कृत ने प्रेम, सत्य, अहिंसा और त्याग की भावनाओं को घुला मिला दिया है। संस्कृत ने ही भारतीय जीवन के सत्य को, उसके सार को, उसके शाश्वत तत्व को व्यक्त किया है, वाणी दी है। इसीलिये संविधान ने संस्कृत की भावना, उसके विचारों और उद्देश्यों से प्रेरित होने वाली भाषाओं को मान्यता दी है। नयी राष्ट्रीय भाषा के विकास में उनके योगदान को स्वीकार किया है।

उस नयी राष्ट्रीय भाषा के विकास में अंग्रेजी कोई भी योग नहीं दे सकती। आप यह तो पास कर सकते हैं कि अंग्रेजी ही राष्ट्रीय भाषा हो। वह तो दूसरी ही बात होगी। लेकिन उसे अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने का मतलब है कि अंग्रेजी को भी नयी राष्ट्रीय भाषा के विकास में योगदान करने योग्य मान लिया जायेगा। यह काम अंग्रेजी नहीं कर सकती।

अंग्रेजी भाषा ने हमारी जानकारी बढ़ाई है। वह हमारे देश के भावी विकास के लिये कई क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी भी हो सकती है। इस प्रकार तो वह पूरी मानवता के भावी विकास में भी उपयोगी हो सकती है। मैं इस संकल्प का विरोध इसलिये नहीं करता कि मैं अंग्रेजी भाषा के महत्व को कम करना चाहता हूं। लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं कि वह भारतीय भाषा बन सकती है और भारतीय चिन्तन को प्रेरित कर सकती है। इसलिये कि इंगलैण्डवासियों के जीवन का आधारभूत दृष्टिकोण भारतीय जीवन का अपना अंग नहीं बन सका है। अंग्रेजी हमारी जनता के रक्त-मांस में घुलमिल नहीं पाई है।

इसलिये मैं इस संकल्प को गलत समझता हूं और इसका विरोध करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : यह संकल्प प्रस्तुत होने से हमें यह विचार करने का अवसर मिला है कि अंग्रेजी भाषा के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिये। इसका क्षेत्र तो सीमित ही है परन्तु हमें इस बारे में पूरी तरह से विचार करना चाहिये क्यों कि हमारे लोकतन्त्र राज्य में अल्प संख्यक वर्गों के शिक्षा सम्बन्ध तथा अन्य किसी भी प्रकार की बाधायें उत्पन्न न हों।

प्रस्तावक ने भी यह बात स्पष्ट कर दी थी कि इस संकल्प का राजभाषा अथवा सरकारी भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह स्थान तो हिन्दी को दिया जा चुका है और जितनी जल्दी हम उसका प्रयोग करने लगें उतना ही हमारे लिये बेहतर होगा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें। अब आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होगी।

भारत में विदेशी फर्मों का भारतीयकरण*

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने ११ मार्च, १९५९ को भारत स्थित विदेशी समवायों में १००० रुपये से अधिक वेतन वाले भारतीय कर्मचारियों सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकार ने १९५२ में जो नीति बनाई थी, उसके अनुसार भारतीयकरण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया था कि १९५३ में भारतीयों की संख्या २,२६० और गैर–भारतीयों की ७,१०४ थी जो कि १९५८ में क्रमवार ६,७०४ और ५,६५२ हो गई। यह स्थिति बागानों के अतिरिक्त अन्य समवायों की थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

परन्तु बागानों की स्थिति ऐसी नहीं थी। उन्होंने बताया कि बागानों में ३७० भारतीय और, १,१११ विदेशी हैं। इसके कुछ कारण भी बताये गये थे। मैंने तीन बातें जानने के लिये आधे घंटे की चर्चा की मांग की थी। पहला प्रश्न सरकार की नीति है। दूसरा बागान में प्रतिशत कम होना और तीसरे स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है।

सरकार की नीति के बारे में माननीय मंत्री ने कहा था कि धीरे-धीरे भारतीयकरण हो रहा है परन्तु मुझे औषधि निर्माण संबंधी विदेशी समवायों के बारे में यह सूचना मिली है कि उनमें भारतीयकरण का कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है। इस उद्योग में अब बीसा की कठिनाई से बचने के लिये राष्ट्रमण्डलीय देशों के लोग नियुक्त किये जा रहे हैं।

ऐसा भी होता है कि विदेशी पदाधिकारी नियुक्त करने के हेतु भारतीयों को त्यागपत्र देने के लिये मजबूर किया जाता है। विदेशियों को अत्यधिक वेतन और भत्ते और कई सुविधायें दी जाती हैं जो भारतीयों को नहीं मिलतीं। समान कार्य के लिये समान वेतन देने का सिद्धान्त वहां लागू नहीं होता।

बागान का मामला सब से अधिक महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मैं बागान जांच आयोग के १९५६ के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों का उल्लेख करना चाहता हूँ। उसमें अध्याय १९ में पृष्ठ २४४ पर कहा गया है कि विदेशी कर्मचारियों को बहुत अधिक वेतन दिये जा रहे हैं और उसका कारण यह बताया जाता है कि उन्हें अपना देश छोड़कर सामाजिक जीवन से दूर बागानों में रहना पड़ता है; उनके बच्चों की शिक्षा भी कठिनाई में पड़ जाती है और उनको भारत में तथा विदेश में दोनों स्थानों पर अपने कार्यालय रखने होते हैं। आगे यह भी कहा गया है कि उससे कम वेतन पर काम करने के लिए भारतीय तैयार हैं और मिलते भी हैं अतः हमारा सुझाव है कि चाय समवायों में प्रबन्धकों की श्रेणी में अधिक भारतीयों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस संबंध में आयोग ने बंगाल सरकार का एक प्रमाण भी दिया है कि इस उद्योग में प्रबंधकों की श्रेणी में भारतीयों की संख्या बहुत ही कम है।

उक्त आयोग की अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जब सरकार भारतस्थित विदेशी समवायों का भारतीयकरण कर रही है तो इस बात पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

जब एक माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या भारी प्रशासकीय व्यय के कारण चाय के कई बागान बन्द होते जा रहे हैं इसका कोई सीधा उत्तर नहीं दिया गया था। माननीय मंत्री ने इस संबंध में बताया था कि इन समवायों में भारतीयों की संख्या काफी कम है। उन्होंने बताया कि जनवरी १९५९ के लिए हमने जो लक्ष्य रखा था हम उस पर पहुंच चुके हैं।

एक बार उन्होंने यह भी बताया था कि विदेशी समवायों को हमने ४ समूहों में बांट दिया है क, ख, ग, घ। क वर्ग में २५ प्रतिशत से अधिक भारतीय हैं और उनसे प्रति गैर-भारतीय पीछे २ भारतीय रखने की बात कही गयी है। वर्ग ख में २० से २५ प्रतिशत तक भारतीय हैं और उनसे प्रति गैर-भारतीय पीछे ३ भारतीय रखने को कहा गया है। वर्ग ग में १० से २० प्रतिशत तक भारतीय हैं और उनसे प्रति गैर-भारतीय पीछे ४ भारतीय रखने की मांग की गयी है। वर्ग घ में १० प्रतिशत से कम भारतीय हैं और उनसे प्रति गैर-भारतीय पीछे ५ भारतीय रखने की मांग की गयी है।

[श्री तंगामणि]

पर मैं देखता हूँ कि इन बातों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। मंत्रालय को इस संबंध में अच्छी खासी जानकारी होगी। मैं एक समवाय का उदाहरण देना चाहता हूँ। यह समवाय है पीयर्स लेजली एंड कम्पनी। यह केरल में काफी का व्यापार करती है। इस समवाय में १९५७ के बाद एक यूरोपियन ने नौकरी छोड़ी और ४ भारतीयों ने। केवल एक भारतीय क्लर्क को तरक्की दी गयी। एक ही काम के लिए यूरोपीयन तथा भारतीय कर्मचारियों के वेतन में बहुत असमानता है। भारतीयों के लिए तो अर्हता की शर्तें हैं जब कि गैर-भारतीयों के लिए नहीं। बागानों में अभी भी मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है। यूरोपीय पदाधिकारी अभी भी अपने साम्राज्यी रवैया का इस्तैमाल करते हैं। अतः हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इन समवायों में ठीक प्रकार के व्यक्ति रखे जायें।

एक और बात यह भी है कि इन समवायों में प्रायः सेना के रिटायर्ड लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। वे यहां आकर हजारों मजदूरों के अधिकारी बनते हैं। पर वे ऐसी भाषा बोलते हैं, जो लोगों की समझ में नहीं आती।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वह बताये कि वह इन बागानों के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** श्रीमान, पिछली बार मुझे यह बताने का अवसर मिला था कि विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है। सभा को मालूम ही होगा कि १९५२ से प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर को एक प्रेस नोट जारी किया जाता है जिसमें भारत में विभिन्न समवायों में विदेशी कर्मचारियों की संख्या आदि का अवलोकन किया जाता है। श्री तंगामणि ने ठीक ही बताया कि मैंने उस प्रश्न के उत्तर में कहा था कि ऐसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स और भारतीय चाय ऐसोसियेशन के प्रतिनिधियों के बीच १९५५ में हुए एक अनौपचारिक करार में चाय बागान में विदेशी कर्मचारियों को मोटे तौर पर वर्गीकरण किया गया था। (क), (ख), (ग) और (घ) चार वर्ग बनाये गये थे। मैं सब बातों को दोहरा कर सभा का समय नहीं लेना चाहता। परन्तु मैं भारतीयकरण की प्रगति के आंकड़ों को देखते हुए यह कहूंगा कि श्री तंगामणि ने जो स्थिति बताई है वह सही नहीं है जबकि २५ प्रतिशत पर सहमति व्यक्त की गई थी परन्तु विदेशी बागानों में १९५८ के अन्त में प्रतिशतता ३३.६ हो गई है। इसलिये यह शिकायत की बजाये बड़े सन्तोष का विषय है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या आप हमें वर्गों के आंकड़े बता सकते हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** मेरे पास प्रत्येक वर्ग का ब्योरा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं यह बता सकता हूं कि पीयर्स लैंजली एण्ड कम्पनी, जो कि एक मैनेजिंग एजेंसी फर्म है, के भारतीयकरण की स्थिति यह है कि उसमें १६ भारतीय कर्मचारी हैं और १९ गैर-भारतीय अर्थात् भारतीयों की प्रतिशतता ४५.७ और गैर-भारतीयों की ५४.३ है।

जब कभी कोई विदेशी नौकरी छोड़ कर जाता है तो उस स्थान पर प्रायः कोई योग्य भारतीय नियुक्त किया जाता है। और नियुक्ति करते समय केवल इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि उसमें अच्छा प्रबन्ध करने की कितनी क्षमता है और जिस पद पर उसे नियुक्त किया जा रहा है उसके लिये वह कहां तक योग्य है। अन्य बातों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया

†मूल अंग्रेजी में

जाता। जब कोई विदेशी युवक किसी वृद्ध और अनुभव प्राप्त पदाधिकारी के स्थान पर लगाये जाते हैं तो ऐसे मामलों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करने पर हमने कई बार इस पर आपत्ति की है। हम उनसे कहते हैं कि वह स्थान या तो किसी भारतीय को दिया जाये या कोई अधिक सक्षम विदेशी नियुक्त किया जाये। बागान की स्थिति तो यह है। अब मैं अन्य उद्योगों को लेता हूं जिनके बारे में स्वयं श्री तंगामणि ने भी स्वीकार किया है कि वहां इस सिलसिले में अधिक प्रगति हुई है। १९४७ में उन में मुश्किल से ५०४ भारतीय थे लेकिन अब इनकी संख्या ६७०४ हो चुकी है। उनमें भारतीय ५४ प्रतिशत और गैर-भारतीय ५४.७ प्रतिशत हैं। इनकी स्थिति बागान से कई दर्जे अच्छी है। इसका कारण यह है कि बागान का प्रबन्ध करना, जो कि देश में दूर-दूर स्थानों पर होते हैं, ज्यादा टैक्निकल काम है और उसका जिन्हें अभ्यास हो वही यह काम कर सकते हैं। बागान नगरों में नहीं होते जहां लोगों को कई प्रकार की सुविधायें होती हैं और लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

चालू वर्ष में जब करार का नवीकरण किया जायेगा, हम ऐसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स और भारतीय चाय ऐसोसियेशन से इस बारे में बातचीत करेंगे कि वे आगामी ३ से ५ वर्ष तक की अवधि में धीरे-धीरे भारतीयकरण करने का कार्यक्रम बना लें। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि हम जब विदेशी फर्मों और ऐसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों से इस मामले पर बातचीत करेंगे तब हम उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करेंगे कि केवल औसतन प्रगति ही न हो बल्कि हमने १००० रुपये से १५००, १५०० रुपये से २०००, २००० रुपये से ३००० और ३००० रुपये से अधिक वेतन की वालों के जो वर्ग बनाये हैं उन में से प्रत्येक में उपयुक्त अनुपात में प्रगति होनी चाहिये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : वर्तमान प्रतिशतता क्या है?

†**श्री मनभाई शाह** : मेरे पास इस समय ब्योरेवार आंकड़े नहीं हैं क्योंकि हम भारतीयकरण की प्रतिशतता सामूहिक रूप से निर्धारित करते हैं। वेतन वर्गों का ठीक-ठीक हिसाब लगाना बहुत कठिन है। विभिन्न व्यक्तियों के वेतनों में अन्तर होता है। यह जरूरी नहीं है कि किसी स्थान पर उसी वेतन वर्ग का व्यक्ति नियुक्त किया जाये। कई बार ५०० रुपये कम अथवा १००० रुपये अधिक वेतन वाले व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है। अतः यह सम्भव नहीं कि कोई खाली स्थान बराबर के वेतन पाने वाले व्यक्ति को नियुक्त करके ही भरा जाये। हमने १००० रुपये और १००० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वर्ग बना दिये हैं। आगे चल कर हम २००० रुपये तक और २००० रुपये से अधिक वेतन के वर्गों के लिये भी इस दिशा में काम करेंगे। गत सात वर्षों में हमने यह सफलता प्राप्त की है कि ५०० से १००० रुपये तक वेतन वाले वर्ग में केवल भारतीय ही काम कर रहे हैं। इस वेतन वर्ग में शायद एक भी विदेशी नहीं है। आगे अब यह देखा जायेगा कि २००० रुपये तक के वेतन वाले पदों पर भी अधिकतर भारतीय ही नियुक्त किये जायें और इस प्रकार काम आगे बढ़ाया जायेगा।

†**श्री प्रभात कार** : इस भारतीयकरण के कार्य में सेवा की शर्तों को समान स्तर पर लाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इसी बारे में कहने जा रहा था। सरकार सामूहिक प्रतिशतता को देख कर ही सन्तुष्ट नहीं हो जाती। हम प्रत्येक वर्ग को, बल्कि प्रत्येक समवाय को देखते हैं क्योंकि सम्भव है कि एक कम्पनी में औसत ठीक हो और दूसरे समवाय में न हो। यह भी सम्भव है कि किसी समवाय में विदेशियों की संख्या और बढ़ाई जा रही हो। इसलिये सरकार इस बात का भी विशेष

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

ध्यान रखती है कि न केवल औसत बढ़ाई जाय बल्कि विभिन्न वेतन वर्गों और यहां तक कि कुछ महत्व-पूर्ण समवायों में भारतीय कर्मचारियों की संख्या में उपयुक्त अनुपात से वृद्धि हो और भारतीयकरण के कार्य में ठीक प्रगति हो ।

सेवा की शर्तों के बारे में मुझे यह कहना है कि जहां तक हमारे लिये सम्भव होता है हम चाय बागान और अन्य विदेशी समवायों से पता लगाते रहते हैं कि वहां भेद-भाव तो नहीं किया जाता और जब कभी हमें शिकायतें मिलती हैं हम उनकी जांच करते हैं । वस्तुतः मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि गत १८ मास में हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है । १९५६–५७ में कुछ शिकायतें मिली थीं । मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि यदि हमें कोई ऐसी शिकायत मिले कि बागान अथवा किसी अन्य विदेशी समवाय में समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं दिया जा रहा है अथवा अन्य भत्ते देने में भेद-भाव किया जाता है तो हम उसकी अवश्य जांच करेंगे और उसका कोई उपाय किया जायेगा । परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि विदेशियों को घर जाने के लिये, जैसे ब्रिटेन या जर्मनी या स्विटज़रलैंड या अन्य देशों को जाने के लिये जो अवकाश भत्ता मिलता है वह भारतीयों को नहीं दिया जा सकता ।

†**श्री तंगामणि :** देश के अन्दर ही सफ़र करने के लिये यूरोपियन अफसरों को वातानुकूलित डिब्बों में सफर करने की अनुमति दी जाती है जब कि भारतीयों को यह सुविधा नहीं मिलती ।

†**श्री मनुभाई शाह :** देश में सफर करने के लिये भी उन्हें जो सुविधायें प्राप्य हैं वे मिलेंगी । ये सुविधायें विदेशियों और भारतीयों के लिये समान होंगी । परन्तु घर जाने के लिये अवकाश भत्ते में अवश्य अन्तर होगा । हाल ही में जब मैं कनाडा गया तो मैंने देखा कि वहां भारतीयों को भी अवकाश पर भारत आने के लिये ऐसी सुविधायें दी जाती हैं । जब कभी वे तीन या छः मास की छुट्टी लेते हैं तो उन्हें वेतन और यात्रा भत्ता मिलता है । इसे भेद-भाव नहीं कहा जा सकता । भारत में नौकरी करने वाले भारतीय दावा नहीं कर सकते कि उन्हें दूसरे देशों में जाने की सुविधा दी जाये, इसकी मांग तो विदेशी ही कर सकते हैं । इस के अतिरिक्त यदि कोई भेद-भाव का उदाहरण बताया जाये तो हम अवश्य कोई उपाय करेंगे ।

†**श्री डी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि माननीय मंत्री तक शिकायत पहुंचाने वाले व्यक्ति की नौकरी ही छिन जाये ।

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसा नहीं हो सकता । उस कर्मचारी की शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं । माननीय सदस्य सरकार के ध्यान में यह बात ला सकते हैं । कर्मचारी का नाम बताने की भी कोई जरूरत नहीं होती ।

सरकार को जो आंकड़े मिले हैं उन्हें देखते हुए हमें इस बात का संतोष है कि विदेशी फर्मों के भारतीयकरण का यह तरीका अद्वितीय है क्योंकि यह कार्य विदेशी फर्मों, भारत सरकार और देश के लोगों की स्वेच्छा और सम्मति से हो रहा है इसलिये मैं इन विदेशी समवायों का आभारी हूं जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग दिया । आशा है कि अगले वर्ष हम १००० से २००० रुपये और २००० रुपये से अधिक वेतन के वर्गों में और ज्यादा भारतीयकरण के लिये बातचीत कर सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** : क्या सरकार ने ऐसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स से यह पता लगाया है कि गैर-भारतीय समवायों की कई शाखाओं या कार्यालयों में भारतीयों तथा गैर-भारतीयों के वेतन क्रम अलग-अलग हैं या नहीं।

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि नौकरियों में अन्तर है तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता परन्तु यदि एक ही प्रकार के काम और जिम्मेदारी के लिये विदेशी को अधिक वेतन अथवा भत्ता मिलता है और भारतीय को कम, तो उस हालत में अवश्य कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई यह शिकायत करे कि उस के साथ अच्छा वर्ताव नहीं किया जाता तो यह पर्याप्त नहीं होगा।

इस सिलसिले में हम प्रत्येक माननीय सदस्य का सहयोग चाहते हैं जो हमें बताये कि किन समवायों में भेदभाव किया जाता है ताकि हालत को सुधारने की कोशिश की जाये।

जैसा मैं कह चुका हूं, विदेशी नियंत्रण वाले समवायों और ऐसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों से इस वर्ष होने वाली बैठक में आगे के लिये दीर्घकालीन कार्यक्रम निर्धारित हो जायेगा और मुझे विश्वास है कि पहले की तरह आगे चल कर भी हमें सफलता मिलेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २७ अप्रैल, १९५९/७ वैशाख, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[शुक्रवार, २४ अप्रैल, १९५९]

४ वैशाख, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६२६३—८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०२३	बरौनी का तेल शोधक कारखाना . .	६२६३—६६
२०२४	छोटे पैमाने की धमन भट्टी	६२६६—६८
२०२५	पन्ना की हीरे की खानों का राष्ट्रीयकरण . .	६२६८—७०
२०२६	प्राइवेट फर्मों में नियुक्त सेवानिवृत कर्मचारी	६२७०—७२
२०२७	खम्भात तेल क्षेत्र के लिये स्वायत्तशसी निगम .	६२७२—७३
२०२८	भारत एलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में रिसीवरों और ट्रांसमिटरों का निर्माण	६२७४—७५
२०२९	केन्द्रीय युद्ध सामग्री कारखाना, छेवकी में स्थानीय क्रय में अनियमिततायें . .	६२७५—७७
२०३०	किंग जार्जेज़ स्कूल, नौगांव	६२७७—७८
२०३१	हाली मुद्रा . .	६२७८—७९
२०३३	औद्योगिक प्रबन्धक पूल .	६२८०—८२
२०३४	भारत में सग्रहालयों सम्बन्धी पुस्तक	६२८२—८३
२०३५	मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती	६२८३—८६
२०३६	मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृतिया . .	६२८६—८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर .		६२८७—६३१४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०३२	खेल-कूद प्रशिक्षण शिविर	६२८७
२०३७	रूमानिया से मिट्टी के तेल का आयात .	६२८७—८८
२०३८	सैनिक संगीत का प्रतिलिप्यधिकार .	६२८८
२०३९	कोयले का निर्यात .	६२८८
२०४०	गाजा में भारतीय सैनिक . . .	६२८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०४१	अंशदायी स्वास्थ्य योजना का प्रतिरक्षा अधिष्ठापनों के कर्मचारियों पर लागू होना	६२८९
२०४२	भारतीय वायु सेना का कैनबरा विमान	६२९०
२०४३	धन-कर	६२९०
२०४४	प्रतिरक्षा संगठन में अयुद्धकारी कर्मचारियों के लिये भत्ते	६२९०-९१
२०४५	दिल्ली में मद्यपान की प्रवृति	६२९१
२०४६	पुराने युद्धोपकरणों को "डिफ्यूज' करना	६२९१
२०४७	अपरिष्कृत तेल	६२९१-९२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३४७९	महेन्द्रगढ़ और हिसार जिलों में अल्प-बचत योजनायें	६२९२
३४८०	भारत के तेल शोधक कारखानों में लगी विदेशी और भारतीय पूंजी	६२९२
३४८१	कोयला खानों में लगी विदेशी पूंजी	६२९३
३४८२	हिमाचल प्रदेश की विकास योजनायें	६२९३-९४
३४८३	जादवपुर और उज्जेन विश्वविद्यालयों को अनुदान	६२९४
३४८४	बम्बई सरकार को सहायता	६२९४-९५
३४८५	बम्बई में अल्प बचत योजना	६२९५
३४८६	स्कूल के बच्चों के लिये दोपहर का भोजन	६२९५
३४८७	भारत-पाक बैंकिंग करार	६२९५-९६
३४८८	टोकरियों में मल ले जाना	६२९६
३४८९	हैदराबाद में उर्दू भवन	६२९६
३४९०	भरतपुर गोला बारूद डिपो	६२९७
३४९१	रिहा किये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मुकदमें का खर्च लौटाना	६२९७
३४९२	कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण	६२९७
३४९३	शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के राज्य तथा विश्वविद्यालय बोर्ड	६२९८
३४९४	छात्र पर्यटनों के लिये अनुदान	६२९८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतरांकित
प्रश्न संख्या

३४९५	बैंक पदाधिकारियों की अमरीका यात्रा . .	६२९८–९९
३४९६	औद्योगिक बस्तियों सम्बन्धी दल . . .	६२९९
३४९७	आयुध कारखानों के श्रमिकों को सुझावों के लिये नकद इनाम	६२९९
३४९८	प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ	६३००
३४९९	हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन	६३००
३५००	उत्तर प्रदेश में लोक-गीत और चित्र .	६३००–०१
३५०१	उड़ीसा में तम्बाकू की खेती . .	६३०१–०२
३५०२	सरकारी कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना	६३०२
३५०४	दिल्ली में बच्चों का अपहरण	६३०३
३५०५	भारतीय ओलिम्पिक संस्था . .	६३०३
३५०६	पंजाब में अस्पृश्यता निवारण के लिये प्रचार . .	६३०३–०४
३५०७	छावनियों में भंगी और मेहतर . .	६३०४
३५०८	विधि आयोग	६३०४
३५०९	मद्रास में छात्रावास . .	६३०४–०५
३५१०	अनुसूचित जातियां	६३०५
३५११	मद्रास में प्रादेशिक भाषाओं का विकास . .	६३०५–०६
३५१२	एम० ई० एस० जांच समिति	६३०६
३५१३	राष्ट्रीय सेना छात्र दल का जूनियर डिवीजन . .	६३०६–०७
३५१४	लैंसडौन और लंढौर को अनुदान	६३०७
३५१५	भारत सेवक समाज . . .	६३०७
३५१६	धनकर	६३०८
३५१७	हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को रियायतें	६३०८–०९
३५१८	हिमाचल प्रदेश के पिछड़े वर्ग . .	६३०९
३५१९	चीनी (हिमाचल प्रदेश) में लोगों की आर्थिक दशा	६३०९–१०
३५२०	हिमाचल प्रदेश में आश्रम स्कूल	६३१०
३५२१	देश में आयोडीन के सोते	६३१०
३५२२	अस्पृश्यता निवारण . .	६३११
३५२३	शिक्षा मंत्रालय के अधीन मंत्रणा समितियां	६३११

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५२४	मनीपुर में आदिम जाति-सांस्कृतिक क्लबें	६३११
३५२५	मनीपुर में पदोन्नति समिति . .	६३११
३५२६	पिछड़े हुए वर्ग .	६३११-१२
३५२७	अन्दमान द्वीप . . .	६३१२
३५२८	दिल्ली में एक छात्र का अपहरण . . .	६३१२
३५३०	मनीपुर में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को रियायतें	६३१२-१३
३५३१	कोयले का उपयोग . .	६३१३
३५३२	भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा	७३१३
३५३३	मध्य प्रदेश में पदों का समीकरण	६३१३-१४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		६३१४-१५

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४३३ की एक प्रति ।

(२) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २ सांतवां सत्र, १९५९

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ६ छटा सत्र, १९५८

(३) विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) विदेशी मुद्रा विनियमन नियम १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १४ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १७९ ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(दो) दिनांक १४ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १९२।

(४) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः—

(एक) दिनांक ११ अप्रैल, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ४१३।

(दो) सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अप्रैल, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ४१४।

(तीन) सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (ब्रांड दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अप्रैल, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ४१६।

(५) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६० की एक प्रति।

(६) सम्पदा-शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क नियम, १९५३ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ७४७ की एक प्रति।

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ६३१५

सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य . . . . . . ६३१५—१६

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने २७ अप्रैल, १९५९ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकार विधान-कार्य तथा अन्य कार्य के क्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक पुरःस्थापित ६३१६

(१) काम दिलाउ दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) विधेयक, १९५९।

(२) दहेज निषेध विधेयक, १९५५।

विधेयक पारित . . . . ६३१७—१९

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने प्रस्ताव किया कि कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित हुआ।

विषय	पृष्ठ
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा	६३२०—३४
गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५७-५८ के प्रतिवेदन पर चर्चा उठाई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	६३३४
तैंतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापिस लिया गया . .	६३३४—४७
श्री मोहन स्वरूप द्वारा बंदरों के निर्यात के बारे में प्रस्तुत किये संकल्प पर चर्चा जारी रही । श्री आसर द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन अस्वीकृत हुआ । श्री मोहन स्वरूप ने वाद-विवाद क उत्तर दिया । संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।	
गैर सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . .	६३४८—५४
श्री फ्रैंक एन्थनी ने अंग्रजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के संबंध में एक संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
आधे घण्टे की चर्चा	६३५४—५९
श्री तंगामणि ने भारत में विदेशी फर्मों के भारतीयकरण के बारे में ११ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०२ के उत्तर से उठने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई । उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने वाद विवाद का उत्तर दिया ।	

सोमवार, २७ अप्रैल, १९५९/७ वैशाख, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प और भारत के राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा।

———————